राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का उन्नतीसवां दिवस [संख्या : 16

सोमवार,

19 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अब तो दिल्ली में गये, अब तो इस्तीफा देदो। अब भी शक्ल दिखा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाओ, बीच में नहीं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : कुछ करके दिखाओ दिल्ली में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठिये।

एक माननीय सदस्य : इनके साथ में न्याय होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सदन में गरिमा रखो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिरसलपुर (द्वितीय चरण) नहर की मरम्मत

428. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय चरण की बिरसलपुर शाखा में नवम्बर, 1998 में नहर की बंदी ली गई थी? यदि हां, तो कब व कितने दिन की? विभागीय निर्णय/निर्देश व प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नहर की विभिन्न प्रणाली के लिए किस-किस तिथि को मिट्टी निकालने व मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित की व कार्य आदेश किस तिथि को दिये? निविदा व कार्य आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नहर बंदी कर देने से कुछ ही पहले व बाद में निविदा जारी की गई? यदि हां, तो निविदा जारी करने के पश्चात व खुलने की अवधि

(श्री देवीसिंह भाटी)

कितनी होती है ? कार्य आदेश, जो–शिड्यूल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नहर प्रणाली में नवम्बर, 1998 से पूर्व किस-किस वितरिका, माइनर में कितनी मिट्टी आंकलित की गई थी व नवम्बर व दिसम्बर, 1998 के अंतिम सप्ताह में कितनी-कितनी मात्रा में मिट्टी थी ?

(5) बिरसलपुर शाखा व इसकी विभिन्न प्रणालियों में नवम्बर, 1998 के प्रथम व अंतिम सप्ताह में पानी के गेज क्या थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि शाखा की बंदी पूर्ण तैयारी किये बगैर ले ली गई व बंदी के समय पूर्ण मिट्टी नहीं निकाली जा सकी ? यदि हां, तो किसानों को क्षति की किस प्रकार क्षतिपूर्ति की गई है ?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी नहीं। बिरसलपुर शाखा में नहर की बंदी 3 अक्टूबर, 98 से 18 अक्टूबर, 98 तक अर्थात 16 दिनों के लिए प्रस्तावित थी। नवम्बर, 98 में नहर बंदी में से नई बंदी नहीं ली गई। विभाग द्वारा प्रसारित बंदी की विज्ञप्ति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न की जा रही है।

(2) इस नहर की विभिन्न प्रणाली में मिट्टी निकालने एवं मरम्मत हेतु की गई निविदाओं की तिथियां संलग्न परिशिष्ट 'ख' के रूप में सदन के मेज पर रख दी गई है। कार्य आदेश देने की तिथि इसी परिशिष्ट के कालम 6 में दर्शाई गई है। निविदाएं व कार्य आदेश भी सदन के मेज पर रख दिये गये हैं। बिरसलपुर शाखा प्रणाली की मानकासर वितरिका आर.डी. 44.6 से 55.8 (टेल), खारवाला माइनर आर.डी. 0.00 से 8.20 (टेल), भलूरी माइनर आर.डी. 0.00 से 12.750 (टेल) गोकुल माइनर आर.डी. 8.00 से 21.650 (टेल), गोकुल सब-माइनर आर. डी. 0.00 से 8.5 (टेल), घेरा माइनर आर. डी. 0.00 से 21.50 (टेल), रूपसिंह माइनर आर. डी. 0.00 से 20.00 (टेल), हाई लेवल माइनर आर. डी. 0.00 से 11.00, रणजीतपुरा माइनर आर. डी. 0.00 से 2.00 (टेल)....

श्री देवीसिंह भाटी : कहां से पढ़ रहे हैं उत्तर ? यह उत्तर में तो दिया नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : उत्तर में ही दिया हुआ है यह तो।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, यह उत्तर कहां से पढ़ रहे है, नहीं, उत्तर में तो नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, उत्तर में से पढ़ रहा हू। उत्तर में से....

श्री देवीसिंह भाटी : उत्तर में तो नहीं है यह।

श्री चन्दन मल बैद : मेरे पास उत्तर में है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे जो कापी दी गई है सचिवालय से, उसमें तो नहीं है।

श्री चन्दन मल बैद : आपको सारी चीजें तो मैंने दी है। इतना बड़ा पुलींदा तो भेजा है।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं तो मैं इसमें कोई एतराज नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इतना डिटेल में इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आपने उत्तर दिया है वही पढ़ने की जरूरत है।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, मैं डिटेल में इस वास्ते पढ़ रहा हूं कि मैं कहीं संक्षेप में उत्तर दे दूंगा तो सदन को क्या मालूम होगा ? इसलिए सदन की जानकारी के लिए मैं डिटेल पढ़ रहा हूं। अगर सारा डिटेल मैं पढूंगा तो तब तो मैं समझता हूं यह बजट भाषण हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट भाषण के रूप में ही तो सुनाया है यह। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वापस लेना पड़ेगा।

श्री चन्दन मल बैद : ... बिरसलपुर माइनर आर.डी. 0.00 से 22.3 (टेल), अखूसर वितरिका आर.डी. 0.00 से 16.90, अखूसर माइनर आर. डी. 0.00 से 40.90 (टेल), अखूसर वितरिका आर. डी. 17 से 47.5 (टेल), रणजीतपुरा वितरिका आर.डी. 25.3 से 50, रणजीतपुरा वितरिका आर. डी. 50 से 71.8 (टेल),...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह आपको कहीं मिल रहा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : है ? क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह उत्तर कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह परिशिष्ट 'ख' से पढ़ रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : परिशिष्ट 'ख' पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास मिला कि नहीं परिशिष्ट 'ख' ?

श्री देवीसिंह भाटी : हां, है।

श्री चन्दन मल बैद : मैं परिशिष्ट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो पूरा जवाब ही पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट 'ख' है। इसमें सब उल्लेख किया हुआ है और इन्होंने जब पढ़ना शुरू कर दिया है तो पढ़ लेने दीजिये।

श्री चन्दन मल बैद : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर भेजा था, मैंने जो एप्रूव किया है, उसी में से पढ़ रहा हूं। अगर आपके पास नहीं भेजा गया है तो मैं नहीं पढूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरे पास है।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं नहीं, आपके एप्रूव से नहीं होता है। यहां तो यह जो सचिवालय से भेजा जाता है, यह तो सचिवालय से ही आता है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके पास भी आया होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, आया है ना।

श्री अध्यक्ष : है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आया नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : है, हां है तो यह प्रश्न के उत्तर में नहीं है। यह तो परिशिष्ट पढ़ने लग गये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्वेश्चन का जवाब ही पढ़ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हो जायं, इसलिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, प्रश्न से सम्बन्धित ही है इसलिए पढ़ रहे हैं वह।

श्रीमती कमला : आपको सप्लीमेंट्री नहीं पूछनी पड़े। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : व्यवसाय कर लेने के बाद से मजबूत हो गये हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : आप यह कह रहे हैं कि तैयारी करके नहीं आये हैं तो प्रश्न को स्थगित करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : प्रश्न का जवाब तो सारा मेरे पास है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माफ कीजियेगा, मैंने परसों प्रश्न एप्रूव किया, उस समय मैंने कहा कि कुछ डिटेल्स भी देनी चाहिए जिससे सारे सदन को मालूम हो जाये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह डिटेल्स में नहीं पढ़ूं तो जो प्रश्न शुरू में विभाग ने भेजा है, उसको पढ़ देता हूं।

(2) इस नहर की विभिन्न प्रणाली में मिट्टी निकालने एवं मरम्मत हेतु की गई निविदाओं की तिथियां संलग्न परिशिष्ट 'क' के कालम (4) में दर्शाई गई है। कार्य आदेश देने की तिथि इसी परिशिष्ट के कालम (5) में दर्शाई गई है। निविदाएं व कार्य आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस नहर बंदी में मिट्टी निकालने के कार्यों की निविदाएं करीब-करीब 20-25 दिन नहर बन्दी से पूर्व जारी की गई। निविदा प्राप्ति एवं वर्क आर्डर करने के पश्चात् कार्य करने की अवधि 15 दिन दी गई थी। कार्य आदेश व "जी" शिड्यूल की प्रति संलग्न की जा रही है।

(4) उक्त नहर प्रणालियों में विभिन्न वितरिका एवं माइनरों में मिट्टी आंकलित की मात्रा संलग्न परिशिष्ट "ख" के कालम (7) में दर्शाई गई है और निकाली गई सिल्ट की मात्रा कालम (8) में दर्शाई गयी है और माह 11/98 में नहरों में शेष रही मिट्टी कालम (9) में दर्शाई गई है।

(श्री चन्दन मल बैद)

इन शेष बची चार नहरों की मिट्टी आवश्यतानुसार माह जनवरी, 1999 की बंदी में निकाल दी गई।

(5) बिरसलपुर शाखा व इसकी विभिन्न प्रणालियों में नवम्बर, 98 के प्रथम व अंतिम सप्ताह में पानी के गेजेज परिशिष्ट 'ग' में दर्शाये गये।

(6) जी नहीं। बिरसलपुर शाखा की बंदी पूरी तैयारी करके ही ली गई थी एवं बंदी के समय में आवश्यकतानुसार पूरी मिट्टी निकाली गई। किसानों को पूर्ण मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया गया और उनको कोई क्षति पानी के अभाव से नहीं हुई। अतः क्षतिपूर्ति का सवाल ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में बताया गया कि 16 दिनों के लिए इन्होंने बन्दी ली और इन्हीं के उत्तर के परिशिष्ट 'ख' के भाग (2)....

श्री अध्यक्ष : बहुत परिशिष्ट लगाये हैं साथ में।

श्री देवीसिंह भाटी : 'ख' है एक तो, और इसमें जहां निविदाएं आपने अक्टूबर में प्राप्त की थीं और इसी में छिल्ला डिस्ट्रीब्यूटरी की निविदाएं आपने परिशिष्ट 'ख' के भाग (2) में दिसम्बर और जनवरी में प्राप्त करना दर्शाया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या बिरसलपुर शाखा में बन्दी आपने एक बार ली और पूरी की पूरी माइनर वितरिकाएं इसमें साफ कर दी गई ? यदि नहीं तो इसमें मेरा सीधा सीधा यहां पर लापरवाही का आरोप है। जब आप काश्तकारों को यह कहते हैं कि 15 दिन के लिए नहर बन्दी रहेगी, उस समय यदि नहर साफ नहीं करते हैं तो काश्तकार को दो बार भुगतना पड़ता है। एक दफा तो आपने घोषित क्लोजर लिया, और एक अघोषित क्लोजर से, उन काश्तकारों को दो बार भुगतना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा कोई इस विषय में गहराई में जाकर लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो सिर्फ मेरी मंशा बताना चाहता हूं, अगर मंत्रीजी इसमें गहराई में जायें तो स्पष्ट हो जायेगा और यह सारा पूरे राजस्थान में होता है और अभी जैसा पूर्व में पंजाब में हुआ, जो भी आपको क्लोजर लेना है लीजिये लेकिन उस क्लोजर से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए कि उस क्लोजर के दिन मिट्टी निकालनी है, यदि उसकी रिपेयर भी करनी है तो वह समय पर हो जाये। तो इसके लिए मुझे मंत्रीजी यह आश्वस्त कर दें कि आइंदा के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे काश्तकारों को दो बार इन क्लोजर को भुगतना नहीं पड़े और उनको पीने के पानी और फसल की समस्या से जूझना नहीं पड़े।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इसके बारे में मेरे क्षेत्र में भी समस्या यही है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, बिरसलपुर शाखा में जिस समय बंदी ली गई, उसको थर्ड स्टेज पर रखा गया था। थर्ड स्टेज का मतलब यह था कि पहले स्टेज पर ज्यादा पानी देते हैं, दूसरे स्टेज पर कम पानी देते हैं और स्टेज थर्ड पर और कम पानी देते हैं। तो बिरसलपुर शाखा में कम पानी उस स्टेज पर दिया था, तो हमारे मुख्य अभियन्ता और स्थानीय विधायक ने यह कहा कि जब कम पानी आ रहा है, तो सारी नहरों को बंद नहीं करके, पहले बाकी नहरों को बंद कर दीजिये और उसमें से सिल्ट निकाल दीजिये और चार नहरों का चलाइये जिसमें कि सिल्ट कम है। उन चार नहरों को चलाइये जिससे कि किसानों को चारों नहरों से पानी मिल सके और उनकी बंदी आप जनवरी में लेकर उनकी सिल्ट जनवरी में निकाल दीजिये।

इस वास्ते अध्यक्ष महोदय, हमने चार नहरों में से चोलेवाली वितरिका, चिलन वितरिका, रणजीतपुरा वितरिका और मखूसर वितरिका, इनको हमने जारी रखा और हमको जो 200 से 250 क्यूसेक्स पानी मिल रहा था, इन चारों नहरों को हमने 250 क्यूसेक्स पानी दिया और किसानों को वह पानी मिला, क्योंकि इन चारों नहरों में, चारों वितरिकाओं में सिल्ट कम थी इस वास्ते उनको, किसानों को पानी मिलता रहा। बाद में जनवरी में जब किसानों को पानी की जरूरत नहीं थी तब इन नहरों को बंद करके इन नहरों की सिल्ट भी निकाली गई।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब यह मेरी भावना नहीं समझ रहे हैं। अगर इसमें प्रश्न और प्रत्युत्तर मैं करता रहा तो वह ठीक नहीं रहेगा। यह आपके जवाब में है, आप बता रहे हैं कि इसमें मिट्टी कम थी, यह आपके गेजेज देखिये। गेजेज आपके निल बता रहे हैं, मिट्टी कम कहां उसमें, मेरा यही अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, कि आप इस प्रश्न में यों न उलझें, आप सिर्फ किसानों की भावना को समझें। यदि आपको क्लोजर की आवश्यकता हो, क्लोजर लीजिये।

लेकिन जब इन्होंने अखबार में विज्ञप्ति दे दी कि हम इस प्रकार से यह क्लोजर पन्द्रह दिन का लेने जा रहे हैं और उस दौरान आपने टेण्डर की ही तैयारी नहीं की। जब आप इस गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको यह टेण्डर कर लेने चाहिए थे, टेण्डर आपके जनवरी में हुए हैं। इसमें चोलेवाली है, यह चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी है, रणजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसमें टेण्डर...

श्री अध्यक्ष : नहीं तो मंत्रीजी भी जनवरी में कह रहे हैं न।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं-नहीं, इन्होंने उत्तर दिया है इसमें अक्टूबर में पहले इन्होंने क्लोजर देने के लिए...

श्री अध्यक्ष : चार माइनर की क्लोजर जो यह कह रहे हैं बाद में दी गई...

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं—नहीं। इस में पूरी जांच के लिए इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि यह पन्द्रह दिन के लिए बन्द रहेगी। मेरा यही अनुरोध है, मैं इसमें अब ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता कि जहां कहीं भी आपको क्लोजर लेना हो, पूरी तैयारी के साथ लें। यही मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है, इसमें बहस का कोई विषय नहीं है। जब कभी भी आपको क्लोजर लेना हो, आप पूरी तैयारी से कि सिल्ट को निकालने के लिए टेण्डर हो गये हैं, ठेकेदार के पास पूरी लेबर की तैयारी है, उस समय आप करें, अदरवाइज क्लोजर न लें, उसको पोस्टपोन कर दें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, पूरे क्लोजर का नोटिस निकाला गया था लेकिन हमारे इंदिरा गांधी नहर के अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक की प्रार्थना पर चूंकि कुछ पानी उसमें थर्ड स्टेज का आ रहा था, तीसरे नम्बर पर हमारी नहर उस समय थी, कुछ पानी आ रहा था, इसमें उन दोनों ने मिल कर यह उचित समझा कि कुछ नहर में क्लोजर ले लिया जाय और चार वितरिकाएं जिनमें पानी मिल सकता है और किसानों को पानी दिया जा सकता है इस वास्ते उनमें क्लोजर नहीं लिया गया और उसके फिर जनवरी में क्लोजर लेकर के उसको मरम्मत कर दी गई।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अब स्थानीय विधायक क्या करे, जब किसान मर रहा था तो मैंने कहा क्लोजर तो आपने ले लिया है पर कम से कम उसको प्यासे तो मत मारो। लेकिन आपका जो रिकार्ड कहता है उस हिसाब से आपकी तैयारी नहीं थी, जब आपके टेण्डर ही नहीं हुए। जबकि यहां उत्तर भी एक जगह आपने गलत दिया है कि चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी के, आपने नोट जो लगाया है, चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये थे और ठेकेदार नहीं आया जबकि आपके परिशिष्ट-ख में कहीं भी चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए टेण्डर आमंत्रित करने का नहीं दिया है। ख के पृष्ठ एक में कहीं भी चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है। चिलन डिस्ट्रीब्यूटरी के टेण्डर ही जनवरी में आमंत्रित किये गये।

लेकिन आप इसमें न जाइये, मेरा फिर अनुरोध है कि आपके सामने जो भी ऐसी समस्या आ जाय, आप उस पर गहराई से काश्तकारों के प्रतिनिधि से बात करके, आप उसमें क्लोजर लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दो-दो बार क्लोजर नहीं हो; सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही से, मेरा यही अनुरोध है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय विधायक से यह पूछूंगा कि उन्होंने क्या हमारे नहर मण्डल के अध्यक्ष को यह निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : वह तो किया है।

श्री चन्दन मल बैद : कि अभी इसको क्लोजर न लेकर के किसानों को पानी दे दिया जाय। अगर उनकी बात को मान

(श्री चन्दन मल बैद)

करके हमारे नहर मण्डल के अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो मैं समझता हूं कि यह विधायक की मंशा के अनुसार ही लिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने अनुरोध कर दिया तो क्या जुल्म कर दिया। जब काश्तकार मर रहे थे तो आप कम से कम पानी तो चलावें उसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह नहीं कह रहे हैं। यह जुल्म की बात नहीं कह रहे हैं कि माननीय सदस्य ने भी उसमें अनुरोध किया था, तो ठीक बात है यह ...

श्री देवीसिंह भाटी : यह नहीं है। सवाल तो यह है, जब आदमी देखता है कि किसान मर रहा है तो उस समय क्या करेगा। इसमें इन्होंने यह जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की यह गलत है या आपने टेण्डर लेट आमंत्रित किये, वह गलत है। फिर आप टेक्नीकल बात पर जाइये तो आप यह बताइये कि आपने जो प्रेस विज्ञप्ति दी, लोगों को आगाह किया कि आप अपनी डिग्गियां पानी की भर लें, क्लोजर रहेगा, पानी नहीं मिलेगा और उस समय आपने टेण्डर्स ही आमंत्रित नहीं किये। आपने जनवरी में टेण्डर आमंत्रित किये हैं चिलन के और इस रणजीतपुरा के।

श्री अध्यक्ष : हां, तो यही कह रहे हैं वह, जनवरी में।

श्री देवीसिंह भाटी : कहां इस बात को, मेरा यही अनुरोध है। देखिये मंत्री महोदय, आप आईजीएनपी मिनिस्टर बने हैं, बहुत खुशी की बात है। आप सिर्फ काश्तकारों के बीच में समय-समय पर जाते रहियेगा, उनसे मिलियेगा, टेल एण्ड पर जाइयेगा, आपके सामने सारी स्थिति आयेगी। सिर्फ हम अधिकारी से ही बात करेंगे तो स्थिति सामने नहीं आती है। दोनों ही पक्ष यदि आपके सामने होंगे तो आपको वस्तुस्थिति की जानकारी मिलेगी। मेरा यही अनुरोध है, इसमें कहां झगड़ने की बात है। मैंने अनुरोध कर दिया, कोई पाप कर दिया क्या। मैंने तो फिर आपकी उसमें सुधार किया।

श्री अध्यक्ष : वह कब कह रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह बहुत बदनामी होगी आपकी।

श्री अध्यक्ष : न तो वह झगड़ने की बात कह रहे हैं, न वह ...

श्री चन्दन मल बैद : वह वापस फिर मुझे कह रहे हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : तो मैंने अनुरोध किया तो इसमें क्या है, आपका रिकार्ड क्या कहता है। टेक्नीकली आप...

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा वह गलत है ? मैंने तो यही निवेदन किया कि स्थानीय विधायक महोदय से मैं पूछकर यह पता लगाऊंगा कि अगर उन्होंने अनुरोध किया था और उनका अनुरोध मान लिया गया और उनको एतराज है तो मुझे बता दें। यही तो मैंने कहा। मैंने तो विधायक से बात करने की बात करी।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : यह खाजूवाला क्षेत्र में भी इस साल दिसम्बर, जनवरी में जो क्लोजर हुआ उस टाइम में विभाग ने किसी भी तरह से सिल्ट निकालने का प्रोग्राम नहीं रखा, आम तौर पर यह लापरवाही बरती जाती है। इसके बारे में आइन्दा क्लोजर के टाइम पर ध्यान रखा जाना चाहिए। यही निवेदन है मेरा।

श्री देवीसिंह भाटी : सब जगह यही समस्या है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग है बिलकुल।

श्री अमीन खान (शिव) : तीस दिन तक पानी नहीं आता, बंद रहता है। यह बात सही है।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसलमेर जिले में अभी तक सिल्ट से नहर भरी पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि आप मौके पर जाइये, टेल एण्ड पर जाइये, किसानों से बात कीजिये।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय विधायक महोदय, आप जब यहां विधान सभा में बिराज नहीं रहे थे, तब मैंने सारे विधायकों को यह प्रार्थना की थी कि ज्योंही विधान सभा का सत्र समाप्त हो जायेगा और हमारा फाइनेंस कमीशन आ जायेगा....

श्री अध्यक्ष : हां, कहा था।

श्री चन्दन मल बैद : उसके बाद मैं जैसलमेर जाऊंगा और आप सब लोगों को भी आमंत्रित करता हू कि मेहरबानी करके आप लोग भी पधारें और वहां की हालत को, स्थिति को देखें कि किस कठिन स्थिति में हमारे मजदूर, हमारे इंजीनियर, वहां काम कर रहे हैं और उसको आप एप्रीसिएट कीजिये। यहां बैठ कर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन वहां जाने के बाद, देखने के बाद आपको महसूस होगा कि किन परिस्थितियों में हम रेगिस्तान को हरा-भरा कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है और इनको हमको किस तरह धन्यवाद देना चाहिए। यह मैंने आमंत्रित किया है। इस वास्ते मैं तो खुद ही कहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ चलियेगा। मैं आपको बताऊंगा, मैं कब जा रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप किसानों की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ उनसे शाबाशी चाहते हैं कि किन विकट परिस्थितियों में वहां अधिकारी काम कर रहे हैं। किन विकट परिस्थितियों में काश्तकार

(श्री देवीसिंह भाटी)

वहां खेती कर रहा है, कैसे वह बगैर पानी रह रहा है उसकी तो आप बात ही नहीं करते। आपके अंदर वह संस्कार ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं; वह काश्तकारों से ही मिलेंगे। नहीं-नहीं, आपको यह कहा, किसान मिलेंगे तो वह उनसे मना थोड़े ही करेंगे मिलने के लिए। श्री के.सी.विश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया की डिक्कियों का रख-रखाव

429. श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पेयजल की आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा डिक्कियों का निर्माण किया हुआ है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इन जल स्रोतों के रख-रखाव हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया तथा गत पांच वर्षों में किन-किन डिक्कियों की मरम्मत/सफाई कराई गई और उसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. जितेन्द्र सिंह) (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रामसिंह विश्नोई के स्थान पर) : जी हां। डिक्कियों के रख-रखाव के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जल योजनाओं के संधारण के लिए आवंटित बजट में से ही आवश्यकता अनुसार व्यय किया जाता है। गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 28 डिक्कियों की मरम्मत कराई गई जिस पर 12.13 लाख रुपये व्यय हुए एवं 14 डिक्कियों की सफाई करवाई गई जिस पर 3.68 लाख व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट 'क' पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री के.सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कितनी कुल डिक्कियां हैं और कितनी कम डिक्कियों की सफाई की गई है। क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि बाकी की जो बची हुई डिक्कियां हैं उनकी सफाई करवायेंगे और इन डिक्कियों के लिए वित्तीय साधन अलग से, जो आज तक डिक्कियों की सफाई के लिए नहीं रखे गये हैं, उनके लिए अलग से रखने की उनकी मशा है क्या ?

दूसरा क्वेश्चन है कि डिक्कियों की सफाई के लिए वित्तीय व्यवस्था कितनी और कब तक करने का आपका विचार है।

तीसरा मेरा प्रश्न है कि क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि डिक्कियों की चार दीवारी नहीं बनी हुई है जिनमें सूअर व कुत्ते गर्मियों के अंदर डिक्कियों में घुस जाते हैं और वहां उनकी कइयों की मृत्यु हो जाती है और बाद में वही पानी गांव

(श्री के. सी. विश्नोई)

के अंदर पीने के लिए सप्लाई के लिए देते हैं ?

क्या चारदीवारी और डिक्कियों की सफाई के लिए सरकार कोई अलग से धन व्यवस्था करना चाहती है या नहीं चाहती है और चाहती है तो कब तक ?

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, संगरिया और सार्दुलशहर में कुल 164 डिक्कियां हैं उनमें से करीबन 28 डिक्कियों की सफाई की गई। अब माननीय सदस्य, संगरिया से आने वालों ने पूछा कि कब....

श्री अध्यक्ष : 28 की तो मरम्मत की है, 14 डिक्कियों की फिर सफाई की है।

डा. जितेन्द्र सिंह : यह सर, 28 डिक्कियों की मरम्मत की गई और 14 डिक्कियों की सफाई की गई।

28 डिक्कियों के ऊपर 12.13 लाख एक्सपेंडीचर हुआ और सफाई पर 3.68; कुल 15.8 लाख एक्सपेंडीचर हुआ। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि कब तक इस बारे में निर्णय ले लिया जायेगा ?

महोदय, निःसंदेह संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य की जो यह चिंता है यह अत्यन्त गंभीर है क्योंकि डिक्कियों की सफाई नहीं की जायेगी तो निश्चित रूप से पानी कंटेमिनेट होगा और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहेगी।

महोदय, सरकार इस पर गम्भीरता से सोच रही है और यह विषय कई दिनों से पेंडिंग रखा था और निःसंदेह माननीय सदस्य की चिंता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन डिक्कियों की सफाई के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जायेगा, और इसी सत्र में किया जायेगा, इस बारे में पूर्ण व्यवस्था रखी जायेगी। जो स्थानीय अधिकारी हैं अगर वे इस बारे में अपनी ड्यूटी को परफार्म नहीं करेंगे तो they will be penalised., यह सरकार का सख्त निर्णय है। ताकि लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिये मिल सके।

श्री कृष्ण चन्द्र (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी यह बताने की कोशिश करें कि कितनी धन राशि डिक्कियों की सफाई के लिये सरकार अलग से देना चाहती है, वह भी सदन में बतायें। यह नहीं कि पांच या चार लाख दे दिये, उनमें से एक डिक्की साफ नहीं होगी। मेरी मंशा यह है कि सरकार जब डिक्कियों की सफाई कराना चाहती है तो यह भी मंशा जाहिर करे कि वह कितना बजट डिक्कियों के लिये देना चाहती है ?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है सरकार इस बात पर पूर्ण रूप से गंभीर विचार कर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

रही हैं कि डिक्की बिलकुल साफ की जायेगी। इसके लिये बजट का जितना भी प्रावधान रखा जायेगा वह पूरा किया जायेगा। इसके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती जायेगी कि डिक्की के लिये अगर पैसा कम पड़ रहा है तो सरकार पैसा नहीं देगी। निश्चित रूप से सरकार डिक्की की सफाई के लिये जितनी आवश्यकता होगी, अलग से बजट का प्रावधान कर रही है और जितनी डिक्कियों की सफाई की आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जायेगा। इसके बारे में निवेदन किया है उनको।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने सब प्रावधान तो कर दिया। श्री शिवराम सिंह।

(प्रश्न संख्या-430)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

डा. करण सिंह।

विद्युत करंट से जन हानि

431. **डा. करण सिंह यादव (बहरोड़):** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विद्युत करंट से होने वाली क्षति के लिये सरकार द्वारा कोई सहायता दी जाती है? यदि हां, तो सहायता सम्बन्धी सरकारी प्रावधान क्या है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1997-98 में विद्युत करंट सम्बन्धी कितने हादसे हुए इनमें तार टूटने से कितने हादसे हुए?

(3) उक्त हादसों में कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए? जन धन की हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त हादसों में मृत, घायल व प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई? उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी हां। विद्युत मण्डल द्वारा मण्डल की विद्युत लाइनों अथवा खम्बों से होने वाली दुर्घटना के फलस्वरूप विद्युत कर्मचारी, सामान्य जन अथवा पशुओं की मृत्यु होने पर उपयुक्त मामलों में सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। विद्युत कर्मचारी की मृत्यु होने पर कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देय है। जबकि सामान्य जन एवं पशुओं के सम्बन्ध में मण्डल के आदेश क्रमांक राराविमं/कार्मिक/प.21 (94)/प्र. 4495 दिनांक 10-10-1997 के अनुसार अनुग्रह राशि दी जाती है। उक्त आदेश के तहत सामान्य जन को अधिकतम 20,000/- रुपये एवं पशुओं के लिये 300/- रुपये से

(डा. चन्द्रभान)

5000/– रुपये तक अनुग्रह राशि दिये जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1997-98 में विद्युत करंट संबंधी कुल 201 हादसे हुए जिसमें बिजली के तार टूटने व छूने से 41 हादसे हुए।

(3) उक्त हादसों में 86 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें से 44 विद्युत कर्मी व 42 सामान्य जन दुर्घटनाग्रस्त हुए। 79 अघातक दुर्घटनाएं हुई जिनमें 60 विद्युत-कर्मी व 19 सामान्य जन थे। घातक अघातक दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों की संख्या सूची परिशिष्ट'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त हादसों में विद्युत मण्डल की ओर से मृत घायल व प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 85.35 लाख रुपये की सहायता/अनुग्रह राशि प्रदान की गई। इसके अलावा मृत विद्युत कर्मचारियों के परिवार में से एक वयस्क व्यक्ति को मण्डल के नियमानुसार नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक कुल 241 आश्रितों को नियुक्ति दी गई है।

विद्युत तन्त्र से असुरक्षा की समस्या पिछले कुछ वर्षों से तन्त्र के तेजी से विस्तार रख-रखाव के अभाव, आवश्यक सावधानी न बरतने, सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित निवेश की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। समस्या के समाधान हेतु निम्न कदम प्रस्तावित हैं।

1. प्रदेश भर में फैले विद्युत तन्त्र की कमियों का आकलन करना।
2. उचित रख–रखाव हेतु कार्य योजना बनाने तथा उसका समयबद्ध क्रियान्वयन।
3. विद्युत कार्मियों का प्रशिक्षण।
4. सामान्य जन में विद्युत तन्त्र के खतरों तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में जागरुकता हेतु प्रयास।
5. नयी लाइनों तथा तन्त्र हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन।

(आदेश की प्रति एवं संख्या/सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

डा. करण सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों से आने वाले हर माननीय विधायक को, और आपको ज्ञान है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिकल लाइन्स का क्या हाल है। जगह–जगह लाइनें लटकी हुई पड़ी हैं, जगह–जगह तार टूट जाते हैं, सुबह आदमी खेत में काम करने जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके खुद के वक्तव्य के हिसाब से पिछले सालभर में 86 लोग मृत्यु ग्रसित हो गये और उससे ज्यादा लोग इन दुर्घटनाओं के शिकार होकर अंग-भंग हो गये। किसी के हाथ कट गये, किसी के

(डा. करण सिंह यादव)

पांव कट गये। जहां तक अनुग्रह राशि का प्रश्न उठता है, मैं समझता हूं कि गांवों में ऐसे सैकड़ों मामले लम्बित पड़े होंगे जहां पर लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस दी हैं लेकिन उनको समय पर, और बात तो छोड़िए विद्युत विभाग का कोई आदमी जाकर उनके हालचाल भी नहीं पूछता। जगह-जगह गांव में ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए हैं।

मंत्री महोदय आप विद्युत कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप जन भावना को कह रहे हैं कि वो प्रशिक्षित होंगे, लेकिन उसके पास से जाने वाली गाय और भैंस वो कहां से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी कि उस ट्रांसफार्मर के पास से निकल के नहीं जाये।

मैं मंत्री महोदय, आपसे दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो अधिकतम राशि जो 20,000 है, ऐसे मामले में जिस आदमी की मृत्यु हो गई, उसमें अधिकतम और कम का प्रश्न ही कहां उठता है। दूसरा, प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहता हूं कि खेत में बिजली का तार छूने से मृत्यु हो गई, ऐसे व्यक्ति को अपनी अनुग्रह राशि लाने में कितना समय मिलता है ?

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ऐसे हादसों पर, पिछले 6 महीने पहले आपको ध्यान होगा, चौमूं-फुलेरा क्षेत्र में एक गांव से ऊंट गाड़े पर बैठकर के पूरा परिवार जा रहा था। चलते-चलते उनके ऊपर तार गिर गया। उससे 6 आदमियों की उसी समय मृत्यु हो गई और बाकी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जिनमें से कुछ के हाथ काटने पड़े, पांव काटने पड़े। उस परिवार के कुछ लोगों को तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि इस परिवार के दो या तीन सदस्यों को नौकरी दे देंगे। उनको दो-एक महीने के लिये तो वहां डेली वेजेज के रूप में बुलाकर रखा, उसके बाद उनको जय रामजी कर के अपने घर भेज दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा पारिवारिक हादसा जिसमें एक ही परिवार के 6-6 सदस्य कालग्रस्त हो जायें, कमाने वाले ग्रसित हो जायें, क्या बिजली बोर्ड उस परिवार में से किसी को रोजगार देने के लिये सक्षम है या नहीं है ? ऐसे किसी मामले में आज तक आपने कहीं रोजगार दिया है ?

एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड ऐसे लोग, जिनके परिवार में बिजली के करंट आने से किसान मर गया, कम से कम प्राथमिकता के आधार पर उसको बिजली कनेक्शन तो पहले दे दें। मैं बहरोड़ क्षेत्र के एक जवान आदमी के हादसे का हवाला देना चाहूंगा जहां उस आदमी की मृत्यु हो गई और उसके दोनों बच्चे गूंगे और बहरे हैं। उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। कम से कम उसके खेत के कुएं पर बिजली का कनेक्शन तो लग जाये। वह पड़ौसियों के कुएं पर से चल रहा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ।

मैं मंत्री महोदय से इन सारे प्रश्नों के

(डा. करण सिंह यादव)

ऊपर उनका जवाब जानना चाहूंगा। एक अंतिम प्रश्न जो आपने सेक्स डिस्क्रिमिनेशन किया है -

आप ऊंट और घोड़े का, बकरी का, गधे का, मेल हो, चाहे फिमेल हो, बराबर की राशि देते हैं। यह गाय और बैल के अन्दर आपने क्यों अन्तर कर दिया? गाय मरेगी तो आप ढाई हजार रुपये दोगे, बैल का 2 हजार दोगे। यह अन्तर कहां से आ गया? जबकि बाकी सब जगह आप भैंस और भैंसे की एक सी राशि दे रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि विद्युत करंट से जो एक्सीडेंट होते हैं और उसमें केजुअल्टी हो जाती है तो सामान्य जन हैं, उन्हें जो अनुग्रह राशि दी जाती है, एक्सग्रेसिया, इनका कहना है कि यह सीमा 20 हजार तक क्यों रखी गयी है? इनके कहने का अर्थ या पूछने का अर्थ यही है कि यह 20 हजार रुपये दिये जायं। मैं इससे सहमत हूं। और व्यवहार में तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही है कि 20 हजार रुपये तक, कोई 10 या 15 हजार रुपये नहीं दिये जाते हैं, सामान्य रूप से 20 हजार रुपये ही दिये जाते हैं और इसमें संशोधन की जरूरत होगी तो इसमें संशोधन करेंगे।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, आपने आदमी की जान की कीमत 20 हजार रुपये रखी है क्या? गाय और भैंस की कीमत तो मालूम है, लेकिन जो किसान; घर में कमाने वाला जो आदमी मर रहा है, उसकी कीमत 20 हजार रुपये है क्या?

डा. चन्द्रभान : इसमें कीमत का सवाल नहीं है। यह जो व्यवस्था है, जो नियम है, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह भी एक तरह का एक्सीडेंट है, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें सरकार की तरफ से या मंडल की तरफ से एक मुआवजे के रूप में कहिये मदद के लिए एक राशि दी जाती है। उससे उस व्यक्ति की कीमत को नहीं आंका जाना चाहिए। यह एक तरह से सहयोग राशि है। और दूसरा सवाल जो आपने किया कि इस तरह के जो लोग हैं, जैसे आपने चोमूं की दुर्घटना का उदाहरण भी दिया, और भी दुर्घटनाएं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता का विषय तो है ही कि एक्सीडेंट कोई भी हो, चाहे सड़क का एक्सीडेंट हो या विद्युत करंट के एक्सीडेंट हों, यह कोई अच्छी बात नहीं है। सभी के लिए चिन्ता का विषय है। यह कम से कम होने चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो नियमों में व्यवस्था है, उसमें जो विद्युतकर्मियों की मौत होती है, उसके परिवार के सदस्य को तो रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, सामान्यजन के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सवाल आपने किया कि ट्रांसफार्मर्स जमीन

(डा. चन्द्रभान)

पर पड़े हैं, तार ढीले हैं, लाइनें ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इनका कथन सही है। यह विद्युत तंत्र में असुरक्षा के मामले बढ़ रहे हैं इसीलिए सितम्बर, 1998 में अलग से आर.एस.ई.बी. में एक सुरक्षा निदेशालय बनाया गया। एक उप--अभियंता स्तर के अधिकारी को सुरक्षा निदेशक बनाया गया है और एक क्रेस मेंटिनेंस प्रोग्राम लाइन सिस्टम को ठीक करने के लिए नवम्बर, 1998 से जनवरी 1999 में चलाया गया और सुरक्षा कैम्प भी खण्ड स्तर पर लगाये गये। मैं माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक मई से 30 जून तक क्रेस मेंटिनेंस प्रोग्राम पूरे राजस्थान में एक अभियान के रूप चलायेंगे। जो लाइनें हैं इनको भी ठीक करेंगे, जो तार ढीले हैं इनको भी कसेंगे। जो ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े है, इन्हें भी ऊपर उठायेंगे। और कहना चाहिए, पूरे विद्युत तन्त्र को चुस्त और दुरूस्त करेंगे, जिससे एक्सीडेंट की सम्भावनाएं कम होंगी, उन पर रोक लगेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिजली के करंट लगने से जो जनहानि होती है उसमें आप जो विद्युत कर्मचारी हैं उनको क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत देते हैं, लेकिन किसान को उससे जो जनहानि होती है उसको आप मात्र 20 हजार रुपये देते हैं तो यह दुभांत क्यों ?

क्योंकि बिजली के करंट से दुर्घटना होने पर, चाहे वह कर्मचारी है, चाहे साधारण किसान है, चाहे राह चलते के होता है, चाहे वह चौमूं में हुआ है, चाहे सीकर में ठिकरिया या दीपपुरा में हुआ हो, तो उनमें आप यह डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्या इसको मंत्री महोदय अधिनियम 1923 को दुरुस्त करके क्षतिपूर्ति इससे करना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष : इसकी व्याख्या मत कीजिये, आपने बता दिया है। सिर्फ प्रश्न पूछें आप।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, व्याख्या नहीं, मैं तो इनको दूर करने का पूछ रहा हूं। और एक जो दीपपुरा में आपने दो व्यक्ति 22 और 25 साल के नौजवान, 6 फीट की दूरी पर 11 के.वी. होने के बाद भी आपने क्षतिपूर्ति नहीं दी है, जो लिस्ट दी है उसमें भी उनका नहीं है। दूसरा मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंट्री करें। मैंने व्यवस्था दे दी है; माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : जो आपने कहा है कि मापदण्डों के अनुसार लाइनें नहीं हैं तो क्या मंत्री महोदय ऐसे अभियंता जिन्होंने मापदण्ड के अनुसार लाइनें नहीं की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, घोद से आने वाले सदस्य ने भी वही सवाल पूछा है जो बहरोड़ से आने वाले सदस्य ने सप्लीमेंटरी में किया कि विद्युत करंट से विद्युतकर्मियों की मौत होती है तो उसके लिए तो अलग से ही मुआवजे की और उसे विद्युत मण्डल की सेवाओं में रखने का प्रावधान है, लेकिन किसान, सवाल किसान का नहीं है। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। आमजन की बात मैं कह रहा हूं, सामान्यजन की बात है उसमें किसान भी आ जाता है। उनके लिए नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, विद्युतकर्मी तो चूंकि विद्युत मण्डल का कर्मचारी है और उसकी जिम्मेदारी है, उसे अपने कार्य के लिए चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है और कहीं कोई गलती से या किन्हीं कारणों से होता है तो वह विद्युत मण्डल की सीधी जिम्मेदारी है। जो यह एक्सीडेंट होते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, बात और है। शिकायत करने के बावजूद भी ...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा : और तार ढीले पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : सारा गांव शिकायत कर देता है, 15-15 दिन, 2-2, 4-4 महीने तक और उसके बाद भी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री जगत सिंह दायमा : और उसके बाद में फिर जब तारों को कसा जाता है तो आदमी मरते हैं, पशु मरते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में यों कैसे खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए ?

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, साहब, वह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, गलत बयानी है तो आप मुझसे अनुमति लीजिये पहले।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह विद्युत करंट से किसी की मौत होती है उसके लिए सभी चिन्तित हैं। जितने आप चिन्तित हैं उतनी सरकार भी चिन्तित है। मैं स्वयं भी चिन्तित हूं और मैं कहता हूं कि यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, कनाडा में तो ऐसी व्यवस्था होती है, यह जीरो होती है एक्सीडेंट, लेकिन हिन्दुस्तान में सभी राज्यों में यह विद्युत करंट से मौत होती हैं और कई राज्यों में तो हमसे भी ज्यादा मौतें होती हैं। और जो आपने एक बात कही इसके कई कारण होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की मौत होने के, कई बार क्या होता है कि कई

(डा. चन्द्रभान)

लोग अनाधिकृत रूप से चेष्टा करते हैं बिजली लेने की, उसमें भी किसी की मौत हो जाती है। कई बार कोई लाइन ऊपर से जाती है और नीचे कोई गलत कस्ट्रक्शन हो जाता है उसके कारण भी हो जाती है और कई दूसरे भी कारण हैं। ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन यह बात साफ है कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, उसमें केवल 20 हजार रुपये का ही प्रावधान है। आपने जो दीपपुरा की बात की है।

अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में इस दृष्टि से कहना चाहिए कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट हुए हैं, किसी भी विद्युत कर्मी की मौत नहीं हुई है। 42 सामान्यजनों की राजस्थान में मौत हुई जिनमें से सीकर जिले में एक हुई और अघातक विद्युतकर्मी कोई घायल नहीं हुआ जिले में, और केवल एक, कुल मिलाकर यह जो जितनी 201 घटनाओं में केवल 2 मामले हैं। आपने जो कहा यह सवाल इससे रिलेटेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह पहले का है।

डा. चन्द्रभान : फिर भी आप इसको मुझे दीजिये मैं इसको दिखवा लूंगा। यदि किसी को मुआवजा नहीं मिला है तो उसे मुआवजा जरूर दिलवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। नहीं, आपने पूछ लिया प्रश्न। अमरराराम जी।

श्री अमरराराम (धोद) : 97–98 को आप कह रहे हैं, कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री अमरराराम (धोद) : 8 मौतें, ठिकरिया गांव में अकेले रास्ते चले ऊंट गाड़े पर तार टूटकर रास्ते में गिरने के कारण 3 व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हुई है।

डा. चन्द्रभान : 97-98 में नहीं हुई वह 98-99 में हुई है।

श्री अमरराराम (धोद) : 97-98 में हुई है यह।

डा. चन्द्रभान : यह मात्र 98 तक का सवाल है, आप महीना चैक कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, वह अलग बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली के एक्सीडेंट तरह तरह के हैं। धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अमुक गांव के अन्दर नीचे से सवारी जा रही थी और तार टूटकर उसमें गिर गया। चौमूं के अंदर जो हादसा हुआ, यह तमाम एक्सीडेंट जो हैं यह बिजली बोर्ड की लाइन खींचने की लापरवाही की वजह से, कमी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। उनको परिभाषित किया जाना चाहिए। वह गार्ड वायर होता है इन पर तो नीचे गुजरता हुआ आदमी या तार टूटकर नहीं गिर सकता, उस पर पैर

(श्री रामनारायण चौधरी)

टिकने पर आदमी मर नहीं सकता । तो जितने एक्सीडेंट, जो बिजली बोर्ड की डिफेक्टिव लाईनिंग की वजह से, वायर गार्ड्स नहीं होने की वजह से यह जो एक्सीडेंट होते हैं, मान्यवर, उनको उन एक्सीडेंट्स के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए जो लापरवाही से हो जाते हैं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि जो एक्सग्रेसिया आप दे रहे हैं, 20 हजार रुपये; आप किस पर अनुग्रह कर रहे हैं ? अनुग्रह तो उसका है जो उसने जान दे दी । तो आप इस अनुग्रह शब्द को, मान्यवर, हटवाइये, अध्यक्ष महोदय, और कम्पनसेशन की निर्धारित राशि अमुक आदमी की जितनी कीमत है, उस हिसाब से वह अनुग्रह राशि मिलनी चाहिए । अनुग्रह क्या, किसका क्या अनुग्रह हो रहा है ? किसे देकर अनुग्रह कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी जी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो लाइनें टूट जाती हैं, क्या आपने लाइन टूटने पर उसकी शिकायत होने के बाद उसको ठीक कराने की कोई समय सीमा तय कर रखी है कि इतने समय में ए.ईएन के पास शिकायत होने के बाद उसको ठीक करना चाहिए । यदि हां, तो जो पिछली 165 मौतें, जो आपने बताईं, पिछले 2 वर्षों में हुई हैं, उन मौतों में आपने किसी अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया या नहीं ? किसी न किसी की जिम्मेदारी, लापरवाही की वजह से तो हुई हैं । इन दोनों सवालों का आप मुझे बता दें ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने और निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, मैं कुछ हद तक उन्होंने जो बात कही है, मैं इससे सहमत हूं ।

मैं यह नहीं कहता कि सब एक्सीडेन्ट कोई जनता की लापरवाही से होते हैं या पशु की लापरवाही से होते हैं । पशु तो समझता ही नहीं है । इसमें हमारे विद्युत तंत्र की भी कमियां हैं । कई जगह अर्थ-वायर प्रोपर नहीं है, कई जगह न्यूट्रल वायर नहीं है । कई तरह जो आपने कहा उस तरह से सिस्टम में कई बार कमी रहती है ।

मैं इसको खुद स्वीकार करता हूं और मैं यह कहता हूं कि जो भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 है, उसकी अच्छी तरह से पालना की जाएगी, जो भी नयी लाइन डालेंगे उसके लिये । जहां तक पुरानी लाइन है, उनमें जो कमियां हैं उनको ठीक करेंगे । इसके लिये मैंने कहा कि क्रेश मेंटिनेंस प्रोग्राम एक मई से लेकर 30 जून तक, 2 महीने तक चलेगा, अभियान के रूप में चलेगा । लाइनों को भी ठीक करेंगे, जो विद्युत तंत्र में कमियां हैं, उनको भी दुरुस्त करेंगे । इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेन्ट राज्य में कम से कम हों, इसका प्रयास

(डा. चन्द्रभान)

करेंगे। और जो भी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय विद्युत अधिनियम, जो 1956 है, उसके अन्तर्गत जिस तरह के जो मानदण्ड हैं उनके अनुसार लाइनें खींची हुई नहीं होंगी, उनमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो जो ऐसे कर्मचारी, अधिकारी हैं उनका नोटिस लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : समय-सीमा बताइये ना। (व्यवधान) समय सीमा बताइये ना कि तय कर दी है क्या समय-सीमा.....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : लाइन टूटने के बाद, उसको कितने समय में ठीक करने के लिये समय-सीमा निर्धारित कर रखी है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता के अलावा 3 अन्य माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। नई व्यवस्था के अनुसार..(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया समय-सीमा..

डा. चन्द्रभान : समय-सीमा मैंने बांध दी ना कि 1 मई से 30 जून तक।

श्री अध्यक्ष : चार्ट में पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नहीं, नहीं, यह नहीं। टूटने के बाद कितने दिन में ठीक करना चाहिए। (व्यवधान) वह तो आप अब ठीक करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि लाइन टूटने के बाद समम-सीमा, कितने दिन में ठीक कर देना चाहिए उसको, यह आपने तय किया है कि नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा नम्बर आने दें, (व्यवधान) पहले मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया।

डा. चन्द्रभान : आप जो फरमा रहे हैं, कोई भी लाइन टूटती है तो कोशिश यह की जाती है कि तत्काल उसको ठीक किया जाए। समय-सीमा, उससे पूरी विद्युत की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है। कोशिश तो यह करेंगे कि उसे 24 घण्टे में किया जाए। और कई कारणों से नहीं होती है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कोई मर गया तो..(व्यवधान) किसी की लापरवाही से तो मर ही गया, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपको.. (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : शिकायत प्राप्त होने के बाद कोई समय–सीमा तो होनी चाहिए। (व्यवधान) जहां रेगिस्तानी क्षेत्र में टीबे–शिफ्टिंग हैं, वहां कण्डक्टर्स के बराबर टीबे लग जाते हैं, शिकायत करने के बावजूद वहां कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप : मेरा नाम पुकारा है, साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : उससे बचने के लिये समय–सीमा तय होनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मेरा एक ही प्रश्न है। विद्युत मंत्रीजी, मेरा सीधा आपसे एक प्रश्न है कि आपने एक्सीडेंट्स की सारी व्यवस्थाएं कर दीं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामस्वरूप : लेकिन सबसे पहले (व्यवधान) एक एक्सीडेंट हो रहा है, छात्रों के साथ, बिजली नहीं दी जा रही है। क्या आप सुबह भी 4 बजे से बिजली छात्रों को देंगे ? शाम को भी दे रहे हैं तो सुबह भी हमको बिजली देनी चाहिए। यह छात्रों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। प्रश्न पूछ लिये आपने। (व्यवधान) अभी नहीं।

डा. चन्द्रभान : आप जो कह रहे हैं, यह बिजली देने का दूसरा सवाल है। यह बात सही है कि सुबह के वक्त कई बार बिजली नहीं आने से भी दिक्कत होती है। आपने सवाल उठाया था, अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले यह सवाल उठा था। मैं खुद हीरापुरा में गया और सिस्टम को देखा। 7 से 11 बजे के वक्त में कई बार रात्रि को बिजली चली जाती है।

मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सिस्टम में कमी के कारण होती है। लेकिन आधे घण्टे से, एक घण्टे से ज्यादा अब ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं जाती है। उसकी पूर्ति के लिये हमने व्यवस्था की है कि सुबह के वक्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक भी विद्यार्थियों के इम्तिहान जब तक हैं, घरेलू कार्यों के लिये, ग्रामीण इलाके में बिजली दी जाएगी, सुबह 4 से 6 बजे तक।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं अभी सवाल नहीं। श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, साल-साल गुजर जाते हैं, मृतक के आश्रितों को, मंत्री महोदय, यह तो व्यवस्था करें कि 3 महीने में, 2 महीने में पेमेंट हो जाएगा।

डा. चन्द्रभान : नहीं, वह तो हो जाता है।

श्री सांवर लाल : नहीं होता है साहब। साल–साल भर चक्कर काटते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, ऐसा कोई बकाया नहीं है। 97–98 का कोई भी बकाया नहीं है। कोई भी होगा, मैं उसकी जांच कर लूंगा। आप कह रहे हैं 2 महीने 3 महीने नहीं, हम दिवस तय कर देंगे कि जब उसका सर्टिफाइ हो जाए तो 30 दिन के अन्दर दे दिया जाए।

प्रश्न संख्या 432

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें)

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई।

घग्घर नदी की बाढ़ के पानी का पूर्ण उपयोग

433. श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में विजयनगर व जैतसर के बीच में जब घग्घर की बाढ़ का पानी आता है तो रेल्वे लाइन व सड़क के एक तरफ पानी आता है तो रेल्वे लाइन व सड़क के एक तरफ जमीन में ही लगता है और बाकी पाकिस्तान चला जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पानी का उपयोग एक साइफन बनाने से दूसरी ओर भी किया जा सकता है, जिससे बड़ी मात्रा में भूमि सिंचित हो सकती है ? क्या सरकार उक्त साइफन को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। चेतक बिन्दु (5 जीबी) पर घग्घर नाली में बाढ़ के पानी की मात्रा न्यूनतम 5000 क्यूसेक दो, तीन माह तक चले तभी साइफन बनाकर करणीजी वितरिका के दूसरी ओर स्थित लगभग 10,200 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। पिछले दस वर्षों में चेतक बिन्दु पर 5000 क्यूसेक पानी का प्रवाह तीन बार पहुंच पाया है एवं कुल अवधि 28 दिवस रही जो अत्यधिक अल्प-अवधि है। क्योंकि चक में प्रत्येक कृषक को एक सिंचाई हेतु कम से कम 8 दिन पानी उपलब्ध होना आवश्यक है। साइफन व नहर बनाकर सिंचाई सुविधा देना उपयोगी नहीं है।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगी कि यह जो अतिरिक्त पानी है, जिससे बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जैतसर और विजयनगर के बीच के गांव हैं, 2 जीबी, 9 जीबी, 13 जीबी, 28 जीबी, 37 जीबी और 43 जीबी, तो उससे जो बर्बादी होती है उसके बारे में

(श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई)

सरकार क्या करने का सोच रही है ? क्योंकि यह पानी जो एक्स्ट्रा है, यहां पर बर्बादी कर के पाकिस्तान जाता है। वहां पर भी उन्होंने बांध बना रखे हैं। उसमें से जितनी जरूरत होती है, वह पानी ले लेते हैं बाकी वापस हमारे क्षेत्र में बर्बादी फैलाता है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि 28 जीबी, 31 जीबी, 37 जीबी, इनमें आलरेडी साइफंस बने हुए हैं। तो बाकी जो बचे हुए गांव हैं, इनमें क्यों नहीं बनाये गये हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव दिया है, वह यह है कि चेतक बिन्दु से आप सड़क के दायीं तरफ इस तरह के साइफन बनवा दें, जिससे कि 10200 एकड़ जमीन पिलाई हो सके, क्योंकि यह पानी बेकार जा रहा है।

लेकिन इसको बनाने में पहले हमें सड़क का साइफन बनाना पड़ेगा, फिर हमें करणीजी वितरिका का साइफन बनाना पड़ेगा, फिर हमें रेल्वे लाइन का साइफन बनाना पड़ेगा। फिर उनके धोरे और दूसरी चीजें बनानी पड़ेंगी। ढाई करोड़ के लगभग तो खर्चा होगा।

लेकिन इसके बावजूद भी मात्र, 10 साल का एक रिकार्ड है कि 3-4 बार 5000 क्यूसेक से अधिक पानी आया है जिसके कुल दिन की मात्रा 28 दिन है। जबकि कम से कम 30 दिन तक, यह पानी इतनी मात्रा में चले तो इनको बनाना उपयोगी हो सकता है, अन्यथा यह उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिये इनको हाथ में लिया जाना सम्भव नहीं है।

श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि बाढ़ से इन गांवों में नुकसान होता है और हर बार पानी से वे घिर जाते हैं उसके बारे में फिर सरकार ने क्या सोचा है ? अगर ये साइफन नहीं बनायेंगे तो और कोई तरीका इसको बचाने का नहीं है।

श्रीमती कमला : आपका यह कथन सही है कि जो घग्घर नाली से पानी आ रहा है बाढ़ का, आगे जाकर के किसी समय में यह पाकिस्तान में निकल जाता था। अब पाकिस्तान ने सीमा पर एक ऐसा बांध बना दिया है जिसके कैचमेंट में हमारा एरिया डूबत में आया है और उसकी ढलान इधर होने के कारण वापस लौट करके राजस्थान की ही भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है।

हम एक सर्वे करवा रहे हैं कि उस पानी को आखिरी छोर पर हम अगर टीबों के क्षेत्र हैं, तो उसको उन टीबों में किस तरह से फैला सकें, ले जा सकें जिससे कि वह पानी लौटकर के वापस नहीं आवे। पाकिस्तान ने बांध बनाने से पहले हमें इस बाबत इत्तिला नहीं की, न हमसे पूछा। तो

(श्रीमती कमला)

पाकिस्तान के बांध बनाने से हमारा एरिया जो डूबत में आया है उसको हमें कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें यह भी एक मुद्दा कायम किया हुआ है। अभी तुरन्त में इस पानी की क्या व्यवस्था की जा सकेगी, अभी यह कहना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन । श्री रतन लाल ताम्बी ।

बिजौलिया खनन क्षेत्र का क्वारी लाइसेंस प्रकरण

434. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ऊपर माल बिजौलिया क्षेत्र के नयानगर सी सेक्टर में खनिज अभियन्ता बिजौलिया के द्वारा रोक होते हुए भी क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी कब विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड में प्रकाशित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि शासन सहायक सचिव खान (ग्रुप-दो) विभाग के द्वारा खनिज निदेशक को अधीनस्थ अभियन्ताओं को निर्देश देने के आदेश किये गये थे कि क्वारी लाइसेंस के पूर्व स्वीकृत क्षेत्र को पुनः ग्रान्ट करने से पूर्व नियम 60 के अनुसार विज्ञप्ति अवश्य प्रसारित की जावे और जिन मामलों में, नियम 60 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई है, ऐसे मामलों में आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाये एवं ऐसे क्षेत्रों से प्राप्त आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत किया जाये कि क्षेत्र पुनः आवंटन हेतु विज्ञापित नहीं होने के कारण स्वीकृति हेतु उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नया नगर सी खनन क्षेत्र में कितने-कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं अथवा विचाराधीन लम्बित हैं। विवरण सदन की मेज रखें ।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने आवेदन-पत्र विज्ञापित करके अथवा नहीं करके स्वीकृत प्रीमेच्योर आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किसको स्वीकृत किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के बाद भी लगभग सात क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं जिसकी विज्ञप्ति निकाल कर नियमानुसार नीलाम किये जाते तो एक करोड़ की आय राजकोष को होती ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर राजकोष की क्षति के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) यह सही नहीं है कि खनिज अभियंता, बिजौलिया द्वारा नया नगर 'सी' बाउण्ड्री में रोक होते हुए भी क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं। न्यायालय शासन उप सचिव द्वारा जारी निर्णय दिनांक

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

4-2-92 में प्रेषित आवेदन पत्रों को प्रिमेच्योर नहीं माना था। अतः इन मामलों में नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी, हां। यह सही है कि शासन सहायक सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग द्वारा दिनांक 19-12-92 को ऐसा पत्र निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को लिखा था। पुनः आवंटन हेतु नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध नहीं मानकर एवं आवेदन-पत्रों को प्रिमेच्योर नहीं मानते हुए नया नगर 'सी' ब्लाक में खनिज अभियन्ता, बिजोलिया द्वारा अस्वीकृत किये गये एवं लम्बित रखे गये आवेदन पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।

(3) यह सही नहीं है कि प्रिमेच्योर आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये। न्यायालय शासन उप-सचिव के निर्णय दिनांक 4-2-92 में प्रेषित आवेदन-पत्रों को प्रिमेच्योर नहीं माना गया। उक्त निर्णय के अनुसरण में ही खनिज अभियंता, बिजोलिया द्वारा क्वारी लाइसेंस स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण भी संलग्न परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।

(4) यह सही है कि शासन सहायक सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 19-12-92 के बाद नया नगर 'सी' ब्लाक में पांच क्वारी लाइसेंस जारी किये गये। जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।

उक्त क्वारी लाइसेंस न्यायालय शासन उप सचिव द्वारा अपील में दिये गये निर्णय दिनांक 4-2-92 एवं शासन के आदेश दिनांक 14-9-98 के अनुसरण में खनिज अभियंता, बिजोलिया द्वारा स्वीकृत किये गये/विज्ञप्ति निकालकर नीलामी पद्धति से आवंटन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त आवंटन से राजकोष को कोई हानि नहीं हुई है। अतः किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है एवं न ही कोई दोषी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग संख्या एक में आपने यह बताया कि 4-2-92 को जो आदेश दिया है, उसके अनुसार यह पालना हुई है।

मेरा इसमें यह निवेदन है कि 4-2-92 को जो फैसला शासन सचिव न्यायालय ने दिया, उसमें साफ तौर से यह लिखा है कि 10-11-89 को जो आदेश दिये, निरस्त किये जाते हैं एवं उक्त मामले को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु खनिज अभियन्ता, बिजोलिया को रिमांड किया जाता है। तो रिमांड करने के बाद सारी कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए थी, वह नहीं की गयी। एक तो यह।

दूसरा, आपने यह कहा कि 14-9-98

(श्री रतन लाल ताम्बी)

को और 19-12-92 के जो आदेश हैं, वह केवल नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, न कि ग्रांट के सम्बन्ध में, इसलिए आपके दोनों आदेशों में विसंगती है। और इसलिए निदेशक, खान विभाग, उदयपुर ने इन सब प्रकरणों की जांच के आदेश दिये हैं। यदि आप इसको ठीक नहीं मानते हैं तो फिर निदेशक महोदय ने जांच के आदेश क्यों दिये? यह मामला बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग चार में मिस प्रिंट के कारण नीलामी के बाद में मुझे जो सूची जारी की गयी थी, उसमें आवेदन पत्र लेने की बात है। इस सारे मामले में आवेदन-पत्र दुबारा विज्ञप्ति जारी करके लिये जाने चाहिए थे। यह बहुत बड़ा मामला है।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और जिस प्रकार के नीचे के आदेश आये हैं या जानकारी दी है, वह उसको आपने आधार मान लिया जबकि उसमें जो फैसला न्यायालय का है, वह क्लियर है। उसके अन्तर्गत इसमें सारी कार्यवाही जज सरे-नो करनी चाहिए थी। दुबारा रिमांड का अर्थ ही यह था तो सब तथ्यों में जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई।

क्या मंत्री महोदय इस आधार पर और जो आपके 19-12-92 के आदेश हैं, जो खान विभाग-2 के जारी हुए हैं उन आदेशों में स्पष्ट तौर से वह ग्रांट में लागू नहीं होते हैं, नवीनीकरण पर लागू होते हैं। इन सारे प्रकरणों पर निदेशक महोदय ने गम्भीर मानते हुए जांच के आदेश क्यों दिये और उससे क्या बहुत बड़ा नुकसान राजकोष को नहीं हुआ? यह जानकारी आप दे दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला रिन्यूअल के टाइम पर भी उठा था। 1978 में 108 प्लाटों का डेलिनेशन सरकार के द्वारा किया गया। नोटिफिकेशन किये गये। एप्लीकेशन आयी और उनका निस्तारण कर दिया गया। नियम के अनुसार रिन्यूअल होना चाहिए था और रिन्यूअल के टाइम पर 18 एप्लीकेशंस ऐसी आयीं जो समयावधि में नहीं थीं क्योंकि रिन्यूअल के समय तीन महीने पहले एप्लीकेन्ट को एप्लीकेशन लगानी चाहिए। वह तीन महीने पहले न आकर साल भर बाद में आयीं और यह माना गया कि यह एप्लीकेशन प्रिमेच्योर है और इसको डी.एस. के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया।

खारिज होने के बाद में क्षेत्र स्वतः ही राज्य सरकार के अधीन आ गया। और जब क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन आ गया तो इन्हीं में से एप्लीकेन्ट ने, नौ व्यक्तियों ने तेरह प्लाट पर एप्लीकेशन्स लगा दीं। जबकि उस एरिया का जो एरिया खाली हो गया था, डिप्टी सेक्रेटरी के जो 18 रिन्यूअल एप्लीकेशन को खारिज करने के बाद में, उस एरिया पर नोटिफिकेशन होना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से। जब नोटिफिकेशन होना चाहिए था तो

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

उसके बाद में एप्लीकेशन लगनी चाहिए थी लेकिन नोटिफिकेशन से पहले ही एप्लीकेशन लगा दी गयी। तब वे एप्लीकेशन खारिज कर दी गयी, इसलिए खारिज कर दी गयी कि नोटिफिकेशन के पहले एप्लीकेशन लगी हैं। नोटिफिकेशन के बाद में लगती तो वे स्वीकार्य होती इसलिए वे एम.ई. के द्वारा खारिज कर दी गयीं। पार्टी फर्स्ट अपील में गयी, डी.एम.जी. के यहां वह खारिज कर दी गयीं। पार्टी सैकिण्ड अपील में गयी डिप्टी सैक्रेटरी (अपील) के यहां। वहां उन्होंने एक आर्डर दिया दिनांक 4-2-92 को कि मैरिट और डीमैरिट के आधार पर उनको स्वीकार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ कहां पैदा हुई? गड़बड़ यहां पैदा हुई कि इसी से कुछ लोग, ओ.एस.डी. अपील जो पहले होते थे, आफिसर स्पेशल आन ड्यूटी सेक्रेटेरियट में, उसको अपील सुनने का अधिकार नहीं था, डीम्ड टू रिफ्यूज का एम. एम. सी.आर. एक्ट, 1986 के अन्तर्गत ही अधिकार था, लेकिन उन्होंने आउट आफ वे जाकर उसकी सुनवाई की और उन्होंने भी एक आर्डर पास कर दिया। 4-2-92 का आदेश जो है डिप्टी सैक्रेटरी का दिया हुआ कि इन 13 एप्लीकेशन्स को मैरिट और डीमैरिट के आधार पर तय कर दिया जाए, वापस भेज दिया।

लेकिन दूसरा साइमल्टेनियसली आर्डर जो हुआ 22–2–92 को। वहां जो ओ.एस.डी. ने एक आर्डर पास किया कि 20 परसेंट पैनल्टी लेकर इनको स्वीकार कर लिया जाए। अब अध्यक्ष महोदय, यह आर्डर ओ.एस.डी. के द्वारा गलत जारी किया गया क्योंकि उन्होंने जो एक प्रोविजन था, 23-8-90 का जो आर्डर था, उसके मुताबिक 23-8-90 का आर्डर यह था कि जब मकराना में दंगे हुए, उसमें रिकार्ड खतम हो गया था। और रिकार्ड खतम हो गया था तो उसके स्थान पर यह प्रशासनिक आदेश हुए कि 20 परसेंट पैनल्टी लगाकर ऐसी एप्लीकेशंस को जो प्रिमेच्योर एप्लीकेशन हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाए।

अब यह साइमल्टेनियसली आर्डर हो गये। उस पर डिप्टी सैक्रेटरी ने एक आदेश जारी कर दिया 3-4-92 को कि क्योंकि यह दोनों साइमल्टेनियसली आर्डर, विरोधाभासी आर्डर हैं, डिप्टी सैक्रेटरी (अपील) दूसरी बात कहते हैं और ओ. एस. डी.(अपील) दूसरी बात कहता है। और दोनों को यह विरोधाभासी आदेश मानते हुए 3-4-92 को एक आदेश जारी किया, स्थगित का आदेश दिया। स्टे आर्डर दे दिया और यह तय किया कि इस प्रकरण की पूरी जांचकर, क्योंकि इस सम्बन्ध में पहले 295 में विशेष उल्लेख भी सदन में आया हुआ है जो माननीय परसरामजी मोरदिया का है, उसमें भी यह आश्वासन दिया गया था कि जांचकर हम इन प्लाटों पर जो कार्यवाही करनी है, करेंगे।

उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही शुरू हुई। ओ.एस.डी.के आर्डर को डिप्टी सैक्रेटरी ने खतम कर दिया, रद्द कर दिया। और फिर पुनः डिप्टी सैक्रेटरी

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

ने यह आदेश निकाला कि 4-2-92 का जो आदेश डिप्टी सेक्रेटरी ने पहले दिया था, मैरिट और डीमैरिट के आधार पर एप्लीकेशन इन्वाइट करने का, उसको मानकर इनको सुना जाए। और उसके अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच एप्लीकेशन, पांच आवेदन स्वीकार किये गये और बाकी फार्मलटी पूरी नहीं करने की वजह से रद्द कर दिये गये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है। पांच करोड़ रुपये की इसमें हेरा-फेरी है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता। प्रश्न-कर्ता पूछेंगे पहले।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने आपसे यह निवेदन किया कि खान ग्रुप-2 विभाग का 19-12-92 का आदेश, जिसमें स्पष्ट तौर से नियम 60 के अन्तर्गत यद्यपि प्रिमेच्योर प्रार्थना-पत्र का सिद्धांत क्वारी लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्रों पर लागू नहीं किया गया है, परन्तु उक्त नियमावली के नियम के अंतर्गत पूर्व में आवंटित किये गये क्षेत्र को पुनः आवंटन से पूर्व विज्ञापित करना अपेक्षित है।

मेरा निवेदन यह है इसमें दुबारा विज्ञप्ति जारी करना जरूरी था। और जारी करते ही गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये की आय होती और इस मामले को आपके डायरेक्टर ने मान लिया और जांच के आदेश दे दिये। और आप इसके विपरीत बात कर रहे हैं।

इसलिए जांच के आदेश किन मामलों को लेकर दिये और आपके डायरेक्टर के और आपके उत्तर के बीच में विरोधाभास क्यों है ?

(12.00 बजे)

श्री हीरालाल इन्दोरा : नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि 4-2-92 के आदेश की पालना करनी चाहिये थी। 4-2-92 के आदेश सब-जुडिशियल हैं और डिप्टी सेक्रेटरी माइन्स का दिया हुआ है। और उसने जब डिसीजन दे दिया तो उसके डिसीजन के बाद पार्टी हाई कोर्ट में जाए। तो नोटिफिकेशन का सवाल ही कहां पैदा होता है ? (व्यवधान) नोटिफि-केशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : रिमांड की गयी, दुबारा कार्यवाही के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं निवेदन कर रहा था। मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है साहब, एक मिनट के लिये जवाब दिलवा दीजिये। अरबन को-आपरेटिव बैंक का पांच करोड़ रुपया हमारे बी.जे.पी. के साथी ने एक ही परिवार के गरीब, हरिजनों का पैसा, कास्ट और ट्राइब के लोगों का पैसा....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : तथ्यों के आधार पर दुबारा कार्यवाही करना अपेक्षित है। उस बात का वह फैसला है न कि वह फैसला इस बात का दे दिया फाइनल। इसलिए यह करोड़ों रुपयों का मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जांच इस मामले में पेंडिंग.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बहुत जरूरी प्रश्न है। पांच करोड़ रुपये का घोटाला है। आप स्टेटमेंट तो दिलाइये गवर्नमेंट से। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और 19-12-92 के खान विभाग के आदेश की पालना इसमें नहीं की जा रही है। यह मामला गंभीर है। (व्यवधान) और नियम 60 के अंतर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के अलग अलग आदेश प्रदान करें। मामला यह है। (व्यवधान) इसलिए सारे प्रकरण की, पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच कराइये।

श्री रतन लाल ताम्बी : और सारी विज्ञप्तियों को... (व्यवधान) करने के बाद में...(व्यवधान) कार्यवाही करके..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह पांच करोड़ खा गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, 17 करोड़ रुपये खा गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में कामर्शियल अरबन को-आपरेटिव बैंक में और बिजली के बिल भी जमा नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पांच करोड़ का यह घोटाला हुआ है। (व्यवधान) मेहरबानी, जो आप दिल्ली में भी गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। प्रश्न काल समाप्त।

डा. जसवन्त सिंह (मण्डावर) : विधान सभा परिसर के बैंक में घोटाला हो गया। मेरे भी पैसे उसमें हड़प कर लिये गये। मेरे पास खाना खाने के लायक पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुननी जरूरी है। विधान सभा परिसर में पैसे जमा कराये गये। आज मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं दोपहर का खाना कहां से खाऊंगा? अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी जरूरी है। लाखों रुपयों का घोटाला हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रहे हैं ? बाद में बात कीजिये । प्रश्न काल समाप्त । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लोग तो राजस्थान की जेब खाली कर गये, राजस्थान भूखा मर रहा है । आप तो सारे राजस्थान की जेब की जेब खाली कर गये, राजस्थान की जेब खाली कर गये । सारा राजस्थान भूखा मर रहा है । कहां से आएंगे पैसे ? सारे राजस्थान की जेब खाली कर गये आप लोग । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये दोनों ही खा गये । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अरबन कोआपरेटिव बैंक में गरीब किसानों और हरिजनों का, मजदूरों का पैसा था.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की जेब काट ली । इन्होंने तो राजस्थान की जेब काट ली ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, बैठिये । (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा परिसर में घोटाला हुआ है । मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं खाना कहां से खाऊंगा ? मेरे पैसे हड़प लिये । मैंने पैसे जमा कराये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । आपको मैंने अनुमति नहीं दी है । आप बैठिये ।

डा. जसवन्त सिंह : पर मैं रोटी कहां से खाऊंगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, आज का खाना मैं खिला दूंगा इनको । मैं खिला दूंगा । भूखे मत मरो, भूखे मर रहे हो तो । (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : इस राज में विधान सभा परिसर में भी घोटाला हो रहा है । इससे बड़ा और क्या कांड होगा ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : जहां विधायक सुरक्षित नहीं हो, वहां (व्यवधान) एक बात थी.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी अपील है.... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये । (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की तमाम राशि इस बैंक में जमा है और अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि हमारी उस राशि का क्या हुआ और पैसे का भुगतान किया जाएगा । इसके

(श्रीमती कमला)

बारत में एक विस्तृत विवरण तो सदन में दिया जाना चाहिये। हम लोगों की सारी राशि इस बैंक के अंदर जमा थी।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से बात है उसमें... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक पैसा हमारी जेब में नहीं है। वह सारे पैसे हड़प गये ....(व्यवधान) विधान सभा परिसर में ऐसा हो रहा हो ...(व्यवधान) यहीं विधान सभा में.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं .. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो.... (व्यवधान) खा गये। बैंक का घोटाला यहीं का विधान सभा का... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधान सभा परिसर में घोटाला हुआ है। (व्यवधान) हमने अपनी इच्छा से बैंक में खाता नहीं खोला था। (व्यवधान) विधान सभा ने कहा कि.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप अपने विचार मंथन से....(व्यवधान) आप बड़े गंभीर हैं और घटना आपके....(व्यवधान) धरने के ऊपर बैठी है... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : और मेरे पास तो एक रुपया भी खाना खाने का नहीं है। भूखा मर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन खा गये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों की राशि जमा थी, वह सारी राशि ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा के माननीय सदस्य भूखे मर रहे हैं। आप भूखे मर रहे हो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं शुक्रवार को बैंक में गया था। मेरी सारी रकम गायब है। मेरे अकाउंट में 13,000 रुपये जमा मिले। बाकी सारी रकम गायब कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मेरा एक का मसला नहीं है, सारे माननीय सदस्यों का मसला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो बैंक यहां काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यहां पर बिल शाखा में जाते हैं और अपने बिलों पर टी.ए., डी.ए. पर दस्तखत कर देते हैं, वह पैसा बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक भी माननीय सदस्य को आज तक पास बुक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिए हम आसन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी छत्रछाया में विधान सभा परिसर में जो बैंक है, वहां हमारे खातों में राशि का ही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पता नहीं है। कृपया इसको तो आप कोई न कोई व्यवस्था कीजिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : हम अपने खाते में पैसा जमा कराते हैं और खाते में पैसे नहीं है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कल एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई।(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधायक के खातों में बचा हुआ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत बड़ा गंभीर मामला है। विधान सभा परिसर में जो बैंक है, इसमें माननीय सदस्यों के सारे पैसे, तनख्वाह के जमा होते हैं। वहां के कैशियर के खिलाफ गबन का एक आरोप लगा। कल एफ.आई.आर. दर्ज करायी है मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि विधान सभा परिसर के बैंक में जहां विधायकों के साथ इस तरह धोखाधड़ी हो जाए। माननीय सदस्य ने परसों 20,000 रुपये जमा कराये... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : नहीं-नहीं, एक महीना हो गया। 2 फरवरी को पैसे जमा कराये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य मुझे आज मिले थे। माननीय सदस्य मिले थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मेरा निवेदन आपसे इतना है, अध्यक्ष महोदय, यह मामला चूंकि सारा सदन देख रहा है, यह सारे राजस्थान में बात जाएगी। राजस्थान विधान सभा परिसर के बैंक में इस तरह हुआ। इस पर वक्तव्य आ जाए, थोड़ा इन्तजाम हो जाए कि माननीय सदस्यों की राशि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह वक्तव्य कौन देगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्री। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधान सभा बैंक में हमारी इच्छा से तो हमने खाता खोला ही नहीं। विधान सभा को जो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। (व्यवधान) आप जरा सुनिये। मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे यह जानकारी दी थी कि हमारी जो धनराशि है, वह जमा नहीं की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी दिन की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सचिव और विशिष्ट सचिव से इस संबंध में तथ्यों की जानकारी करके, और मुझे जानकारी देने के संबंध में उनसे निवेदन किया था कि आप आज यह मालूम करिये कि यह अमाउण्ट कितना था और किन-किन का था ? और यह स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर है, इसलिए जो कुछ भी कार्यवाही इस संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में होगी, उनसे प्राप्त करके वहां के जनरल मैनेजर यहां पर है, उसी तरह से कार्यवाही की जाएगी। अब यहां आज स्टेटमेंट कौन देगा .... (व्यवधान) व्यवस्था संबंधी ... (व्यवधान) बैंक में बात कर लेंगे ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : महीनों से यह गोरखधन्धा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर देंगे, साहब, जवाब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अरबन को-आपरेटिव बैंक, गंगानगर का तो जवाब दिला दीजिये। अरबन को–आपरेटिव बैंक, श्रीगंगानगर का स्टेटमेंट तो दिला देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे दें। एफ.आई आर. दर्ज हुई है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं किसानों, विधवा, गरीब हरीजनों....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ का घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घोटाला किया है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बीच में यह क्या मामला हो गया? मेरा कोई जवाब ही नहीं आया इसमें। (व्यवधान) मैंने बाद में जो पूछा उसका कोई उत्तर ही नहीं आया। (व्यवधान) मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अरबन को-आपरेटिव बैंक में ... (व्यवधान) और डेढ़ करोड़ का घोटाला हो गया। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और करोड़ों रुपये का इसमें नुकसान हो रहा है। (व्यवधान) वहां अधिकारी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। और सारे मामले की न्यायिक जांच .... (व्यवधान) सारे मामले की जांच गहन रूप से हो। इतना गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर :...(व्यवधान) खा गये। विधवा और बेसहारा महिलाएं बैठी हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीमेंट को डकार गये। (व्यवधान) उस सबकी भी जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजें।(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : साहब, स्टेटमेंट तो दिलवा दीजिये। कमाल की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बात कर रहे हैं आप। वह देने को तैयार हैं, सरकार यहां बैठी है। सरकार के पास में स्टेटमेंट नहीं है तो स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

'अ' श्रेणी चिकित्सालय धौलपुर में रिक्त पद

430. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर मुख्यालय पर 'अ' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय में वर्तमान में दो चिकित्सक हैं, जबकि उक्त चिकित्सालय में पांच चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

जिला मुख्यालय धौलपुर में संचालित विभागीय 'अ' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय में, वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के दो पद सृजित हैं तथा दोनों ही पदों पर आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित हैं।

सांचोर कृषि मण्डी के चुनाव

432. श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचोर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचोर में कृषि मण्डी व मार्केटिंग के चुनाव गत 10-12 वर्षों से नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो अब सरकार कब तक चुनाव कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। नियमों में संशोधन के परिपेक्ष्य में मामला विचाराधीन है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जालोर के लेखा कर्मी के विरुद्ध लम्बित जांच

563. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशक कोष एवं लेखा विभाग;

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

में कितने लेखा कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और इसमें कितने कर्मी जालोर जिले के हैं तथा उनके विरुद्ध कब से जांच विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालोर के एक लेखा कर्मी के विरुद्ध छः वर्ष से जांच विचाराधीन है ? क्या उक्त अवधि में पांच जांच अधिकारी बदले गये तथा दो जांच अधिकारियों ने तीन बार जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उक्त जांच निस्तारण नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि तीनों जांच प्रतिवेदनों में कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ? यदि हां, तो उसे तथा उसके परिवार को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाये गये हैं उसे उपलब्ध कराने का दायित्व आरोप लगाने वाले अधिकारी का है ? यदि हां, तो छः वर्ष में भी यदि अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजात जांच अधिकारी/उपस्थापक अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उसका दण्ड आरोपी कर्मचारी भुगते ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोष एवं लेखा विभाग में वर्तमान में 38 लेखाकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच के प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें से श्री भंवरलाल गोप जालोर जिले का है। श्री गोप के विरुद्ध दिनांक 10-6-93 से जांच विचाराधीन है।

(2) जी, हां। श्री भंवर लाल गोप के विरुद्ध 5 वर्ष 10 माह में जांच विचाराधीन है। उक्त अवधि में 2 बार जांच अधिकारी बदले गये हैं। वर्तमान में जांच अधिकारी ने 2 बार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जो अपूर्ण पाये गये। जांच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण जांच का निस्तारण नहीं किया जा सका।

(3) जांच पूरी होने पर ही आरोपों को प्रमाणित होने या न होने का पता चल सकेगा। श्री भंवर लाल गोप के या उनके परिवार को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) दस्तावेजात उपलब्ध कराने का दायित्व अभियोजन पक्ष का होता है। मूल दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उपलब्ध नहीं कराये जा सके। जहां तक दण्ड देने या न देने का प्रश्न है यह विभागीय जांच के पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जाता है। लम्बे समय तक अभिलेख नहीं मिलने के कारणों की जांच करवा ली जायेगी।

अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं के विरुद्ध जांच

564. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर नागौर ने सदस्यों की शिकायत पर अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं के विरुद्ध उप निदेशक महिला बाल विभाग, नागौर से कराई और जांच रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जा चुकी ? क्या जांच में अध्यक्ष को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कलेक्टर को कब प्राप्त हुई तथा कलेक्टर ने उक्त रिपोर्ट सरकार को कब भेजी ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी, हां । जांच में अध्यक्ष को बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं बुलाने के लिये दोषी पाया है । जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को दिनांक 21-5-97 व 30-7-97 को प्राप्त हुई तथा जिला कलेक्टर द्वारा उक्त रिपोर्ट सरकार को दिनांक 1-4-98 को भिजवाई गई, जिस पर कार्यवाही की जाकर अध्यक्ष को निलम्बित कर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु भेजा जा चुका है । जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सदस्य नगरपालिका नागौर का निलम्बन प्रकरण

565. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगरपालिका नागौर द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध संयुक्त विधि परामर्शी (द्वितीय) ने न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो किस दिनांक को तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ? अब तक निर्णय नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या उक्त सदस्य ने सदस्यता से निलम्बन पर उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त किया था ? यदि हां, तो सरकार ने स्थगन आदेश को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, हां । नगरपालिक, नागौर के पार्षद श्री हनुमानराम प्रजापत के विरुद्ध संयुक्त विधि परामर्शी (द्वितीय) ने न्यायिक जांच रिपोर्ट दिनांक 26-9-98 को दी है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी, हां । स्थगन आदेश अपास्त कराने के लिए कार्यवाही जारी है ।

विद्याधर नगर जयपुर के सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर का विद्युतीकरण

566. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विद्याधर नगर जयपुर के सैक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर पर विद्युतीकरण की कोई विशेष योजना है? यदि हां, तो विद्युतीकरण की विशेष योजना का क्रियान्वयन कब तक किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त शॉपिंग सेन्टर पर कितनी दुकानें वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन हैं जिनको नीलामी प्रक्रिया द्वारा बेचा जाना प्रस्तावित है? उक्त दुकानों के नम्बर क्या-क्या हैं? अब सरकार उक्त दुकानों को कब तक नीलाम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर जयपुर के सैक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कोई विशेष योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) विद्याधर नगर सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर पर कुल 23 दुकानों के भूखण्ड प्राधिकरण के अधीन हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

साईज (फुट)	दुकान नम्बर	कुल योग
10×10	8,9,10,17 से 24	11
10×20	13 से 16, 19,21से24	09
15×30	8	01
22.6×15	2ए,5ए	02
		23

उक्त दुकानों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1999–2000 में नीलामी द्वारा विक्रय करने का प्रस्ताव है।

अजमेर में बहुमंजिले व्यावसायिक भवन प्रकरण

567. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों में भवन निर्माण हेतु कितनी मंजिल तक भवन बनाने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है ? क्या नगर परिषद अजमेर की सीमा में भवन निर्माण करने के लिए कोई उप नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उसमें कितनी जमीन पर कितने मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है ? उपनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद सीमा अजमेर में व्यावसायिक भवनों का शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन भवन मालिकों को शुल्क वसूल करने के नोटिस दिये गये और कितनी राशि वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या दरगाह शरीफ के पास लंगरखाना गली के पास रिहायशी क्षेत्रों में होटल एवं रेस्ट हाऊस संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या ख्वाजा महल होटल भी संचालित है ? क्या सैयद अब्दुल गनी के होटल/भवन में गेस्ट हाउस चलाया जा रहा है ? क्या इससे व्यावसायिक शुल्क वसूला गया है ? उक्त भवन कितने मंजिल का है तथा कितनी मंजिल का नक्शा पास है ? नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने बिना नक्शा पास कराये उप नियमों के विरुद्ध निर्माण कर रखा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए नियमानुसार कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि बहुमंजिले भवनों से जो जानमाल का खतरा बना रहता है ? क्या उक्त भवन तकनीकी दृष्टि से सही बना हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या भविष्य में उक्त भवन में जानमाल की हानि नहीं होगी ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो इस अवैध निर्माण के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अलग-अलग शहरों हेतु उनके बायलाज के अनुसार भवन बनाने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है । जी हां । नगर परिषद अजमेर की सीमा में भवन निर्माण करने के लिए उप-नियम बने हुए हैं । उप-नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी, हां । नगर परिषद अजमेर सीमा में व्यावसायिक भवनों के मालिकों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

को शुल्क वसूल किये जाने हेतु दिये गये नोटिस एवं वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। ख्वाजा महल होटल भी संचालित है, सैयद अब्दुल गनी के होटल/भवन में गेस्ट हाऊस चलता है जो ख्वाजा महल होटल के नाम से है। इससे व्यावसायिक शुल्क वसूल नहीं किया जाना आयुक्त, नगर परिषद ने अवगत कराया है। उक्त भवन मय सतह सात मंजिल का है तथा इसका सतह मंजिल सहित तीन मंजिल का नक्शा पास है। नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसकी मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस समस्त मामले की जांच करवाई जायेगी।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 में अवगत कराया जा चुका है कि मामले की जांच करवाई जायेगी एवं समुचित कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जायेगी।

(5) भाग संख्या 3,4 में इसका उत्तर सम्मिलित है।

(6) जांच के पश्चात समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति क्षेत्र बालोतरा के नलकूप

568. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम मोहनपुरा में जी. डब्ल्यू.डी. द्वारा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ट्यूब वैल खोदने के लिए पर्याप्त पानी है? यदि हां, तो ट्यूब वैल कब तक खोद दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि बागावास मोहनपुरा, मेघवास और वाणियावास में ट्यूब वैल के तैयार नहीं करवाने से पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम बागावास, मोहनपुरा तथा वाणियावास, मेघवास में जल सर्विस स्तर क्रमश: 45,50,25 एवं 25 एल.पी.सी.डी. हैं, इसके अतिरिक्त ग्राम मोहनपुरा में 3 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। मेघवास व वाणियावास में सर्विस स्तर बढ़ाने हेतु जल स्रोत के संवर्धन की योजना स्वीकृत कर, कार्य प्रगति पर है।

जाखम सिंचाई परियोजना से पेयजल आपूर्ति

569. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगर को पेयजल सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जाखम सिंचाई परियोजना से पेयजल आपूर्ति की योजना स्वीकृति की थी ?

(2) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब से कार्य चल रहा है और अब तक क्या प्रगति हुई ?

(3) उक्त पेयजल योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

(4) प्रतापगढ़ नगर एवं जाखम सिंचाई परियोजना के बीच आने वाले किन किन गांवों को इस पेयजल योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना पर मई, 1996 से कार्य चल रहा है। इस योजना पर 28.5 कि.मी. मुख्य पाइप लाइन व फिल्टर प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है। सिविल कार्य व वितरक पाइप लाइन एस.आर. व सी. डब्ल्यू.आर का कार्य प्रगति पर है। पावर कनेक्शन का मांग पत्र जमा करवा दिया गया है।

(3) उक्त योजना को वर्ष 2000 तक करने का लक्ष्य है।

(4) इस योजना में बीच में आने वाले 13 गांवों को इस पेयजल से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील नावां की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

570. श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नावां के कुचामन एवं नावां सहायक अभियंता क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से कार्य किस-किस गांव में इस वर्ष स्वीकृत हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? अब इन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) नावां तहसील में 78 हैण्डपम्प खराब हैं। इनमें से 13 हैण्डपम्प इस माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के अन्त तक ठीक करा दिये जायेंगे शेष 65 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उदयपुर शहर की मानसी वाकल पेयजल योजना

571. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी-सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर में पानी की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है ?

(2) क्या सरकार द्वारा उदयपुर शहर में मांग के अनुसार प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उदयपुर में पेयजल के मुख्य स्रोत फतेहसागर, पिछोला, स्वरूप सागर में पानी वितरण के लिए कब तक का पानी है और यदि पेयजल की कमी है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि मानसी वाकल से पानी लाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि उदयपुर की झीलों का पानी प्रदूषित है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण के कारण और बचाव के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) लगभग 100 लीटर।

(2) जी, नहीं। गत वर्ष अपर्याप्त व विकीर्ण (स्केटर्ड) वर्षा के फलस्वरूप नगर के प्रमुख स्रोतों में पानी की आवक काफी कम रही है जिससे आगे की मांग को ध्यान में रखते हुए सीमित जल वितरण किया जा रहा है।

(3) उदयपुर में मुख्य सतही स्रोतों में जल वर्तमान में की जा रही जलापूर्ति के अनुरूप आगामी माह सितम्बर 99 तक पर्याप्त है। तब तक आगामी वर्षा ऋतु से जल प्राप्त होने की आशा है।

(4) जी, हां। योजना की क्रियान्विति वर्तमान में स्थानीय जनता के विरोध के कारण रुकी हुई है।

(5) यह सही है कि उदयपुर की झीलों का पानी प्रदूषित है; परन्तु विभाग द्वारा इस जल को फिल्टर प्लान्ट द्वारा स्वच्छ कर एवं क्लोरीन मिलाकर डिसइन-फेक्ट कर ही वितरित किया जाता है। शहर के कई क्षेत्रों से नाले सीधे तालाबों में गिरते हैं, जिनमें गन्दगी आती है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को इस हेतु प्रस्ताव बनाने हेतु नगर विकास न्यास द्वारा कन्सलटेन्सी का कार्य दे रखा है।

ग्राम बापी (दौसा) की पेयजल समस्या का समाधान

572. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्रामीण बापी तहसील दौसा में पेयजल व्यवस्था हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या ग्राम बापी में लगे हुए हैण्ड पम्पों के फ्लोराइड युक्त पानी है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में टंकी बना कर पेयजल योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त गांव के पास बाणगंगा नदी में टंकी बनाकर ग्राम खुरी को पेयजल की सप्लाई की जा रही है किन्तु बापी गांव में इस टंकी में पेयजल की व्यवस्था नहीं की जा रही है ?

(5) क्या सरकार उक्त योजना से ग्राम बापी को भी जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी, हां । परन्तु सभी हैण्ड पम्पों में फ्लोराइड की मात्रा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है ।

(3) जी नहीं । ग्राम में पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प कार्यरत हैं ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

जिला मुख्यालय धौलपुर के खण्डीय भण्डार का चोरी प्रकरण

573. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर मुख्यालय स्थित खण्डीय भण्डार में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में चोरी की वारदात हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त चोरियों का खुलासा हो सका है और नहीं, तो वर्तमान में उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच किस स्तर पर चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी की उक्त वारदातों में विभाग की ओर से विभागीय जांच भी की गई जिसमें कुछ व्यक्तियों को दोषी माना गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) खण्डीय भण्डार धौलपुर में वर्ष 1994-95 तथा 95-96 में चोरी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की वारदात हुई है। पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। वर्तमान में पुलिस द्वारा उक्त वारदातों में एफ.आर. लगा दी है।

(2) वर्ष 94-95 में हुई चोरी की जांच करवायी गयी थी जिसमें श्री अरूण प्रसाद मिश्रा कनिष्ठ लिपिक (भण्डारपाल) एवं श्री हबीब खां चौकीदार प्रथम दृष्टतया दोषी पाये गये। उक्त दोनों कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 95-96 में हुयी चोरी की जांच में श्री कुन्ज बिहारी लाल, कनिष्ठ लिपिक (भण्डारपाल) दोषी पाया गया जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है उपरोक्त तीनों कर्मचारियों को भण्डार से हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगा दिया गया है।

ग्राम नांगल एवं बागोरा(उदयपुरवाटी) से बजरी पत्थर की रायल्टी वसूली प्रकरण

574. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम नांगल तथा बागोरा की सीमा क्षेत्र से बजरी तथा पत्थर उठाने पर रायल्टी का ठेका किस-किसको कितनी-कितनी अवधि का दिया हुआ है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में किसी को लीज दी हुई है ? यदि हां, तो किन-किनको कितने-कितने क्षेत्र की तथा किस-किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बागोरा क्षेत्र में पत्थर का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। उदयपुरवाटी तहसील के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ नांगल क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए खनिज चेजा पत्थर की अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका संविदा निष्पादन की तिथि से 31-3-99 तक की अवधि हेतु दिनांक 27-3-97 को नीलाम किया गया था, जिसमें से श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह द्वारा उच्चतम बोली रुपये 1,76,500/— वार्षिक लगाई गई। श्री मंगलसिंह द्वारा न्यायालय में दायर वाद में न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण नीलामी के बाद उक्त ठेके की स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 19-2-99 को खारिज किये जाने के बाद ठेके की शेष अवधि हेतु स्वीकृति दिनांक 26-2-99 को जारी की गई एवं संविदा निष्पादन दिनांक 3-3-99 को 31-3-99 तक की अवधि के लिए श्री प्रहलाद सिंह के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात 31-3-99 को श्री प्रहलाद सिंह द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सीकर में दिनांक 31-3-99 को स्थगन लिये जाने के

(राज्य मंत्री, खनिज)

कारण उक्त क्षेत्र का ठेका वर्तमान में उनके पक्ष प्रभाव में है। खनिज बजरी हेतु अधिशुल्क संग्रहण एवं परमिट शुल्क वसूली हेतु ठेका झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बागोरा, नांगल व जिला सीकर के क्षेत्रों का श्री किशोर पारीक के पक्ष अवधि 12-9-97 से 11-9-99 तक वार्षिक ठेका राशि 12,56,000/- पर स्वीकृत एवं प्रभाव में है। उक्त ठेका के अन्तर्गत नांगल एवं बागोरा क्षेत्र भी स्थित है।

(2) जी, हां। खनिज चेजा पत्थर के लिए केवल नांगल क्षेत्र में एक खनन पट्टा श्री मंगलसिंह के पक्ष अवधि 7-4-88 से 6-4-98 तक स्वीकृत है, जिसका वर्तमान में नवीनीकरण विचाराधीन है। उक्त चेजा पत्थर का खनन पट्टा दो ब्लाकों में 1200×400 वर्ग फीट एवं 1500×400 वर्ग फीट क्षेत्र का है। खनिज बजरी की कोई लीज नहीं दी गई है।

तहसील लूणकरणसर के गैरखातेदारी प्रकरण

575. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पटवार हल्का दुलमेरा व धीरेरा में बारानी क्षेत्र के गैर खातेदार काश्तकार हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब कब तक खातेदारी अधिकार दिये जा सकेंगे ? गैर खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

राजस्व तहसील लूणकरणसर के पटवार मण्डल दुलमेरा और धीरेरा में बारानी क्षेत्र में कुल 38 गैर खातेदार काश्तकार हैं। इन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने के कारणों का परिशिष्ट-1 के कालम-7 में उल्लेख कर दिया गया है। गैर खातेदारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम चोमका (जमवारामगढ़) की खसरा नम्बर 1274/2 भूमि पर अतिक्रमण

576. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चोमका तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में खसरा नं. 1274/2 पर एक बांध एवं श्मशान घाट तथा चारागाह बना हुआ था? यदि हां, तो क्या अब भी उक्त भूमि पर उक्त स्थिति यथावत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सार्वजनिक भूमि पर वर्तमान में गांव के बाहर के किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है या उक्त व्यक्ति ने उक्त खसरा नं. की भूमि को अपने नाम से नामांतरण करवा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

रखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित हो सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि किसी व्यक्ति ने अधिकारियों की मिली भगत से अपने नाम आवंटित करवा ली है? यदि हां, तो क्या इससे ग्रामवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि के आवंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । ग्राम चोमका तहसील जमवारामगढ़ के ख.नं.1274/2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री डूंगरसी पुत्र तेजाराम मीणा हि. 1/2, सा देह व श्री किशनलाल पुत्र श्री भोरीलाल मीणा निवासी ग्राम साईवाड़ ढाणी हि. 1/2 की खातेदारी में दर्ज है । ख.नं. 1274/1 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा जयपुर विकास प्राणिकरण की खातेदारी में दर्ज है । उसमें एक बांध तथा वर्ष 1998 में बना श्मशान भी है । उक्त स्थिति यथावत है ।

(2) जी नहीं । उक्त ख नं. 1274/2 खातेदारी भूमि है । ग्राम चोमका का मूल ख.नं.1274 का कुल रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा किस्म सिवाय चक था । उक्त भूमि का वर्ष 1966 तथा 1971 में नियमन किये जाने पर भूमि ख.नं. 1274/1, 1274/2, 1274/3 तथा 1274/4 बने हैं ।

ख नं. 1274/2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा का नियमन दिनांक 11-3-66 को श्री माधोलाल पुत्र शिवसहाय ब्राह्मण सा. जमवारामगढ़, ख. नं. 1274/3 रकबा 3 बीघा वर्ष 1971 में श्री गुल्ला पुत्र नारायण जाति गूजर को तथा ख.न. 1274/4 रकबा 2 बीघा भूमि का नियमन भोरया, पेमला पि. बोज्या गूजर को भी वर्ष 1971 में नियमन होने पर उक्त भूमियों की खातेदारी उनके नाम दर्ज है ।

उक्त खातेदार श्री माधोलाल ने अपनी खातेदारी भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 3–11–95 को डूंगरसी पुत्र तेजा राम मीणा निवासी चोमका हि. 1/2 तथा किशनलाल पुत्र भोरीलाल मीणा निवासी साईवाड़ हि. 1/2 को कर दिया है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी उपरोक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज है ।

(3) जी, नहीं । ख-नं. 1274 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा में से वर्ष 1966 तथा 1971 में ही 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया था । शेष 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है ।

कैलाश नगर (सिरोही) का उप–तहसील प्रकरण

577. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या सरकार जिला सिरोही की तहसील शिवगंज के कैलाश नगर में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या जिला प्रशासन के स्तर पर कैलाश नगर में उप तहसील खोलने के विषय में प्रस्ताव पर विचार किया गया है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में जिला प्रशासन स्तर पर कस्बा कैलाश नगर में उप तहसील स्थापित करने के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम अनंतपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं की अवाप्त भूमि

578. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत जिला जागीरदार की रेकार्ड में खुदकाश्त की भूमि दर्ज है, उसे अवाप्त नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम अन्नतपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर में जिन जागीरदारों की भूमि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त की गई उसके साथ रेकार्ड में दर्ज खुदकाश्त की भूमि भी अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो खसरा नं. 50 रेकार्ड में किस श्रेणी के रूप में दर्ज है? क्या इस भूमि को इस अधिनियम के तहत अवाप्त किया जा सकता है? यदि नहीं, तो इसे क्यों अवाप्त किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत जिस जागीरदार की रेकार्ड में खुदकाश्त भूमि दर्ज है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त करने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं। ख.नं. 50 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. चाह मिसल बन्दोबस्त सं. 2019 से 23 में माफी राम बिहारी पुत्र गंगाधर ब्रा. पुरोहित सा. जयपुर के नाम खुदकाश्त माफी खातेदार दर्ज है। सूची (परिशिष्ट-क) संलग्न है। वर्तमान में उक्त ख. नं. 50 का नवीन ख. नं. 75 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु. चाह श्री राम बिहारी पुत्र गंगाधर की खातेदारी में है। सूची (परिशिष्ट-ख) संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

अतः उक्त ख.नं. संवत 2019 से 2055 तक खुदकाश्त के राम बिहारी पुत्र गंगाधर की खातेदारी में ही रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

उप तहसील सिद्धमुख (चूरू) का क्रमोन्नयन

579. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नई तहसील गठित करने के क्या-क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष नई तहसील गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस–किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार तहसील राजगढ़ जिला चूरू की उप तहसील सिद्धमुख को तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक सामान्य तहसील क्षेत्र में तहसील स्थापित करने हेतु 40 पटवार मण्डल, रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु 30 पटवार मण्डल व आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये 20 पटवार मण्डल का मापदण्ड मजिठिया समिति द्वारा निर्धारित किया हुआ है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न संख्या 580

(स्थगित)

ग्राम जाहोता (जयपुर) का लम्बित कृषि कनेक्शन

581. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाहोता, जिला जयपुर के एक व्यक्ति ने वर्ष 1992 में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया था ? क्या मण्डल ने उसको दिनांक 22-3-96 को मांग-पत्र जारी किया तथा प्रार्थी ने रसीद संख्या 69763 दिनांक 15-4-96 द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवा दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विद्युत कनेक्शन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो फिर चार साल व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उसे विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया जबकि उनके बाद के व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिया

(श्री हीरासिंह चौहान)

गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) अब सरकार उसे कब तक विद्युत कनेक्शन जारी करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला जयपुर के ग्राम जाहोता में श्री छिगना, हीरा पुत्र मूराराम खटीक द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी में कृषि कनेक्शन दिए जाने हेतु दिनांक 4-6-1992 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था । मण्डल द्वारा दिनांक 22-3-1996 को मांग पत्र जारी किया गया था तथा आवेदक द्वारा दिनांक 15 4-1996 को मांग-पत्र की राशि जमा करा दी गई है ।

(2) जी, हां । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाती है । ग्राम जाहोता निवासी श्री छिगना, हीरा पुत्र मूराराम खटीक को कृषि कनेक्शन दिए जाने हेतु मांग-पत्र में यह स्पष्ट बता दिया गया था कि सामान्य प्राथमिकता संख्या–83 के लाइन का कार्य पूर्ण होने पर ही आवेदक को कनेक्शन दिया जा सकता है अन्यथा लाइन में लगने वाली अतिरिक्त लागत जमा करानी होगी । आवेदक द्वारा इस आशय को लिखित में स्वीकृति दी गई । लेकिन साधारण प्राथमिकता संख्या 83 के लाइन कार्यों में पड़ौसियों द्वारा व्यवधान, ऐतराज किए जाने के कारण लाइन कार्य नहीं किया जा सका । अतः उक्त आवेदक को जरिये नोटिस दिनांक 2-5-1996 से सूचित किया गया कि प्राथमिकता संख्या-83 के कार्य में बाधा आने के कारण आपको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है एवं यदि आपको लाइन शीघ्र खिचवानी है तो अनुमान की भिन्नता राशि जमा कराने के लिए सहमति प्रदान करें अन्यथा आपकी पत्रावली प्रा.सं 83 की लाइन खींचने तक लम्बित कर दी जावेगी । इस पर भी आवेदक द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिए जाने पर उसकी प्राथमिकता स्थगित कर दी गई । प्राथमिकता संख्या-83 का तकमीना ऐतराज दूर करते हुए संशोधित मांग-पत्र की राशि जमा कराने पर दिनांक 27-2-1999 को कार्य पूर्ण कर दिया गया । तत्पश्चात श्री छिगना, हीरा पुत्र मूराराम खटीक के एल.टी. लाइन का कार्य करने हेतु पार्टी भेजी गई लेकिन जिस लाइन से एल.टी. लाइन खींचनी थी उस कुएं के मालिक श्री रामेश्वरलाल खटीक ने एतराज कर दिया जिसकी सूचना भी आवेदक को दिनांक 18-3-1999 को रजिस्ट्री पत्र द्वारा दे दी गई । वर्तमान में आवेदक द्वारा दिनांक 9-4-1999 को राइट आफ–वे नहीं दिए जाने की स्थिति में संशोधित तकमीना बनाने हेतु आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है । इस पर संशोधित तकमीना बनाया गया लेकिन राशि में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण संशोधित तकमीना के आधार पर कनेक्शन दे दिया गया है ।

(ऊर्जा मंत्री)

जनरल कण्डीशन आफ सप्लाई के बिन्दु संख्या-2 (बी) के आधार पर लाइन डालने का रास्ता (राइट-आफ-वे) स्वयं आवेदक द्वारा बताया जाता है। अतः कोई कर्मचारी उक्त प्रकरण में दोषी नहीं है।

(3) दिनांक 16-4-1999 को कनेक्शन दिया जा चुका है।

विद्युत मण्डल के लेखाकारों को चयनित वेतनमान

582. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अपने संवर्ग परिवर्तित सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को उनके पूर्ववर्ती पदों पर की गयी सेवा अवधि को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा गणना में जोड़कर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) मण्डल द्वारा आदेश संख्या 1260 दिनांक 27-3-97 को एवं 4582 दिनांक 10-10-97 की तर्ज पर संगणक एवं लेखाकार जो कनिष्ठ लिपिक से बने हैं को पिछली सेवा गणना करते हुए लाभ नहीं देने के क्या कारण रहे ?

(3) अब उक्त कर्मचारियों को उक्त लाभ मण्डल कब तक देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह लाभ केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला में आने वाले तथा समान वेतनमान में पद परिवर्तन करने वाले संवर्ग के कर्मचारियों/श्रमिकों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-10-1989 के अनुसार वेतन नियतन पाने वाले आई.टी.आई./एन.ए.सी. धारकों को दिया जा रहा है। पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला के विपरीत संवर्ग परिवर्तन करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को यह लाभ नियमानुसार देय नहीं है।

(2) मण्डल के आदेश संख्या 1260 दिनांक 27-3-1997 एवं 4582 दिनांक 18-10-1997 संवर्ग संगणक एवं लेखाकार संवर्ग परिवर्तित करने से सम्बन्धित नहीं है। कनिष्ठ लिपिक से बने संगणक एवं लेखाकार पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला में नहीं आते हैं, अतः उन्हें यह लाभ देय नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार

किसानों की क्रेडिट कार्ड योजना

583. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यह किस प्रकार के किसान पर

(श्री रामस्वरूप)

लागू होती है इससे किसानों को क्या-क्या लाभ है एवं यह योजना किस-किस स्थानों पर लागू की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी लागू की गई है ? यदि हां, तो किस-किस जगह पर इससे कितने किसानों को किस-किस प्रकार का लाभ दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्रेडिट कार्ड योजना कब तक राज्य में लागू रहेगी ? उक्त योजना के नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किसान क्रेडिट कार्ड योजना राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां तथा वृहत बहुद्देशीय कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में इस वर्ष से लागू की गई है। किसानों को प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण संलग्न पुस्तिका में अंकित है।

(2) जी, हां। क्योंकि योजना संपूर्ण राज्य के लिए लागू की गई है, अतः टोडाभीम क्षेत्र के लिए भी स्वतः ही लागू हो जाती है। राज्य के समस्त क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी फसल हेतु ऋण वितरण प्रारम्भ होने पर इसका लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा।

(3) किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी वर्ष लागू की गई है तथा उक्त योजना राज्य में इससे बेहतर और अभिनव योजना उपलब्ध होने तक लागू रहेगी। योजना की प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के आपरेटर का बकाया भुगतान

584. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता एफ. एम. डी. द्वितीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2144 दिनांक 8-3-73 के द्वारा विभाग में कार्यरत एक आपरेटर को एक नोटिस जारी करके एक माह में सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्यों किस कारण से तथा नाम व पता क्या था और नियुक्ति कब हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो कब और उसका वेतन कब तक का दे दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसका पी.

श्री रतन लाल ताम्बी : तथ्यों के आधार पर दुबारा कार्यवाही करना अपेक्षित है। उस बात का वह फैसला है न कि वह फैसला इस बात का दे दिया फाइनल। इसलिए यह करोड़ों रुपयों का मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जांच इस मामले में पेंडिग.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह बहुत जरूरी प्रश्न है। पांच करोड़ रुपये का घोटाला है। आप स्टेटमेंट तो दिलाइये गवर्नमेंट से। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और 19-12-92 के खान विभाग के आदेश की पालना इसमें नहीं की जा रही है। यह मामला गंभीर है। (व्यवधान) और नियम 60 के अंतर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के अलग अलग आदेश प्रदान करें। मामला यह है। (व्यवधान) इसलिए सारे प्रकरण की, पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच कराइये।

श्री रतन लाल ताम्बी : और सारी विज्ञप्तियों को... (व्यवधान) करने के बाद में...(व्यवधान) कार्यवाही करके..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह पांच करोड़ खा गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, 17 करोड़ रुपये खा गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में कार्मशियल अरबन को-आपरेटिव बैंक में और बिजली के बिल भी जमा नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पांच करोड़ का यह घोटाला हुआ है। (व्यवधान) मेहरबानी, जो आप दिल्ली में भी गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। प्रश्न काल समाप्त।

डा. जसवन्त सिंह (मण्डावर) : विधान सभा परिसर के बैंक में घोटाला हो गया। मेरे भी पैसे उसमें हड़प कर लिये गये। मेरे पास खाना खाने के लायक पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुननी जरूरी है। विधान सभा परिसर में पैसे जमा कराये गये। आज मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं दोपहर का खाना कहां से खाऊंगा? अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी जरूरी है। लाखों रुपयों का घोटाला हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बात कर रहे हैं? बाद में बात कीजिये। प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लोग तो राजस्थान की जेब खाली कर गये, राजस्थान भूखा मर रहा है। आप तो सारे राजस्थान की जेब की जेब खाली कर गये, राजस्थान की जेब खाली कर गये। सारा राजस्थान भूखा मर रहा है। कहां से आएंगे पैसे? सारे राजस्थान की जेब खाली कर गये आप लोग। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये दोनों ही खा गये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अरबन कोआपरेटिव बैंक में गरीब किसानों और हरिजनों का, मजदूरों का पैसा था.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की जेब काट ली। इन्होंने तो राजस्थान की जेब काट ली।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, बैठिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा परिसर में घोटाला हुआ है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं खाना कहां से खाऊंगा? मेरे पैसे हड़प लिये। मैंने पैसे जमा कराये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपको मैंने अनुमति नहीं दी है। आप बैठिये।

डा. जसवन्त सिंह : पर मैं रोटी कहां से खाऊंगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, आज का खाना मैं खिला दूंगा इनको। मैं खिला दूंगा। भूखे मत मरो, भूखे मर रहे हो तो। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : इस राज में विधान सभा परिसर में भी घोटाला हो रहा है। इससे बड़ा और क्या कांड होगा? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : जहां विधायक सुरक्षित नहीं हो यहां (व्यवधान) एक बात थी.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी अपील है.... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की तमाम राशि इस बैंक में जमा है और अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि हमारी उस राशि का क्या हुआ और पैसे का भुगतान किया जाएगा। इसके

(श्रीमती कमला)

बाबत में एक विस्तृत विवरण तो सदन में दिया जाना चाहिये। हम लोगों की सारी राशि इस बैंक के अंदर जमा थी।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से बात है उसमें... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक पैसा हमारी जेब में नहीं है। वह सारे पैसे हड़प गये....(व्यवधान) विधान सभा परिसर में ऐसा हो रहा हो ...(व्यवधान) यहीं विधान सभा में.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं .. (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो.... (व्यवधान) खा गये। बैंक का घोटाला यहीं का विधान सभा का... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधान सभा परिसर में घोटाला हुआ है। (व्यवधान) हमने अपनी इच्छा से बैंक में खाता नहीं खोला था। (व्यवधान) विधान सभा ने कहा कि.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप अपने विचार मंथन से....(व्यवधान) आप बड़े गंभीर हैं और घटना आपके.... (व्यवधान) धरने के ऊपर बैठी हैं... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : और मेरे पास तो एक रुपया भी खाना खाने का नहीं है। भूखा मर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन खा गये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों की राशि जमा थी, वह सारी राशि ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भाजपा के माननीय सदस्य भूखे मर रहे हैं। आप भूखे मर रहे हो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं शुक्रवार को बैंक में गया था। मेरी सारी रकम गायब है। मेरे अकाउंट में 13,000 रुपये जमा मिले। बाकी सारी रकम गायब कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मेरा एक का मसला नहीं है, सारे माननीय सदस्यों का मसला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो बैंक यहां काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : यहां पर बिल शाखा में जाते हैं और अपने बिलों पर टी.ए., डी.ए. पर दस्तखत कर देते हैं, वह पैसा बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक भी माननीय सदस्य को आज तक पास बुक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिए हम आसन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आपकी छत्रछाया में विधान सभा परिसर में जो बैंक है, वहां हमारे खातों में राशि का ही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पता नहीं है। कृपया इसकी तो आप कोई न कोई व्यवस्था कीजिये। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : हम अपने खाते में पैसा जमा कराते हैं और खाते में पैसे नहीं है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, कल एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधायक के खातों में क्या हुआ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत बड़ा गंभीर मामला है। विधान सभा परिसर में जो बैंक है, इसमें माननीय सदस्यों के सारे पैसे, तनख्वाह के जमा होते हैं। वहां के कैशियर के खिलाफ गबन का एक आरोप लगा। कल एफ.आई.आर. दर्ज करायी है मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि विधान सभा परिसर के बैंक में जहां विधायकों के साथ इस तरह धोखाधड़ी हो जाए। माननीय सदस्य ने परसों 20,000 रुपये जमा कराये... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : नहीं–नहीं, एक महीना हो गया। 2 फरवरी को पैसे जमा कराये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य मुझे आज मिले थे। माननीय सदस्य मिले थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए मेरा निवेदन आपसे इतना है, अध्यक्ष महोदय, यह मामला चूंकि सारा सदन देख रहा है, यह सारे राजस्थान में बात जाएगी। राजस्थान विधान सभा परिसर के बैंक में इस तरह हुआ। इस पर वक्तव्य आ जाए, थोड़ा इन्तजाम हो जाए कि माननीय सदस्यों की राशि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह वक्तव्य कौन देगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्री। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : विधान सभा बैंक में हमारी इच्छा से तो हमने खाता खोला ही नहीं। विधान सभा को जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। (व्यवधान) आप जरा सुनिये। मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे यह जानकारी दी थी कि हमारी जो धनराशि है, वह जमा नहीं की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी दिन की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सचिव और विशिष्ट सचिव से इस संबंध में तथ्यों की जानकारी करके, और मुझे जानकारी देने के संबंध में उनसे निवेदन किया था कि आप आज यह मालूम करिये कि यह अमाउण्ट कितना था और किन–किन का था ? और यह स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर है, इसलिए जो कुछ भी कार्यवाही इस संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में होगी, उनसे प्राप्त करके यहां के जनरल मैनेजर यहां पर है, उसी तरह से कार्यवाही की जाएगी। अब यहां आज स्टेटमेंट कौन देगा .... (व्यवधान) व्यवस्था संबंधी ... (व्यवधान) बैंक में बात कर लेंगे ... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह : महीनों से यह गोरखधन्धा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर देंगे, साहब, जवाब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अरबन को-आपरेटिव बैंक, गंगानगर का तो जवाब दिला दीजिये। अरबन को–आपरेटिव बैंक, श्रीगंगानगर का स्टेटमेंट तो दिला देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे दें। एफ.आई आर. दर्ज हुई है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं किसानों, विधवा, गरीब हरीजनों....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ का घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घोटाला किया है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बीच में यह क्या मामला हो गया? मेरा कोई जवाब ही नहीं आया इसमें। (व्यवधान) मैंने बाद में जो पूछा उसका कोई उत्तर ही नहीं आया। (व्यवधान) मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अरबन को-आपरेटिव बैंक में ... (व्यवधान) और डेढ़ करोड़ का घोटाला हो गया। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और करोड़ों रुपये का इसमें नुकसान हो रहा है। (व्यवधान) वहां अधिकारी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। और सारे मामले की न्यायिक जांच ... (व्यवधान) सारे मामले की जांच गहन रूप से हो। इतना गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर :...(व्यवधान) खा गये। विधवा और बेसहारा महिलाएं बैठी हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीमेंट को डकार गये। (व्यवधान) उस सबकी भी जांच करायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजें।(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : साहब, स्टेटमेंट तो दिलवा दीजिये। कमाल की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बात कर रहे हैं आप। वह देने को तैयार हैं, सरकार यहां बैठी है। सरकार के पास में स्टेटमेंट नहीं है तो स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान)

ग्रनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

'ग्र' श्रेणी चिकित्सालय धौलपुर में रिक्त पद

430. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या ग्रायुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर मुख्यालय पर 'ग्र' श्रेणी ग्रायुर्वेद चिकित्सालय में वर्तमान में दो चिकित्सक हैं, जबकि उक्त चिकित्सालय में पांच चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

जिला मुख्यालय धौलपुर में संचालित विभागीय 'ग्र' श्रेणी ग्रायुर्वेद चिकित्सालय में, वर्तमान में ग्रायुर्वेद चिकित्सक के दो पद सृजित हैं तथा दोनों ही पदों पर ग्रायुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित हैं।

सांचोर कृषि मण्डी के चुनाव

432. श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचोर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचोर में कृषि मण्डी व मार्केटिंग के चुनाव गत 10-12 वर्षों से नहीं करवाये गये हैं? यदि हां, तो ग्रब सरकार कब तक चुनाव कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। नियमों में संशोधन के परिपेक्ष्य में मामला विचाराधीन है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ग्रतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जालोर के लेखा कर्मी के विरुद्ध लम्बित जांच

563. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निदेशक कोष एवं लेखा विभाग

(श्री गणेशी राम मेघवाल)

में कितने लेखा कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और इसमें कितने कर्मी जालोर जिले के हैं तथा उनके विरुद्ध कब से जांच विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालोर के एक लेखा कर्मी के विरुद्ध छः वर्ष से जांच विचाराधीन है ? क्या उक्त अवधि में पांच जांच अधिकारी बदले गये तथा दो जांच अधिकारियों ने तीन बार जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उक्त जांच निस्तारण नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि तीनों जांच प्रतिवेदनों में कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ? यदि हां, तो उसे तथा उसके परिवार को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाये गये हैं उसे उपलब्ध कराने का दायित्व आरोप लगाने वाले अधिकारी का है ? यदि हां, तो छः वर्ष में भी यदि अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजात जांच अधिकारी/उपस्थापक अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उसका दण्ड आरोपी कर्मचारी भुगते ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोष एवं लेखा विभाग में वर्तमान में 38 लेखाकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच के प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें से श्री भंवरलाल गोप जालोर जिले का है। श्री गोप के विरुद्ध दिनांक 10-6-93 से जांच विचाराधीन है।

(2) जी, हां। श्री भंवर लाल गोप के विरुद्ध 5 वर्ष 10 माह में जांच विचाराधीन है। उक्त अवधि में 2 बार जांच अधिकारी बदले गये हैं। वर्तमान में जांच अधिकारी ने 2 बार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जो अपूर्ण पाये गये। जांच पूर्ण नहीं हो पाने के कारण जांच का निस्तारण नहीं किया जा सका।

(3) जांच पूरी होने पर ही आरोपों को प्रमाणित होने या न होने का पता चल सकेगा। श्री भंवर लाल गोप के या उनके परिवार को मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) दस्तावेजात उपलब्ध कराने का दायित्व अभियोजन पक्ष का होता है। मूल दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उपलब्ध नहीं कराये जा सके। जहां तक दण्ड देने या न देने का प्रश्न है यह विभागीय जांच के पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जाता है। लम्बे समय तक अभिलेख नहीं मिलने के कारणों की जांच करवा ली जायेगी।

अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं के विरुद्ध जांच

564. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर नागौर ने सदस्यों की शिकायत पर अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं के विरुद्ध उप निदेशक महिला बाल विभाग, नागौर से कराई और जांच रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जा चुकी ? क्या जांच में अध्यक्ष को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कलेक्टर को कब प्राप्त हुई तथा कलेक्टर ने उक्त रिपोर्ट सरकार को कब भेजी ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। जांच में अध्यक्ष को बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं बुलाने के लिये दोषी पाया है। जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को दिनांक 21-5-97 व 30-7-97 को प्राप्त हुई तथा जिला कलेक्टर द्वारा उक्त रिपोर्ट सरकार को दिनांक 1-4-98 को भिजवाई गई, जिस पर कार्यवाही की जाकर अध्यक्ष को निलम्बित कर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु भेजा जा चुका है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सदस्य नगरपालिका नागौर का निलम्बन प्रकरण

565. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगरपालिका नागौर द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध संयुक्त विधि परामर्शी (द्वितीय) ने न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो किस दिनांक को तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ? अब तक निर्णय नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या उक्त सदस्य ने सदस्यता से निलम्बन पर उच्च न्यायालय जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त किया था ? यदि हां, तो सरकार ने स्थगन आदेश को हटाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, हां। नगरपालिक, नागौर के पार्षद श्री हनुमानराम प्रजापत के विरुद्ध संयुक्त विधि परामर्शी (द्वितीय) ने न्यायिक जांच रिपोर्ट दिनांक 26-9-98 को दी है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां। स्थगन आदेश अपास्त कराने के लिए कार्यवाही जारी है।

विद्याधर नगर जयपुर के सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर का विद्युतीकरण

566. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विद्याधर नगर जयपुर के सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर पर विद्युतीकरण की कोई विशेष योजना है? यदि हां, तो विद्युतीकरण की विशेष योजना का क्रियान्वयन कब तक किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त शॉपिंग सेन्टर पर कितनी दुकानें वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन हैं जिनको नीलामी प्रक्रिया द्वारा बेचा जाना प्रस्तावित है? उक्त दुकानों के नम्बर क्या-क्या हैं? अब सरकार उक्त दुकानों को कब तक नीलाम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विद्याधर नगर जयपुर के सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कोई विशेष योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) विद्याधर नगर सेक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर पर कुल 23 दुकानें के मुख्य प्राधिकरण के अधीन हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

साईज (फुट)	दुकान नम्बर	कुल योग
10×10	8,9,10,17 से 24	11
10×20	13 से 16, 19,21से24	09
15×30	8	01
22.6×15	2ए,5ए	02
		23

उक्त दुकानों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1999–2000 में नीलामी द्वारा विक्रय करने का प्रस्ताव है।

अजमेर मे बहुमंजिले व्यावसायिक भवन प्रकरण

567. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों में भवन निर्माण हेतु कितनी मंजिल तक भवन बनाने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है ? क्या नगर परिषद अजमेर की सीमा में भवन निर्माण करने के लिए कोई उप नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उसमें कितनी जमीन पर कितने मंजिल तक निर्माण किया जा सकता है ? उपनियम की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद सीमा अजमेर में व्यावसायिक भवनों का शुल्क वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन भवन मालिकों को शुल्क वसूल करने के नोटिस दिये गये और कितनी राशि वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या दरगाह शरीफ के पास लंगरखाना गली के पास रिहायशी क्षेत्रों में होटल एवं रेस्ट हाऊस संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या ख्वाजा महल होटल भी संचालित है ? क्या सैयद अब्दुल गनी के होटल/भवन में गैस्ट हाउस चलाया जा रहा है ? क्या इससे व्यावसायिक शुल्क वसूला गया है ? उक्त भवन कितने मंजिल का है तथा कितनी मंजिल का नक्शा पास है ? नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने बिना नक्शा पास कराये उप नियमों के विरुद्ध निर्माण कर रखा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए नियमानुसार कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि बहुमंजिले भवनों से जो जानमाल का खतरा बना रहता है ? क्या उक्त भवन तकनीकी दृष्टि से सही बना हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या भविष्य में उक्त भवन में जानमाल की हानि नहीं होगी ? यदि हां, तो किस आधार पर ? यदि नहीं, तो इस प्रबंध निर्माण के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अलग-अलग शहरों हेतु उनके बायलाज के अनुसार भवन बनाने की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है। जी हां। नगर परिषद अजमेर की सीमा में भवन निर्माण करने के लिए उप-नियम बने हुए हैं। उप-नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। नगर परिषद अजमेर सीमा में व्यावसायिक भवनों के मालिकों

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

को शुल्क वसूल किये जाने हेतु दिये गये नोटिस एवं वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। ख्वाजा महल होटल भी संचालित है, सैयद अब्दुल गनी के होटल/भवन में गेस्ट हाऊस चलता है जो ख्वाजा महल होटल के नाम से है। इससे व्यावसायिक शुल्क वसूल नहीं किया जाना आयुक्त, नगर परिषद ने अवगत कराया है। उक्त भवन मय सतह सात मंजिल का है तथा इसका सतह मंजिल सहित तीन मंजिल का नक्शा पास है। नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसकी मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस समस्त मामले की जांच करवाई जायेगी।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-3 में अवगत कराया जा चुका है कि मामले की जांच करवाई जायेगी एवं समुचित कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जायेगी।

(5) भाग संख्या 3,4 में इसका उत्तर सम्मिलित है।

(6) जांच के पश्चात समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति क्षेत्र बालोतरा के नलकूप

568. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम मोहनपुरा में जी. डब्ल्यू.डी. द्वारा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ट्यूब वैल खोदने के लिए पर्याप्त पानी है? यदि हां, तो ट्यूब वैल कब तक खोद दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि बागावास मोहनपुरा, मेघवास और वाणियावास में ट्यूब वैल के तैयार नहीं करवाने से पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम बागावास, मोहनपुरा तथा वाणियावास, मेघवास में जल सर्विस स्तर क्रमशः 45,50,25 एवं 25 एल.पी.सी.डी. हैं, इसके अतिरिक्त ग्राम मोहनपुरा में 3 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। मेघवास व वाणियावास में सर्विस स्तर बढ़ाने हेतु जल स्रोत के संवर्धन की योजना स्वीकृत कर, कार्य प्रगति पर है।

जाखम सिंचाई परियोजना से पेयजल आपूर्ति

569. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगर को पेयजल सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जाखम सिंचाई परियोजना से पेयजल आपूर्ति की योजना स्वीकृति की थी ?

(2) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब से कार्य चल रहा है और अब तक क्या प्रगति हुई ?

(3) उक्त पेयजल योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

(4) प्रतापगढ नगर एवं जाखम सिंचाई परियोजना के बीच आने वाले किन किन गांवों को इस पेयजल योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना पर मई, 1996 से कार्य चल रहा है। इस योजना पर 28.5 कि.मी. मुख्य पाइप लाइन व फिल्टर प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है। सिविल कार्य व वितरक पाइप लाइन एस.आर. व सी. डब्ल्यू.आर का कार्य प्रगति पर है। पावर कनेक्शन का मांग पत्र जमा करवा दिया गया है।

(3) उक्त योजना को वर्ष 2000 तक करने का लक्ष्य है।

(4) इस योजना में बीच में आने वाले 13 गांवों को इस पेयजल से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील नावां की स्वीकृत पेयजल योजनाएं

570. श्री हरीशचन्द्र (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नावां के कुचामन एवं नावां सहायक अभियंता क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से कार्य किस-किस गांव में इस वर्ष स्वीकृत हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? अब इन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) नावां तहसील में 78 हैण्डपम्प खराब हैं। इनमें से 13 हैण्डपम्प इस माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के अन्त तक ठीक करा दिये जायेंगे शेष 65 हैण्ड पम्प परित्यक्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

उदयपुर शहर की मानसी वाकल पेयजल योजना

571. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर में पानी की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है ?

(2) क्या सरकार द्वारा उदयपुर शहर में मांग के अनुसार प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उदयपुर में पेयजल के मुख्य स्रोत फतेहसागर, पिछोला, स्वरूप सागर में पानी वितरण के लिए कब तक का पानी है और यदि पेयजल की कमी है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि मानसी वाकल से पानी लाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि उदयपुर की झीलों का पानी प्रदूषित है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण के कारण और बचाव के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) लगभग 100 लीटर।

(2) जी, नहीं। गत वर्ष अपर्याप्त व विकीर्ण (स्केटर्ड) वर्षा के फलस्वरूप नगर के प्रमुख स्रोतों में पानी की आवक काफी कम रही है जिससे आगे की मांग को ध्यान में रखते हुए सीमित जल वितरण किया जा रहा है।

(3) उदयपुर में मुख्य सतही स्रोतों में जल वर्तमान में की जा रही जलापूर्ति के अनुरूप आगामी माह सितम्बर 99 तक पर्याप्त है। तब तक आगामी वर्षा ऋतु से जल प्राप्त होने की आशा है।

(4) जी, हां। योजना की क्रियान्विति वर्तमान में स्थानीय जनता के विरोध के कारण रुकी हुई है।

(5) यह सही है कि उदयपुर की झीलों का पानी प्रदूषित है; परन्तु विभाग द्वारा इस जल को फिल्टर प्लान्ट द्वारा स्वच्छ कर एवं क्लोरीन मिलाकर डिसइनफेक्ट कर ही वितरित किया जाता है। शहर के कई क्षेत्रों से नाले सीधे तालाबों में गिरते हैं, जिनमें गन्दगी आती है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को इस हेतु प्रस्ताव बनाने हेतु नगर विकास न्यास द्वारा कन्सलटेन्सी का कार्य दे रखा है।

ग्राम बापी (दौसा) की पेयजल समस्या का समाधान

572. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण बापी तहसील दौसा में पेयजल व्यवस्था हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या ग्राम बापी में लगे हुए हैण्ड पम्पों के फ्लोराइड युक्त पानी है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में टंकी बना कर पेयजल योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त गांव के पास बाणगंगा नदी में टंकी बनाकर ग्राम खुरी को पेयजल को सप्लाई की जा रही है किन्तु बापी गांव में इस टंकी में पेयजल की व्यवस्था नहीं की जा रही है ?

(5) क्या सरकार उक्त योजना से ग्राम बापी को भी जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, हां। परन्तु सभी हैण्ड पम्पों में फ्लोराइड की मात्रा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है।

(3) जी नहीं। ग्राम में पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

जिला मुख्यालय धौलपुर के खण्डीय भण्डार का चोरी प्रकरण

573. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर मुख्यालय स्थित खण्डीय भण्डार में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में चोरी की वारदात हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त चोरियों का खुलासा हो सका है और नहीं, तो वर्तमान में उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच किस स्तर पर चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी की उक्त वारदातों में विभाग की ओर से विभागीय जांच भी की गई जिसमें कुछ व्यक्तियों को दोषी माना गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) खण्डीय भण्डार धौलपुर में वर्ष 1994-95 तथा 95-96 में चोरी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की वारदात हुई है। पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। वर्तमान में पुलिस द्वारा उक्त वारदातों में एफ.आर. लगा दी है।

(2) वर्ष 94-95 में हुई चोरी की जांच करवायी गयी थी जिसमें श्री अरूण प्रसाद मिश्रा कनिष्ठ लिपिक (भण्डारपाल) एवं श्री हबीब खां चौकीदार प्रथम दृष्टतया दोषी पाये गये। उक्त दोनों कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 95-96 में हुयी चोरी की जांच में श्री कुन्ज बिहारी लाल, कनिष्ठ लिपिक (भण्डारपाल) दोषी पाया गया जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है उपरोक्त तीनों कर्मचारियों को भण्डार से हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगा दिया गया है।

ग्राम नांगल एवं बागोरा(उदयपुरवाटी) से बजरी पत्थर की रायल्टी वसूली प्रकरण

574. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनूं जिले की तहसील उदयपुरवाटी के ग्राम नांगल तथा बागोरा की सीमा क्षेत्र से बजरी तथा पत्थर उठाने पर रायल्टी का ठेका किस-किसको कितनी-कितनी अवधि का दिया हुआ है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में किसी को लीज दी हुई है ? यदि हां, तो किन-किनको कितने-कितने क्षेत्र की तथा किस-किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बागोरा क्षेत्र में पत्थर का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। उदयपुरवाटी तहसील के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ नांगल क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए खनिज चेजा पत्थर की अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका संविदा निष्पादन की तिथि से 31-3-99 तक की अवधि हेतु दिनांक 27-3-97 को नीलाम किया गया था, जिसमें से श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह द्वारा उच्चतम बोली रुपये 1,76,500/- वार्षिक लगाई गई। श्री मंगलसिंह द्वारा न्यायालय में दायर वाद में न्यायालय द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण नीलामी के बाद उक्त ठेके की स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा सकी। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 19-2-99 को खारिज किये जाने के बाद ठेके की शेष अवधि हेतु स्वीकृति दिनांक 26-2-99 को जारी की गई एवं संविदा निष्पादन दिनांक 3-3-99 को 31-3-99 तक की अवधि के लिए श्री प्रहलाद सिंह के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात 31-3-99 को श्री प्रहलाद सिंह द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सीकर में दिनांक 31-3-99 को स्थगन लिये जाने के

(राज्य मंत्री, खनिज)

कारण उक्त क्षेत्र का ठेका वर्तमान में उनके पक्ष प्रभाव में है। खनिज बजरी हेतु अधिशुल्क संग्रहण एवं परमिट शुल्क वसूली हेतु ठेका झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बागोरा, नांगल व जिला सीकर के क्षेत्रों का श्री किशोर पारीक के पक्ष अवधि 12-9-97 से 11-9-99 तक वार्षिक ठेका राशि 12,56,000/- पर स्वीकृत एवं प्रभाव में है। उक्त ठेका के अन्तर्गत नांगल एवं बागोरा क्षेत्र भी स्थित है।

(2) जी, हां। खनिज चेजा पत्थर के लिए केवल नांगल क्षेत्र में एक खनन पट्टा श्री मंगलसिंह के पक्ष अवधि 7-4-88 से 6-4-98 तक स्वीकृत है, जिसका वर्तमान में नवीनीकरण विचाराधीन है। उक्त चेजा पत्थर का खनन पट्टा दो ब्लाकों में 1200×400 वर्ग फीट एवं 1500×400 वर्ग फीट क्षेत्र का है। खनिज बजरी की कोई लीज नहीं दी गई है।

तहसील लूणकरणसर के गैरखातेदारी प्रकरण

575. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पटवार हल्का दुलेमेरा व धीरेरा में बारानी क्षेत्र के गैर खातेदार काश्तकार हैं? यदि हां, तो इन्हें अब कब तक खातेदारी अधिकार दिये जा सकेंगे? गैर खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

राजस्व तहसील लूणकरणसर के पटवार मण्डल दुलमेरा और धीरेरा में बारानी क्षेत्र में कुल 38 गैर खातेदार काश्तकार हैं। इन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने के कारणों का परिशिष्ट-1 के कालम-7 में उल्लेख कर दिया गया है। गैर खातेदारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

ग्राम चोमका (जमवारामगढ़) की खसरा नम्बर 1274/2 भूमि पर अतिक्रमण

576. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चोमका तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में खसरा नं. 1274/2 पर एक बांध एवं श्मशान घाट तथा चारागाह बना हुआ था? यदि हां, तो क्या अब भी उक्त भूमि पर उक्त स्थिति यथावत है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सार्वजनिक भूमि पर वर्तमान में गांव के बाहर के किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है या उक्त व्यक्ति ने उक्त खसरा नं. की भूमि को अपने नाम से नामांतरण करवा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

रखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित हो सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि किसी व्यक्ति ने अधिकारियों की मिली भगत से अपने नाम आवंटित करवा ली है? यदि हां, तो क्या इससे ग्रामवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भूमि के आवंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । ग्राम चोमका तहसील जमवारामगढ़ के ख.नं.1274/2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री डूंगरसी पुत्र तेजाराम मीणा हि. 1/2, सा देह व श्री किशनलाल पुत्र श्री भोरीलाल मीणा निवासी ग्राम साईवाड़ ढाणी हि. 1/2 की खातेदारी में दर्ज है । ख.नं. 1274/1 रकबा 17 बीघा 02 बिस्वा जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में दर्ज है । उसमें एक बांध तथा वर्ष 1998 में बना श्मशान भी है । उक्त स्थिति यथावत है ।

(2) जी नहीं । उक्त ख नं. 1274/2 खातेदारी भूमि है । ग्राम चोमका का मूल ख.नं.1274 का कुल रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा किस्म सिवाय चक था । उक्त भूमि का वर्ष 1966 तथा 1971 में नियमन किये जाने पर भूमि ख.नं. 1274/1, 1274/2, 1274/3 तथा 1274/4 बने हैं ।

ख.नं. 1274/2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा का नियमन दिनांक 11-3-66 को श्री माधोलाल पुत्र शिवसहाय ब्राह्मण सा. जमवारामगढ़, ख. नं. 1274/3 रकबा 3 बीघा वर्ष 1971 में श्री गुल्ला पुत्र नारायण जाति गूजर को तथा ख.न. 1274/4 रकबा 2 बीघा भूमि का नियमन भोरया, पेमला पि. बीज्या गूजर को भी वर्ष 1971 में नियमन होने पर उक्त भूमियों की खातेदारी उनके नाम दर्ज है ।

उक्त खातेदार श्री माधोलाल ने अपनी खातेदारी भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 3-11-95 को डूंगरसी पुत्र तेजा राम मीणा निवासी चौमका हि. 1/2 तथा किशनलाल पुत्र भोरीलाल मीणा निवासी साईवाड़ हि. 1/2 को कर दिया है । इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी उपरोक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज है ।

(3) जी, नहीं । ख.नं. 1274 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा में से वर्ष 1966 तथा 1971 में ही 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया था । शेष 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है ।

कैलाश नगर (सिरोही) का उप–तहसील प्रकरण

577. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या सरकार जिला सिरोही की तहसील शिवगंज के कैलाश नगर में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या जिला प्रशासन के स्तर पर कैलाश नगर में उप तहसील खोलने के विषय में प्रस्ताव पर विचार किया गया है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में जिला प्रशासन स्तर पर कस्बा कैलाश नगर में उप तहसील स्थापित करने के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम अनंतपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं की अवाप्त भूमि

578. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत जिस जागीरदार की रेकार्ड में खुदकाश्त की भूमि दर्ज है, उसे अवाप्त नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर में जिन जागीरदारों की भूमि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त की गई उसके साथ रेकार्ड में दर्ज खुदकाश्त की भूमि भी अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो खसरा नं. 50 रेकार्ड में किस श्रेणी के रूप में दर्ज है? क्या इस भूमि को इस अधिनियम के तहत अवाप्त किया जा सकता है? यदि नहीं, तो इसे क्यों अवाप्त किया गया?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत जिस जागीरदार की रेकार्ड में खुदकाश्त भूमि दर्ज है, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त करने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं। ख.नं. 50 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. चाह मिसल बन्दोबस्त सं. 2019 से 23 में माफी राम बिहारी पुत्र गंगाधर ब्रा. पुरोहित सा. जयपुर के नाम खुदकाश्त माफी खातेदार दर्ज है। सूची (परिशिष्ट-क) संलग्न है। वर्तमान में उक्त ख. नं. 50 का नवीन ख. नं. 75 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु. चाह श्री राम बिहारी पुत्र गंगाधर की खातेदारी में है। सूची (परिशिष्ट-ख) संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

अतः उक्त ख.नं. संवत 2019 से 2055 तक खुदकाश्त के राम बिहारी पुत्र गंगाधर की खातेदारी में ही रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

उप तहसील सिद्धमुख (चूरू) का क्रमोन्नयन

579. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नई तहसील गठित करने के क्या-क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष नई तहसील गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार तहसील राजगढ़ जिला चूरू की उप तहसील सिद्धमुख को तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक सामान्य तहसील क्षेत्र में तहसील स्थापित करने हेतु 40 पटवार मण्डल, रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु 30 पटवार मण्डल व आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिये 20 पटवार मण्डल का मापदण्ड मजिठिया समिति द्वारा निर्धारित किया हुआ है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न संख्या 580

(स्थगित)

ग्राम जाहोता (जयपुर) का लम्बित कृषि कनेक्शन

581. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाहोता, जिला जयपुर के एक व्यक्ति ने वर्ष 1992 में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया था ? क्या मण्डल ने उसको दिनांक 22-3-96 को मांग-पत्र जारी किया तथा प्रार्थी ने रसीद संख्या 69763 दिनांक 15-4-96 द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवा दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि विद्युत कनेक्शन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो फिर चार साल व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक उसे विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया जबकि उनके बाद के व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिया

(श्री हीरासिंह चौहान)

गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) अब सरकार उसे कब तक विद्युत कनेक्शन जारी करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला जयपुर के ग्राम जाहोता में श्री छिगना, हीरा पुत्र भूराराम खटीक द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी में कृषि कनेक्शन दिए जाने हेतु दिनांक 4-6-1992 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था । मण्डल द्वारा दिनांक 22-3-1996 को मांग पत्र जारी किया गया था तथा आवेदक द्वारा दिनांक 15 4-1996 को मांग-पत्र की राशि जमा करा दी गई है ।

(2) जी, हां । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाती है । ग्राम जाहोता निवासी श्री छिगना, हीरा पुत्र भूराराम खटीक को कृषि कनेक्शन दिए जाने हेतु मांग-पत्र में यह स्पष्ट बता दिया गया था कि सामान्य प्राथमिकता संख्या–83 के लाइन का कार्य पूर्ण होने पर ही आवेदक को कनेक्शन दिया जा सकता है अन्यथा लाइन में लगने वाली अतिरिक्त लागत जमा करानी होगी । आवेदक द्वारा इस आशय की लिखित में स्वीकृति दी गई । लेकिन साधारण प्राथमिकता संख्या 83 के लाइन कार्यों में पड़ौसियों द्वारा व्यवधान, ऐतराज किए जाने के कारण लाइन कार्य नहीं किया जा सका । अतः उक्त आवेदक को जरिये नोटिस दिनांक 2-5-1996 से सूचित किया गया कि प्राथमिकता संख्या-83 के कार्य में बाधा आने के कारण आपको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है एवं यदि आपको लाइन शीघ्र खिंचवानी है तो अनुमान की भिन्नता राशि जमा कराने के लिए सहमति प्रदान करें अन्यथा आपकी पत्रावली प्रा.सं 83 की लाइन खींचने तक लम्बित कर दी जावेगी । इस पर भी आवेदक द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिए जाने पर उसकी प्राथमिकता स्थगित कर दी गई । प्राथमिकता संख्या-83 का तकमीना ऐतराज दूर करते हुए संशोधित मांग-पत्र की राशि जमा कराने पर दिनांक 27-2-1999 को कार्य पूर्ण कर दिया गया । तत्पश्चात श्री छिगना, हीरा पुत्र भूराराम खटीक के एल.टी. लाइन का कार्य करने हेतु पार्टी भेजी गई लेकिन जिस लाइन से एल.टी. लाइन खींचनी थी उस कुएं के मालिक श्री रामेश्वरलाल खटीक ने एतराज कर दिया जिसकी सूचना भी आवेदक को दिनांक 18-3-1999 को रजिस्ट्री पत्र द्वारा दे दी गई । वर्तमान में आवेदक द्वारा दिनांक 9-4-1999 को राइट आफ-वे नहीं दिए जाने की स्थिति में संशोधित तकमीना बनाने हेतु आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है । इस पर संशोधित तकमीना बनाया गया लेकिन राशि में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण संशोधित तकमीना के आधार पर कनेक्शन दे दिया गया है ।

(ऊर्जा मंत्री)

जनरल कण्डीशन आफ सप्लाई के बिन्दु संख्या-2 (बी) के आधार पर लाइन डालने का रास्ता (राइट-आफ-वे) स्वयं आवेदक द्वारा बताया जाता है। अतः कोई कर्मचारी उक्त प्रकरण में दोषी नहीं है।

(3) दिनांक 16-4-1999 को कनेक्शन दिया जा चुका है।

विद्युत मण्डल के लेखाकारों को चयनित वेतनमान

582. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अपने संवर्ग परिवर्तित सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को उनके पूर्ववर्ती पदों पर की गयी सेवा अवधि को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा गणना में जोड़कर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) मण्डल द्वारा आदेश संख्या 1260 दिनांक 27–3–97 को एवं 4582 दिनांक 10-10-97 की तर्ज पर संगणक एवं लेखाकार जो कनिष्ठ लिपिक से बने हैं को पिछली सेवा गणना करते हुए लाभ नहीं देने के क्या कारण रहे ?

(3) अब उक्त कर्मचारियों को उक्त लाभ मण्डल कब तक देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह लाभ केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला में आने वाले तथा समान वेतनमान में पद परिवर्तन करने वाले संवर्ग के कर्मचारियों/श्रमिकों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-10-1989 के अनुसार वेतन नियतन पाने वाले आई.टी.आई./एन.ए.सी. धारकों को दिया जा रहा है। पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला के विपरीत संवर्ग परिवर्तन करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों को यह लाभ नियमानुसार देय नहीं है।

(2) मण्डल के आदेश संख्या 1260 दिनांक 27-3-1997 एवं 4582 दिनांक 18–10–1997 संवर्ग संगणक एवं लेखाकार संवर्ग परिवर्तित करने से सम्बन्धित नहीं है। कनिष्ठ लिपिक से बने संगणक एवं लेखाकार पदोन्नति/क्रमोन्नति की श्रृंखला में नहीं आते हैं, अतः उन्हें यह लाभ देय नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार

किसानों की क्रेडिट कार्ड योजना

583. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यह किस प्रकार के किसान पर

(श्री रामस्वरूप)

लागू होती है इससे किसानों को क्या-क्या लाभ है एवं यह योजना किस-किस स्थानों पर लागू की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना को विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी लागू की गई है ? यदि हां, तो किस-किस जगह पर इससे कितने किसानों को किस-किस प्रकार का लाभ दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्रेडिट कार्ड योजना कब तक राज्य में लागू रहेगी ? उक्त योजना के नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । किसान क्रेडिट कार्ड योजना राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां तथा वृहत बहुद्देशीय कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में इस वर्ष से लागू की गई है । किसानों को प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण संलग्न पुस्तिका में अंकित है ।

(2) जी, हां । क्योंकि योजना संपूर्ण राज्य के लिए लागू की गई है, अतः टोडाभीम क्षेत्र के लिए भी स्वतः ही लागू हो जाती है । राज्य के समस्त क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी फसल हेतु ऋण वितरण प्रारम्भ होने पर इसका लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा ।

(3) किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी वर्ष लागू की गई है तथा उक्त योजना राज्य में इससे बेहतर और अभिनव योजना उपलब्ध होने तक लागू रहेगी । योजना की प्रति संलग्न है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के आपरेटर का बकाया भुगतान

584. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता एफ. एम. डी. द्वितीय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक 2144 दिनांक 8-3-73 के द्वारा विभाग में कार्यरत एक आपरेटर को एक नोटिस जारी करके एक माह में सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्यों किस कारण से तथा नाम व पता क्या था और नियुक्ति कब हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो कब और उसका वेतन कब तक का दे दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसका पी.

(श्री हरजीराम बुरड़क)

एफ. भी जमा था ? यदि हां, तो कितना तथा उसका भुगतान किसको कब किया गया ?

(4) क्या उक्त आपरेटर का स्वर्गवास हो चुका है ? यदि हां, तो कब और बाद में भुगतान किसको किया गया ?

(5) अब इसका पी.एफ. आदि क्या-क्या भुगतान बकाया है जो सरकार किस प्रकार से कितना-कितना कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। कर्मकार अपने पद पर कनिष्टतम होने के फलस्वरूप अधिशेष घोषित हुआ था। उनका नाम श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री इन्दाराम पता गांव सिघाना डाकखाना डीडवाना, जिला नागौर है। उनकी नियुक्ति दिनांक 20-10-60 को हुई थी।

(2) जी, हां। उसकी सेवाएं दिनांक 10-4-73 से समाप्त कर दी गई थी। अंतिम वेतन का भुगतान (दिनांक 9-4-73 तक का) दिनांक 10-4-73 को कर दिया गया था।

(3) कर्मकार का पी.एफ.जमा नहीं था। कर्मकार का सी. पी. एफ. जमा था, जिसका अंतिम भुगतान रु. 3145.44 का बैंक के माध्यम से कर्मकार के स्वयं के नाम बैंक ड्राफ्ट सं. 0433879 दिनांक 24-4-74 बनाकर उनके निवास के पते पर डाक द्वारा भिजवाया गया था।

(4) इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(5) अब किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में राहत कार्य

585. श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मांडल में गत 2 वर्षों से भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्षा के अभाव में किसानों की खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में गरीब कृषकों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जब-जब भी राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हुई तब-तब सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाये गये ? यदि हां, तो सरकार विधान सभा क्षेत्र मांडल में अब कब तक राहत कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभाव सम्वत 2055 (1998-99) में तहसील माण्डल के सभी 182 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी, हां। तहसील माण्डल में वर्षा की कमी से 95 प्रतिशत फसल खराब फसल गिरदावरी के अंतिम प्रतिवेदन में बताया गया है। फसल खराब होने पर कृषक को मुआवजा राशि नहीं दी जाती हैं वरन प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाये जाकर राहत प्रदान की जाती है।

(3) जी, हां। अभाव सम्वत 2055 में माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 294 राहत कार्य 1190.68 लाख रुपये राशि के 13512 श्रमिक सीमा के स्वीकृत किये जाकर प्रारम्भ किये गये हैं।

प्रश्न संख्या–586

(स्थगित)

ग्राम पंचायत कोडीमाल (भीलवाड़ा) के अपूर्ण राहत कार्य

587. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति मांडल की ग्राम पंचायत कोडीमाल में सालिया एनिकट व ग्राम पंचायत अमरगढ़ में लसाड़िया एनिकट और ग्राम पंचायत बेयाली में देवीपुरा तालाब पर राहत कार्य स्वीकृत कर चालू किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कौन-कौन सी तारीखों से चालू किये गये और कितने-कितने श्रमिक लगाये गये ?

(2) क्या उक्त सभी कार्यों को 2 या 2½ माह अकारण बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन अकारण बन्द किये गये कार्यों को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य प्रारम्भ करने व उन पर लगाये गये श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	नामकार्य	पंचायत	प्रारंभ करने की दिनांक	श्रमिक संख्या
1.	सालिया एनीकट	कोडीमाल	1-11-98	40
2.	लसाड़िया- एनीकट	अमरगढ़	1-11-98	40
3.	देवीपुरा तालाब	बेयाली	1-11-98	40

(2) जी, हां। पंचायत समिति माण्डल

(सहायता मंत्री)

से प्राप्त उत्तर के अनुसार निम्न कारणों से कार्य बन्द किये गये :–

1. सालिया एनीकट के डाऊन स्ट्रीम में पड़ने वाले खेत मालिक द्वारा भविष्य में फड़ा चलने (वाटर लागिंग) का एतराज करने पर कार्य रोक दिया गया।

2. लसाडिया एनीकट का कार्य व्यक्ति विशेष को लाभ के लिए निर्माण की शिकायत होने के कारण बन्द किया गया।

3. देवीपुरा तालाब का कार्य पूर्ण होने तथा सम्पूर्ण राशि का उपयोग हो जाने पर बन्द किया गया।

(3) प्रश्न संख्या 1 के भाग संख्या (1) व (2) में वर्णित कार्यों की जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय में भत्ता भोगी नियुक्तियां

588. प्रो. सांवर लाल (भिनाय) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में भत्ता भोगी पदों पर नियुक्ति/पदस्थापन के क्या मानदण्ड/परम्परा है ?

(2) गत 5 वर्षों में विभिन्न पदों पर कब-कब कौन-कौन नियुक्त हुए हैं ?

(3) क्या उक्त नियुक्तियों में मानदण्डों का उल्लंघन हुआ ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर विश्वविद्यालय में भत्ता भोगी पदों पर नियुक्ति कुलपति महोदय के आदेश से की जाती है। यह उनके निर्णय पर निर्भर करता है।

(2) गत 5 वर्षों में विश्वविद्यालय में भत्ता भोगी पदों पर नियुक्त किये गये शिक्षकों की सूची परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है। अशैक्षणिक पदों में कोई भत्ता भोगी पद नहीं है।

(3) भत्ता भोगी पदों पर नियुक्ति के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। अतः उल्लंघन होने का प्रश्न नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--9 देखें)

राज्य की रसायन शालाओं के रिक्त पद

589. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) वर्ष 1998-99 में राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालय की जीवन-रक्षक औषधियों की कुल कितनी मांग थी और कितनी औषध पूर्ति की गई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) जीवन रक्षक आयुर्वेदिक औषधियां क्या सरकार की आयुर्वेद रसायन शालाएं मांग अनुरूप निर्माण कर पूर्ति करने में सक्षम है ? वर्ष 1998-99 में चारों रसायन शालाओं द्वारा निर्मित औषधियों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शालाओं को मांगानुरूप औषधि उत्पादन हेतु सक्षम बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या उक्त रसायन शाला में औषधी निर्माण में लगे श्रमिकों के सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो उक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों से औषधियों की मांग प्राप्त नहीं हुई थी, वरन् विभागीय उपनिदेशकों की बैठक में, औषधालयों की सामान्य आवश्यकता के मध्यनजर 58 औषधियों की मांग का निर्धारण किया गया है ।

(2) वर्ष 1998-99 में विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को 249.08 लाख रुपये मूल्य की कुल 60 औषधियां सप्लाई की गई हैं । विवरण परिशिष्ट-'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) मांग/लक्ष्य अनुरूप औषधियों के निर्माण हेतु विभागीय रसायन शालाएं सक्षम हैं । वर्ष 1998-99 में चारों विभागीय रसायनशालाओं द्वारा 48 औषधियों का निर्माण किया गया है । विवरण परिशिष्ट-'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है । विभागीय रसायनशालाओं को अधिक औषधि उत्पादन हेतु सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1999–2000 के बजट में निम्न प्रावधान रखा गया है :–

1. रसायनशालाओं का आधुनीकीकरण/मशीनीकृत करने हेतु 38.37 लाख रुपये की नवीन मशीनें क्रय करना प्रस्तावित है ।

2. राज्य सरकार इन चारों रसायनशालाओं को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संचालित करना चाहती है । साथ ही संस्थान के संचालन हेतु सीडमनी/रिवालविंग फण्ड के रूप में एक मुश्त 40.00 लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है ।

(4) विभागीय चारों रसायनशालाओं में औषधि निर्माण में लगे श्रमिकों के स्वीकृत पदों में से दो पद वर्तमान में रिक्त हैं । यह पद नियमानुसार भरे जाऐंगे ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

गांव बेरखण्डी बाढोदा (बामनवास) सड़क निर्माण

590. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास के ग्राम बेरखण्डी को कृषि उपज मण्डी द्वारा गोद लिया गया है ? यदि हां, तो तब से अब तक इस गांव में किस-किस राशि के कितने-कितने कार्य कब-कब करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कृषि विपणन बोर्ड/मण्डी समिति इस गांव को बाटोदा सवाई माधोपुर सड़क से जोड़े जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब जारी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1994-95 में कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी द्वारा ग्राम बेरखंडी को गोद लिया गया है । इस गांव में विकास कार्य करवाने हेतु मण्डी समिति द्वारा वर्ष 94-95 एवम् 95-96 में 50,000/-रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल एक लाख रुपये की राशि डी.आर.डी.ए. सवाईमाधोपुर को भिजवाई गई थी । डी.आर.डी.ए. द्वारा उक्त राशि पंचायत समिति बामनवास को गत वर्ष 98-99 में दी गई है । पंचायत समिति द्वारा उक्त राशि का उपयोग पुलिया निर्माण में किया जावेगा । कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(2) बेरखंडी ग्राम को सवाईमाधोपुर सड़क से जोड़ने के लिये वर्ष 1993-94 में 3 कि.मी. लम्बाई के लिए 16.50 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गई थी । इस सड़क के निर्माण हेतु संवेदक द्वारा 2.70 कि.मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य एवं एक लेयर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य करने के पश्चात् आगे कार्य नहीं करने के कारण अनुबन्ध के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर संवेदक द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय गंगापुर सिटी में वाद दायर किया हुआ है । न्यायालय द्वारा दि. 13-1-99 को अनुबन्ध की धारा 2 व 3 (सी) (रिस्क एवं कोस्ट) बाबत यथा स्थिति रखने के आदेश दिये गये हैं । वाद की आगामी पेशी दि. 15-5-99 रखी गयी है । उक्त वाद के निस्तारण के पश्चात् ही निर्माण कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव हो पावेगी ।

प्रश्न संख्या-591

(स्थगित)

शासकीय वक्तव्य

व्यवसाय कर की वापसी

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमलजी बैद, वित्त मंत्री महत्वपूर्ण नीतिगत वक्तव्य देंगे ।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक

(श्री चन्दन मल बैद)

महत्वपूर्ण घोषणा करने खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, मैंने दिनांक 26 मार्च, 1999 को वर्ष 1999-2000 के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एक नया कर रखा, व्यवसाय कर लागू करने का प्रस्ताव किया था इस हेतु मैंने राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 भी सदन में पुरःस्थापित किया था। संविधान के अनुच्छेद 276 के अन्तर्गत प्रावधानों को इस्तेमाल करते हुए यह व्यवसाय कर राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति से निपटने हेतु उठाये गये कदमों में से एक था।

इसके पीछे मूल भावना यह थी कि जब राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों को जुटाये तो समाज के अपेक्षाकृत सक्षम वर्गों से यह अपेक्षा करे कि वे समाज के अभी तक उपेक्षित वर्ग के हितार्थ तथा उन विकट समस्याओं को जो राज्य के विकास को अवरुद्ध करती हैं, के समाधान में योगदान दें। इसी भावना के परिप्रेक्ष्य में व्यवसाय कर से होने वाली राजस्व प्राप्तियों को सरकार का विचार सम्पूर्ण साक्षरता और बाल शिक्षा के शत प्रतिशत सार्वजनिकीकरण हेतु व्यय करने का था।

इसी अवधारणा के अनुरूप कुछ दिनों पूर्व मैंने एक स्पष्टीकरण इस विधान सभा में दिया था, व्यवसाय कर केवल उन से वसूला जायेगा जो आयकर देते हैं। दुर्भाग्य से इसके बावजूद इस प्रस्तावित कर के सम्बन्ध में कुछ भ्रांतियां चलती रहीं।

पिछले दिनों में इस प्रस्तावित कर के बाबत विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए व्यक्तियों, संगठनों तथा व्यवसाय के प्रतिनिधियों से कई ज्ञापन राज्य सरकार को प्राप्त हुए जिसमें इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।

हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है। सरकार ने इस बीच जन-प्रतिनिधियों, विधान सभा, संसद सदस्यों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि से विचार विमर्श चालू रखा तथा यह महसूस किया, इस प्रकरण में और व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है।

अतः जन भावना का आदर करते हुए तथा विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों तथा सुझावों के अनुसरण में मैं यह घोषणा करता हूं कि बावजूद वित्तीय संसाधनों की महती आवश्यकता के, बजट में प्रस्तावित व्यवसाय कर वापस ले लिया जाय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह किसान के साथ धोखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्युत कर वापस लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान के उस गरीब किसान के साथ धोखा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और विद्युत कर वापस लिया जाय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह राजस्थान के उस गरीब किसान के साथ धोखा है। (भारी व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई और विद्युत कर भी वापस लिया जाय। यह सरकार किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का क्या हुआ, किसानों का?

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई और विद्युत कर भी वापस लिया जाए। (भारी व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, किसानों का क्या हुआ?

श्री अमराराम (धोद) : किसानों पर जो टैक्स लगाया है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान का किसान अपनी मांग के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता, राजस्थान का किसान गांव में रो रहा है। उनका सिंचाई का कर जो दोगुना बढ़ाया गया है उससे मात्र 7 करोड़ आमदनी होने वाली है— (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंचाई कर वापस लिया जाय।

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का क्या हुआ किसानों का? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों पर बिजली व सिंचाई टैक्स वापस लो।

श्री अमराराम (धोद) : किसान पर दोगुना सिंचाई कर कर दिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इससे ज्यादा अफसोस और क्या होगा।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, टैक्स भी वापस ले लिया, क्या चाहते हैं यह?

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान का गरीब किसान जिसकी कोई आवाज नहीं ...(व्यवधान) कोई प्रदर्शन नहीं करता ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद किसान के प्रतिनिधि हैं, किसानों की जो सिंचाई की दरें बढ़ायी हैं ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संगठित लोगों के दबाव में आकर....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चुनाव को ध्यान में रख कर के यह करना चाहते हो। (भारी व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, किसानों का क्या हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई की दरें बढ़ायी हैं ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इनकी सरकार गयी जो अब यह +++ (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं..(भारी व्यवधान) लेकिन राजस्थान का गरीब किसान जो गांव में बैठा है उसकी पीड़ा को नहीं समझा । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : बिजली की दर बढ़ा दी किसानों की, उसका क्या हुआ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिससे मात्र केवल सात करोड़ की आमदनी होने वाली है उस सात करोड़ की आमदनी के लिए यह सरकार दिवालिया हो जायेगी, यह सरकार डूब जायेगी । आप 80 करोड़ छोड़ सकते हो, आप किसान का बढ़ा हुआ सिंचाई का टैक्स....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली में इनकी सरकार जाने के कारण....(व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का भी माफ करो ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनका बढ़ा हुआ बिजली का पैसा... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसान विरोधी ।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया इन लोगों ने बहुत बड़ा । इनका दिल्ली में सफाया हो गया, आज इनका सफाया हो गया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनके बारे में कोई तैयार नहीं है...(व्यवधान).... उनके बारे में कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं... (भारी व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई और विद्युत कर वापस लो, वापस लो ।

अनेक माननीय सदस्य : वापस लो, वापस लो । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर व्यवसाय कर वापस लिया तो उस किसान का बढ़ा हुआ सिंचाई का पैसा इस सरकार को वापस लेना होगा । (व्यवधान) अब व्यवसाय कर लिया जा सकता है तो सिंचाई की बढ़ी हुई दरें इस सरकार को वापस लेनी होंगी । (व्यवधान) राजस्थान सरकार के लिए और इस किसान के लिए इस सरकार को बढ़ा हुआ सिंचाई का जो पैसा है वो लेना पड़ेगा । वो बोल नहीं सकता, वो प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो हिंसा नहीं फैला सकता....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से व्यवसाय कर वापस लिया है, आज राजस्थान के किसान की स्थिति कमजोर हो चुकी है, उसकी फसल बरबाद हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों ने क्या बिगाड़ दिया आपका ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब व्यवसाय कर यहां माफ किया जा सकता है, उस गरीब किसान....(भारी व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सिंचाई दर बढ़ा दी, बिजली की दर बढ़ा दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंचाई और विद्युत कर भी वापस लिया जाय।

श्री जगत सिंह दायमा : वापस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सोच सकती है, इस पर विचार कर सकती है तो उस किसान की सिंचाई के पैसे की, उनकी बढ़ी हुई दरों के बारे में इस सरकार को निश्चित रूप से....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय वित्त मंत्रीजी दबाव में आ गये, और दूसरे लोगों के दबाव में आ गये....(व्यवधान).... इन्होंने व्यवसाय कर वापस लिया; विद्युत और सिंचाई कर भी वापस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इस सरकार से यह आग्रह करता हूं कि बढ़ा हुआ सिंचाई का पैसा तुरन्त लें नहीं तो ....(व्यवधान).... हम यहां आंदोलन करेंगे। (भारी व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ....(व्यवधान).... किसानों के साथ अन्याय बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : सिंचाई कर, बिजली कर वापस लो।

डा. जसवन्त सिंह : किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, व्यवसाय कर वापस ले लिया, जो टैक्स वापस ले लिया उसका विरोध कर रहे हैं यह लोग।(व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों का वापस लो।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्रीजी किसान के दुश्मन हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : संवेदनहीन है यह सरकार। (व्यवधान) बिजली की दरें

(श्री अमराराम (घोद))

दोगुनी कर दीं, सिंचाई कर दोगुना कर दिया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसान पर बढ़ा हुआ कर वापस लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : किसानों पर लगा हुआ टैक्स वापस लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंचाई व विद्युत कर वापस लो।

अनेक माननीय सदस्य : वापस लो, वापस लो।

डा. किरोड़ी लाल : सिंचाई व विद्युत कर वापस लो।

अनेक माननीय सदस्य : वापस लो, वापस लो।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : भाजपा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिंचाई कर वापस लो। (व्यवधान) गरीब किसानों के दुश्मन वित्त मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों का टैक्स वापस लो, वापस लो।

श्री देवीसिंह भाटी : किसानों के साथ अन्याय किया गया है। व्यवसाय कर वापस ले लिया (व्यवधान).... उनके साथ ज्यादती की गयी विद्युत कर और सिंचाई शुल्क लागू किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्रीजी किसानों को क्यों मारने पर तुले हुए हो। (भारी व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किसानों पर लगा बिजली का टैक्स वापस लो। वापस लो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (भारी व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ग्रामीण अंचल से और भी माननीय सदस्य आते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 8 करोड़ का ही सवाल है, जहां 80 करोड़ का हो गया तो 8 करोड़ का क्या है, यह तो कर ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : इनकी दिल्ली में सरकार गयी इसलिए दिल्ली की सरकार को पुकार रहे हैं यह। वह तो गयी, अब पुकारो आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, विद्युत कर और सिंचाई कर वापस लिया जाय। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बयानी कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों की बिजली की कोई दर नहीं बढ़ायी गयी है। (व्यवधान) राजस्थान में बिजली की दरें नहीं बढ़ायी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मीटर किराया....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बढ़ायी है। (भारी व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान में किसानों का कोई पैसा नहीं बढ़ा है।(भारी व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : डबल-डबल कर दिया किसानों पर। (व्यवधान) आप कुछ नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : नर्सरी योजना समाप्त की गयी है। कोई तार, खम्भे का पैसा नहीं लगेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों पर जो टैक्स लगाया वापस लो, वापस लो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इनकी दिल्ली में सरकार गयी, अध्यक्ष महोदय, इसलिए पुकार रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : +++ बोले मंत्री महोदय।

श्री रामस्वरूप : यह अटल बिहारीजी वाजपेयी गये इसलिए पुकार रहे हैं। कोई इनको मतलब नहीं है टैक्स से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन किसान के लिए यह संवेदनहीन सरकार है। वित्त मंत्रीजी, आप अगर किसानों के हमदर्द हैं, संवेदनशील हैं तो आपको किसानों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना चाहिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश दें, सिंचाई और विद्युत शुल्क वापस किया जाय। (भारी व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अमरारामजी। डा. साहब। प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा....

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों ने क्या बिगाड़ा है, यह बताइये आप। उनके तो यूनियन थी।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी, आप सीधे बोलते हैं। माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : उनकी तो वापस ले ली आपने और किसानों ने क्या बिगाड़ दिया आपका ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान डाल रहे हैं आप। आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मैं अपनी बात कह सकता हूं और कहना आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : किसान के बेटे तो इस सदन में और भी आये हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : इन्होंने बिजली की दरें बढ़ा दीं, सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। इसको तो कम कीजिए। आप तो किसान के लड़के है आपको करना चाहिए कम इसके लिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : बिजली की दरें कहां बढ़ायी हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : ....(व्यवधान) सरकार के पास कौनसा दबाव है जिसके कारण किसानों की दरों को नहीं... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : राजस्थान में किसानों के लिए एक पैसा नहीं बढ़ाया गया है। गलत बयानी कर रहे हैं। एक पैसा नहीं बढ़ाया गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किसान के बेटे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम : आपने मीटर शुल्क बढाया है, आपने स्थायी सेवा शुल्क दुगुना किया है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फ्लैट रेट पर एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। गलत बयानी कर रहे हैं यहां पर। कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम : बिजली की सारी दरें बढ़ी हैं। (व्यवधान) पहली बार राजस्थान में 4 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। राजस्थान के किसानों को. (व्यवधान) स्थायी सेवा शुल्क दुगुना कर दिया। सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय दिलावरजी, आप बैठिए। प्लीज शांत। अमरारामजी, आप बैठिए नीचे।

डा. चन्द्रभान : यहां पर फ्लैट रेट पर कहां पैसा बढ़ाया है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बढ़ाया है, शुल्क बढ़ाया है ।(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : आप गलत बयानी कर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कोई पैसा नहीं बढ़ाया है । फ्लैट रेट के ऊपर एक पैसा नहीं बढ़ाया गया है । मैं आपको कह रहा हूं ।

श्री अमराराम : आपने मोटर किराया दुगुना किया है, स्थायी सेवा शुल्क बढ़ाया है ।(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है । आप गलत बयानी कर रहे हैं । फ्लैट रेट पर किसानों के लिए एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह व्यावसायिक कर को वापस ले लिया ....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सिंचाई की रेट बढ़ायी है उसको....(व्यवधान)

श्री अमराराम : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने विद्युत शुल्क बढ़ाया है । आपने सिंचाई शुल्क बढ़ाया है ।(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, एक पूंजीपति एक करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराता है उसको तो आधा टैक्स देना पड़ता है और जो किसान है वह गरीब व्यक्ति है....(व्यवधान) किसान विरोधी सरकार है यह ।

मोहम्मद माहिर आजाद : व्यावसायिक कर की तरह सिंचाई कर भी वापस लिया जाए ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । आप खड़े ही रहते हैं । (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में किसान भी वोट देते हैं ।(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप भी किसान की बात को नहीं सुनेंगे तो ? आप तो किसान की बात सुनें । जिस तरह से व्यावसायिक कर हटाया गया है, सिंचाई की दरें भी वापस ली जाएं ।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, आप तो कृपा कीजिए । इस सरकार ने पहली बार 4 प्रतिशत किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया है । यह सरकार किसान विरोधी है । और अभी वित्त मंत्री महोदय घोषणा कर रहे हैं ।(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सांवर लाल : जिस तरह से व्यावसायिक कर वापस लिया गया है । मैं मांग करता हूं कि सिंचाई की दरें भी वापस ली जाए । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा वाले भूखे मर रहे हैं मैंने इनको 15 रुपये दे दिये हैं ।

श्री सांवर लाल :....(व्यवधान) क्योंकि किसान संगठित नहीं हैं वह अपनी आवाज को उठा नहीं सकते । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं ।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि यह 15 रुपये, 15 रुपये वित्त मंत्रीजी को दे दिए जाएं जिससे वित्त मंत्रीजी इस को कर के रूप में इस्तेमाल कर लें और किसानों को माफ कर दें । कांग्रेस के रामस्वरूपजी ने वित्त मंत्रीजी के लिए 15 रुपये दिये हैं ।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज की खुराक दे दी है । यह भूखे मर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : ये वित्त मंत्रीजी को दे रहे हैं ।(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहस-मुबाहिसे में पड़े बगैर यूनाइटेड फोर्स राष्ट्रीय जनता दल, बी.एस.पी., जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी सिंचाई कर वापस लेने के विरोध में और सिंचाई वृद्धि माफ नहीं करने के विरोध जो कर या शुल्क बढ़ाये हैं, हम वैल में धरना दे रहे हैं ।

(मा. सदस्य श्री जगमाल सिंह यादव, श्री अमराराम, श्री जगत सिंह दायमा, श्री फतेह सिंह और श्री जीतमल द्वारा वैल में धरना)

मोहम्मद माहिर आजाद : विद्युत कर के लिए भी । व्यावसायिक कर को वापस लिया । हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको विद्युत कर भी वापस लेना चाहिए और सिंचाई कर भी वापस लेना चाहिए । यह राजस्थान के किसानों के साथ धोखा है । आपने किसानों के नाम पर वोट बटोरे, आपने किसानों के नाम पर राजनीति की और आज आप पूंजीपतियों के आगे झुके हो, किसानों के आगे नहीं झुके हो फिर किसान के पक्ष की भावना की बात करते थे । आप ने किसानों के साथ धोखा किया है । आप सिंचाई और विद्युत कर और वृद्धि को वापस लीजिए ।

(मा. सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा वैल में धरना)

श्री रामप्रताप : किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है । किसान सक्रिय हैं हम इस अन्याय को कभी सहन नहीं करेंगे चाहे हमें आप हाउस से निकाल दें ।

(वैल में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने व्यावसायिक कर लगाया था। पहले आपने इसको कम किया.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने भी आंदोलन किये थे। एम-फोर्ट घोटाला भूल गये। तब आपको किसानों की याद नहीं आयी। (व्यवधान) दिल्ली में इनकी सरकार गयी इसलिए पुकार रहे हैं ये।(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....(व्यवधान) क्या गुनाह किया है इन किसानों ने? सरकार व्यावसायिक कर को पूरा वापस लेने के लिए मन बना ले तो सिंचाई की दरों को वापस लेने में सरकार को शर्म क्यों आती है ? सिंचाई की दरों को आपने दुगुनी कर दिया....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब भाजपा की सरकार गयी।

श्री बाबूलाल नागर : आप किसानों का खून चूसते रहे। अब आपको किसान याद आने लगे हैं।

श्री रामस्वरूप : अब भाजपा नहीं आयेगी दिल्ली में। (व्यवधान)

(विपक्ष की तरफ से नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :....(व्यवधान) 80 करोड़ का व्यावसायिक कर हटाया तो किसानों के ऊपर लगा हुआ वह 15 करोड़ यह सरकार वापस क्यों नहीं ले सकती ? जब वह सबको राहत देना चाहती है, सरकार की यह मानसिकता है कि सबको राहत मिले और व्यावसायिक कर को कम किया जाए, 80 करोड़ रुपये की आमदनी को खत्म किया जाए, मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान का किसान आपसे कुछ नहीं मांगता है ...

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब बैठिए। उप नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : हम किसान के बेटे हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आपके उप नेता बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : किसान का खून चूसकर अब उनके पक्ष में बोल रहे हो। एम-फोर्ट घोटाले में जो किया, किसानों को लौटा दें। एम-फोर्ट घोटाले में करोड़ों रुपया खा गये थे। खाद के पैसे किसने बढ़ाये थे ? (व्यवधान) अब सरकार गयी; +++ किसानों की बात करके। आप ने खाद के पैसे बढ़ाये, आपने डीजल के पैसे बढ़ाये और अब आपकी सरकार गयी तो आप पुकार रहे हो,+++(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो सिंचाई की रेट्स बढ़ाई गयी हैं उन्हें कम किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार ने 80 करोड़ रुपये का जो व्यावसायिक कर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित कीगयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगाकर इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था उसको सरकार ने यह सोचकर कि इस व्यावसायिक कर को कम किया जाए और पहले यह कहा था कि हम इनकम टैक्स पे जो करता है उसके ऊपर यह रखेंगे। जब यह सरकार 80 करोड़ रुपये की आमदनी को जनता के हित में और जनता की मुसीबत को ध्यान में रखकर वापस ले सकती है तो राजस्थान का किसान जिसके आधार पर राजस्थान, आप और हम यहां बैठे हैं वह राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय है .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप किसानों को लूटते रहे और आज ये किसान याद आने लग गये। आपने किसानों का खून चूसा है। (व्यवधान) खाद के पैसे इन्होंने बढ़ाये, डीजल के पैसे इन्होंने बढ़ाये ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....(व्यवधान) क्या 15 करोड़ रुपये से सरकार अपना सारा दिवालियापन निकाल देगी ? मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आपने इतना पैसा छोड़ा है, यह सोचते हुए कि इससे जनता को समस्या है तो किसानों को केवल 15 करोड़ रुपया, सिंचाई की जो आपने डबल रेट की है।

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि यह सदन, आप और हम सब लोग यहां जिसके भरोसे आये हैं, वह राजस्थान के किसान के भरोसे आये हैं। आज दिन तक, जिसके घर के झोंपड़े के कोल्हू आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे 50 साल पहले थे। आज भी उसका बेटा फटा निकर पहनकर चलता है और हमको अन्न खिलाकर यहां भेजता है। हम 15 करोड़ रुपये उसको छोड़ेंगे तो क्या गरीब .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कटारियाजी।

श्री रामस्वरूप : .... (व्यवधान) खाद का पैसा बढ़ाया आपने और आज कहते हैं। ये किसानों की बात करते हैं। ये सरकार के लिए +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान विरोधी रामस्वरूपजी, बैठ जाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतने बड़े-बड़े धन्ना सेठों को छोड़ सकते हो, उन पर से इस वजन को हटा सकते हो...(व्यवधान) तो इन बढ़ी हुई दरों को क्यों नहीं हटा सकते हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, आप सुनिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : काश्तकार की बात कर रहे हैं। जौहरियों की बात करने वालों किसान के बारे में आप क्या जानों। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामप्रताप : आज उनका संगठन नहीं है। उसके हितों की रक्षा करना आप किसान के बेटे हो आपका काम है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : और राजस्थान के संसदीय इतिहास में यह बात जाएगी। आपको ले डाउन करना चाहते हैं। किसान के खून में से यह क्या निकालना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर.... (व्यवधान) आसन पैरों पर। आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यूरिया के दाम, डीजल के दाम किसने बढ़ाये थे। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के दाम बढ़ाकर और डीजल के दाम बढ़ा कर यहां मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं यह...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह सहन करने वाली नहीं है। यह विरोध प्रकट करने के लिये नहीं है। राजस्थान के किसान के साथ में अन्याय हो रहा है उसके लिये बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये–बैठिये। विनियोग विधेयक पर दो दिन की चर्चा है। वित्त विधेयक पर भी चर्चा होगी। अन्य भी जो कर लगने वाले विधेयक हैं उन पर चर्चा होगी....(व्यवधान) बैठिये आप। आप अपनी बात विधेयक के पक्ष में कह सकते हैं.. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आज जो चर्चा हुई है, आज वक्तव्य इन्होंने दिया है.... (व्यवधान) जिससे हर बार यह समझा लो, उठायी कर दो। यह भी नीतिगत मामला है। किसानों पर कर लगाया है। अन्याय किया है।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, हम व्यवसाय कर आज वापस ले सकते हैं तो किसानों के साथ जो कुठाराघात हुआ है वह वापस क्यों नहीं हो सकता। व्यवसाय कर वापस हो सकता है तो किसानों के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। 15 करोड़ रुपये का सवाल है....(व्यवधान) राजस्थान के किसान अकाल से पीड़ित हैं। उनके चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 15 करोड़ से कोई सरकार का खजाना खाली होने वाला नहीं है। 15 करोड़ रुपये का सवाल है सिर्फ। किसानों की आत्मा बोल रही है अध्यक्ष महोदय....

श्री रामप्रताप : किसानों के साथ अन्याय नहीं हो....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, अध्यक्ष महोदय। आपके

(श्री सांवर लाल)

नाम से, आपकी शक्ल दिखा–दिखा कर वोट लिये हैं किसानों से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अत्यंत गरीब हैं, किसान को कोई आवाज नहीं है... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, वेल में से भाषण को....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसान की मांगों को अगर सरकार चाहती है तो ...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय वेल में खड़े हुए माननीय सदस्य भाषण तो ना दें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी कड़ी मेहनत करके अपना पैसा कमाता है। जब किसान अपना पसीना बहाता है....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठिये।

श्री मदन दिलावर : जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो ठीक तरह से खा नहीं सकता अध्यक्ष महोदय, कपड़े नहीं पहन सकता, वह ठीक तरह से भोजन नहीं कर सकता, ऐसे किसान के ऊपर सिंचाई शुल्क दुगुना करके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के कर्मचारियों के आन्दोलन, गुस्से के सामने राजस्थान की सरकार ने अपने घुटने टेके हैं। टेकने चाहिये। राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर और कर्मचारी इसके लिये बधाई का पात्र है। यह सरकार नहीं है। लेकिन किसान....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये....

श्री अमरराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जब कटाई पर लगा हुआ है आन्दोलन नहीं कर सकता....

श्री अध्यक्ष : श्री अमरराम जी, आपने अपनी बात कह दी। श्री अमरराम जी बैठिये। आसन पैरों पर...(व्यवधान) आसन पैरों पर..

श्री अमरराम (धोद) : उस समय किसानों का, हजारों की संख्या में धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने पहली बार... (व्यवधान) एक मिनट में कह दूं....

श्री अध्यक्ष : आपने अपने विचार रख दिये....

श्री अमरराम (धोद) : नहीं, मैं कह

(श्री अमराराम (धोद))

दूं एक मिनट अपनी बात । मैं तो विचारों को....

श्री अध्यक्ष : आपने सदन में विचार रख दिये और भी आपको अवसर मिलेंगे, और भी अवसर मिलेंगे । विनियोग विधेयक पर मिलेंगे, वित्त विधेयक पर मिलेंगे....

श्री अमराराम (धोद) : एक सेकण्ड आप विराजिये....

श्री अध्यक्ष : अन्य विधेयकों पर भी आपको अवसर मिलेंगे। (व्यवधान) नहीं, इस तरह से नहीं। सदन में अव्यवस्था मत फैलाइये। सदन की व्यवस्था को रखिये। सदन में घोर अव्यवस्था फैला रहे हैं आप लोग....

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय; वह व्यवसाय कर वापस लिया गया लेकिन किसानों पर पहली बार राजस्थान ने बाहर उत्पादन भेजने के लिये इस बार जो कर लगा है....(व्यवधान) सिंचाई शुल्क दुगुना किया गया है, बिजली की दर दुगुनी की गयी है....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : और लोग तो संघर्ष कर सकते हैं। किसानों का संघर्ष तो हम ही करेंगे और हम जानते हैं वित्त मंत्रीजी किसान विरोधी हैं। इस तरह कोई बात कहने के बाद में सुनने वाले नहीं हैं। यह पूरी सरकार किसान विरोधी है और कम से कम वित्त मंत्रीजी को तो पता ही नहीं है किसान क्या होता है। वह तो चाहते हैं कि किसान को राजस्थान से खदेड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए; मार दिया जाए, यह इच्छा है वित्त मंत्रीजी की....(व्यवधान) किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी....

श्री मदन दिलावर : किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर, आसन पैरों पर..

श्री रामस्वरूप : पांच साल चलेगी सरकार....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, यह किसान विरोधी सरकार है। इन लोगों को निर्देश दें कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री मदन दिलावर : यह किसानों का मामला है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पारदर्शी कह रहे हैं अभी वाली सरकार को... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता; प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, 1952 से लेकर आज तक इस विधान सभा में कई बार बजट पेश हुए हैं, बजट पारित हुए हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एप्रोप्रिएशन बिल आया, फाइनेंस बिल आया, स्टेजेज हैं सब। बजट पेश होने के बाद में एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा। आज तक सरकार करों के सम्बन्ध में जो भी घोषणा होती है वह घोषणा इन दो अवसरों पर करती है। कर लगाने की बजट के अवसर पर और करों में किसी प्रकार का संशोधन किया जाए उसकी घोषणा होती है फाइनेंस बिल पर। आज इन्होंने घोषणा की है यह राजस्थान के इतिहास में पहला अवसर है और मैं ऐसा ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार कभी भी कदम उठा सकती है...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : बैठ जाइये, नहीं तो आपके नेता बोलेंगे उन्हें भी नहीं बोलने दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दबाव में किया हो, किसी भी कारण से किया हो, अच्छा किया है। इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

साथ ही यह आप मानकर चलिये कि जिन्होंने विरोध किया उनसे तो आप डरते हैं और इतना दब गये कि आप एप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल के दिन घोषणा करें, उसके पहले ही कल आपको दबाव था कि आप कल घोषणा करोगे, नहीं हम राजस्थान बन्द करेंगे। अब वह दबाव में आपने कर दिया।

इसका मतलब जो किसान अभी तक आप अपना दबाव नहीं बना पाया, या बाकी के वर्ग जिनके ऊपर आपने टैक्सेज लगाये हैं, वह अपना दबाव नहीं बना पाये, तो आप एक प्रकार से उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी दबाव लाओ, आप भी प्रदर्शन करो। आप भी लाठीचार्ज के अंदर मौका दो पुलिस को आपको दबाने का।

ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि बजट की सैंक्टिटी अध्यक्ष महोदय, यदि इसी प्रकार से चलती है तो माननीय सदस्य यदि मांग कर रहे हैं कि बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ायी है, या सिंचाई शुल्क आपने बढ़ाया है, उनको आपको वापस लेना चाहिये।

अब यह अवसर नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपको अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : फाइनेंस बिल अभी आयेगा.. फाइनेंस बिल भी आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको अवसर मिलेगा एप्रोप्रिएशन बिल पर। यह भी सही है हमको फाइनेंस बिल पर अवसर मिलेगा। लेकिन आज इन्होंने अवसर का लाभ उठाया है तो बाकी के सदस्य इस बात की मांग क्यों नहीं करें कि इस अवसर पर भी आज किसानों को किसी न किसी प्रकार की राहत दें? यह मामला इस बात का है।

मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अभी दबाव में कई कारण और हो सकते हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिनका मैं जिक्र आज नहीं करूंगा लेकिन मैं कल करना चाहूंगा। यह मैं कह रहा हूं कि एक नयी परिपाटी इन्होंने डाली है तो इस नयी परिपाटी में एक व्यवस्था के रूप में यदि विपक्ष यह मांग कर रहा है कि हमारी यह चीजें, यह टैक्स वापस लिये जाएं तो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह इसकी मांग है। इसलिये हमारा निवेदन है कि आप सरकार को बाध्य करें कि क्या....

श्री राजेन्द्र पारीक : वह उससे पहले वापस ले लिया। केन्द्र सरकार ने अभी लिया है...(व्यवधान) वापस ले लिया उन्होंने। बजट पास नहीं हुआ, फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : डीजल के दाम बढ़ाये उन्होंने...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप, पंडित जी, बैठ जाओ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि माननीय सदस्यों ने मांग की विद्युत शुल्क के बारे में और सिंचाई शुल्क के बारे में। आप खड़े होकर कह दीजिये मैं माफ नहीं करूंगा। आप कह दीजिये, नहीं करूंगा। आप कहिये, खड़े होकर कह दीजिये, नहीं करूंगा। आप कर दीजिये इसमें क्या दिक्कत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एप्रोप्रिएशन बिल आएगा तब जवाब देंगे। आपने कब-कब यहां कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कह दीजिये आज नहीं करूंगा, परसों करूंगा। आप यह कह दीजिये परले दिन करूंगा, या आप कह दीजिये बिलकुल नहीं करूंगा। मैं जानता हूं। आपकी स्थिति अच्छी तरह से पहचानता हूं कि चन्दनमलजी एक बार कह दें मैं वापस नहीं लूंगा टैक्स लगा दिया तो नहीं लेऊंगा।

मुझे याद है...(व्यवधान) मेरी सुनिये, 1982 में या 1984 में आपने किसानों के ऊपर यही सिंचाई शुल्क बढ़ाया था। आप बिलकुल जिद कर गये कि मैं वापस नहीं लेऊंगा। आखिर आंदोलन हुआ। कई किसानों को उसके कारण से परेशानी भी हुई, सरकार को भी परेशानी हुई और आपने बड़े दुखी हृदय से वह सिंचाई शुल्क वापस लिया।

अब आप चाहते हैं कि आप उसी प्रकार से दुखी हों तो वह कह दो कि मुझे दुख दो तब जाकर मैं यह टैक्स वापस लूंगा। या आप यह चाहते हैं जिस तरह से व्यवसाय कर आपने वापस लिया, बहुत अच्छा किया। आपने व्यवसाय कर लगा-कर राजस्थान की इकोनोमी के ऊपर, बढ़ती हुई इकोनोमी के ऊपर जो टेक आफ करने की स्थिति में आ रही थी, उसको अवरुद्ध करने की कोशिश की।

मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंदोलन करके आपको दबा दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और दबा कर आज के आज यह करायी। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाए कि आप फिर दब कर आकर यही करो तो यह रास्ता, अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछ लीजिये कि इनको दबाने का तरीका यही है क्या ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपके दबाव में नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे दबाव में नहीं किया। लेकिन आप दबाव का तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आपके इन टैक्सेज के विरोध में राजस्थान में इतना दबाव पड़ेगा।

कभी सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि आपने बजट में जो टैक्स प्रपोजल दिये हैं, उनमें वित्त मंत्रीजी ने लिखा है कि मैंने सारे करों का सुझाव सारे वर्गों को विश्वास में लेकर के किया है। जिसमें व्यापारियों को लिया, उद्योगपतियों को लिया, किसान को आपने विश्वास में नहीं लिया। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाकी के लोगों को भी आपने विश्वास में नहीं लिया और टैक्स लगा दिया।

अब मैं आज आपको फिर कहता हूं कि जिस तरह से आपने यह व्यवसाय कर वापिस लिया है उसी प्रकार से यह टैक्स वापस लेना पड़ेगा। आप फैसला कर लीजिये कि आप राजस्थान की जनता को आंदोलन करने का निमंत्रण देते हैं और आंदोलन करने के बाद में इसको लेने की तैयारी है या जैसे ही सहज स्वभाव से दबकर, अध्यक्ष महोदय, यह उर्दू में एक शब्द है वह अनपार्लियामेंट्री है या पार्लियामेंट्री है मुझे पता नहीं है।

इस सरकार की जो आज +++ हुई है हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी सरकार की भी ऐसी +++ नहीं हुई है। और वैसी +++ करानी है तो आपकी मर्जी की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा....

श्री संयम लोढ़ा : दिल्ली में हुई है +++ तो आपकी .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ तो वहां दिल्ली में हुई है आपकी, दिल्ली में क्या कर आये आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जहां बार–बार कह रहे थे सरकार को बचाकर के आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : +++ का मतलब बेइज्जती है ...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : +++आपकी हुई है व्यवसाय कर हटाने से...(व्यवधान) सरकार की नहीं हुई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उर्दू में +++ है और हिन्दी में बेइज्जती है, दोनों ही सही हैं । अब बेइज्जती ही यह तो ...(व्यवधान) +++ आम शब्द है ।

श्री अध्यक्ष : +++ आम शब्द नहीं है, +++ अनपार्लियामेन्ट्री है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : +++ उर्दू में है । अच्छा ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : अनपार्लियामेन्ट्री है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : पार्लियामेन्ट में जो हुआ उसका नजारा तो करो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेइज्जती तो कह सकते हैं .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में क्या हुआ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शुरु हो गयी है । दिल्ली का प्रभाव है । यह भी दिल्ली का प्रभाव है....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : दिल्ली में क्या हाल हुआ आपका....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी दिल्ली का प्रभाव है । आपके सर के ऊपर चुनाव आ रहे हैं । उस चुनाव के डर से और लोगों के दबाव से आपने किया है। यह भी सब जानते हैं लेकिन चुनाव में केवल व्यवसाय कर वाले ही आपको वोट देंगे ऐसा नहीं है । किसानों से भी आपको वोट लेने हैं ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को कहिये कि इस सम्बन्ध में अभी बतायें कि आप यह टैक्स हटाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं । इतना ही सवाल है....(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जो प्रभाव बना उसको....(व्यवधान) लखनऊ का और बता दें.... (व्यवधान) भला हो जायेगा.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय आसन राज्य सरकार को इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । आपके सामने अवसर है आप तब अपनी बात

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

रखिये । आज महत्वपूर्ण मांग है और प्रतिपक्ष के नेता भी चाहते थे इसलिए मैंने जीरो आवर नहीं रखा.. (व्यवधान) मैंने जीरो आवर नहीं रखा... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष जी, किसान से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपनी बात कह चुके हैं। आप कह चुके हैं इसलिए सदन की जो कार्यवाही है उसका सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान से ज्यादा संवेदनशील मसला कोई हो ही नहीं सकता....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मामूली सी मांग है, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमलजी, माननीय वित्त मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि हम यह टैक्स वापस नहीं लेंगे । यह इतना सा कह दें ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपकी सब मांग ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतनी सी मांग है । ज्यादा लंबी-चौड़ी मांग नहीं है । कह दें, यह कह दें कि हम वापस नहीं लेंगे । बस इतना ही कह दें ।

श्री सांवर लाल : बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह तो इनके पक्ष की बात है । कह दीजिये आप तो कि मैं वापस नहीं लूंगा । अध्यक्ष महोदय, सारी सरकार ऐसे बैठी है । अब सरकार और चन्दनमल जी डरे हुए हैं कि आज मैं कह दूं कि वापस नहीं लेऊंगा और कल दबाव बन गया तो मुझे लेना पड़ेगा । इनके सामने यह समस्या है ।

श्री देवीसिंह भाटी : दबाव में तो आते ही नहीं हैं कभी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमल जी नहीं बोलें तो कमला जी कह दें कि हम टैक्स वापस नहीं लेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक कर पूछें आप तो । वह नहीं बोलें तो दूसरा बोले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मुझे मालूम है प्रद्युम्न सिंहजी. (व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन : आपका तो कोई काम नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह किसान आज टकटकी लगाये हुए है कि व्यवसाय कर तो माफ कर दिया । हमारे बारे में सरकार

(श्री सांवर लाल)

गंभीर है या नहीं है – (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत बड़ी गम्भीर है। अकाल पड़ रहा है सिंचाई का पैसा कहां से देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य बिना अनुमति बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आप वैल में हैं। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप रिपीटिशन कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती कमला बृजलाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं। यह बात आप कह चुके हैं। अंकित नहीं हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री अध्यक्ष : आप यह कह चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री देवीलाल बैरवा : ×××

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : ×××

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : ×××

डा. जसवंत सिंह यादव (मण्डावर) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय आजाद साहब, एक-एक आदमी वैल से उठकर आ रहा है, जा रहा है फिर वापस, अव्यवस्था मत फैलाइए आप। अंकित न हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री अध्यक्ष : इस बात को आप कह चुके हैं। आपके सामने अवसर है, आप अपनी बात को उस अवसर पर कहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : ×××

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : कल सदन में बिजली, अकाल और पेयजल पर मांग है, और बिजली की मांग के बारे में कह रहे हैं, माननीय सदस्यों

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

को पर्याप्त अवसर मिलेगा और उस समय अपनी यह बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई मतलब नहीं, अंकित नहीं हो, माननीय सदस्य, श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस सम्मानीय आसन पर बैठे हुए हैं, आपको पूर्ण अधिकार है, आप चाहे मेरी बात को अंकित होने दें या नहीं होने दें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात अंकित हो रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि परम्पराओं से हटकर अनप्रीसिडेंटेड तरीके से वित्त मंत्री को आपने जिस बात के लिए अलाऊ किया है और उन्होंने जो घोषणा की है व्यवसाय कर को हटाने की, मैं नहीं समझती कि जिन उम्मीदों से, जिन आशाओं से, जिन आकांक्षाओं से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की झोली में 153 सीटें डालीं, वह उम्मीद कर रही थी राजस्थान की गरीब, मजदूर और किसान जनता कि उन लोगों को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। व्यवसाय कर तो आप हटा दें और किसानों को बिजली और सिंचाई पर टैक्स लगा दें; इससे अधिक अन्याय तो कोई किसानों के साथ आप कर नहीं सकते।

इसलिए मैं भी आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि वित्त मंत्रीजी, वैसे तो आपके स्वभाव और आपके चरित्र के बिलकुल विपरीत बात है, मन में आपके कुण्ठा है, आपने व्यवसाय कर वापस जरूर लिया है, फिर भी आपके कुण्ठा है।

लेकिन मैं समझती हूं कि जिस इलाके से आप जीतकर आते हैं, उन लोगों के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है।

इसलिए मेहरबानी करके सहानुभूति पूर्वक विचार करके किसानों पर जो सिंचाई और बिजली, अभी विद्युत मंत्रीजी कह रहे थे, मैंने केवल फ्लैट रेट पर ड्यूटी नहीं बढ़ायी। फ्लैट रेट तो खुद ही इतनी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ज्यादा है जिस पर आप क्या बढ़ाते लेकिन आपने बाकी की ड्यूटी तो बढ़ाई है इसलिए मानिए...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रही थी। फ्लैट रेट तो इतनी ज्यादा है, उसको क्या बढ़ाते आप? फ्लैट रेट पर तो ड्यूटी बढ़ा नहीं सकते थे इसलिए आपने बाकी सब पर तो ड्यूटी बढ़ा दी। 90 करोड़ रुपए का जब टैक्स लगाया था भैरोंसिंहजी की बी.जे.पी. सरकार ने तब तो आप और हम सड़कों पर उतर आए थे, और आज 91 करोड़ की आप ड्यूटी लगा रहे हैं और आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि लगा दिया हमने, हम इसे वापस नहीं लेंगे।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करते हुए कि यदि आप इसे वापस नहीं लेते हैं तो मेरी पार्टी भी वैल में जाकर इसका विरोध करेगी और धरने पर बैठेगी।

(13.00 बजे)

(माननीय सदस्या श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : किसानों की बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कथन सही नहीं है कि किसानों की बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी की गई है। किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केवल घरेलू और औद्योगिक में बढ़ोतरी की गई है, एग्रीकल्चर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : X X X

श्री मदन दिलावर : X X X

श्री राजेन्द्र राठौड़ : X X X

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : सदन में घोर अव्यवस्था है। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं सदन की बैठक 45 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.05 बजे 45 मिनट के लिए स्थगित हुई)

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(पुनः समवेत होने पर)

(13.51 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य का व्यवहार क्या है, यह क्या व्यवहार है ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसान का कर वापस नहीं लिया तो यह पूरा राजस्थान भूखा मरेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : अगर किसानों का कर वापस नहीं लिया तो राजस्थान भूखा मरेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस सरकार को राजस्थान के किसानों ने जनादेश दिया था ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसानों को इतनी बढ़िया बिजली मिली, 12 घन्टे किसानों को बिजली मिली। कोई टैक्स किसानों पर नहीं लगाया गया झूठी बदनामी कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टैक्स दोगुना किया ....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई कर ही नहीं, विद्युत शुल्क को भी दोगुना किया ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सिंचाई कर और बिजली कर वापस लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : किसानों पर लगाया हुआ कर वापस लो।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कोई राहत देने वाली बात है तो आर्डर, नहीं तो कोई आर्डर नहीं।

अनुपस्थिति–अनुमति

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत को दिनांक 16 अप्रेल, 1999 से सत्रांत तक

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कुमारी मीनाक्षी चन्द्रावत, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 अप्रेल, 1999 से सत्रांत तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति चाही है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

डा. चन्द्रभान, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के चार प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क, राजकीय उपक्रम समिति, 1999–2000 समिति के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति 1999-2000 द्वारा अधिकृत करने पर कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार समिति के चार प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:-

1. राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1972-80)सम्बन्धित समिति का पांचवां प्रतिवेदन,

2. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 से संबंधित समिति का छठा प्रतिवेदन,

3. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79) से संबंधित दसवीं विधान सभा के 16 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का सातवां प्रतिवेदन, एवं

4. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1994–95 के 11 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का आठवां प्रतिवेदन।

याचिका समिति, 1999-2000 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह, सभापति, याचिका समिति, 1999-2000 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री नारायण सिंह (सभापति, याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति याचिका समिति, 1999–2000 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल, सदस्य, विधान सभा, दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 पुलिस की प्रस्तुति

अनुदान की मांग पर विचार। श्री प्रद्युम्न सिंह, गृह मंत्री अनुदान की मांग

(श्री उपाध्यक्ष)

संख्या 16 पुलिस एवं 17 कारागार विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,22,59,69,000 (छः अरब बाइस करोड़ उनसठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर भंवरलाल।

मास्टर भंवर लाल मेघवाल (राज्य मंत्री, कारागार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-17 कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,10,24,000 (छब्बीस करोड़ दस लाख चौबीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय;

श्री अमीन खान (शिव)

(1) सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी करने वालों की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(2) पुलिस के कई कर्मचारी वर्षों तक एक ही जगह पदस्थापित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(3) पुलिस विभाग में भर्ती करते समय अल्प संख्यकों का सदस्य चयन बोर्ड में न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(4) पुलिस में ईमानदार अफसरों को अच्छी जगह कम अवधि के लिये रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(5) पुलिस विभाग में बड़े अधिकारियों के पद ज्यादा व सिपाहियों के पद कम रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

(6) जयपुर शहर के लिए पुलिस कमिश्नर का पद कायम करने के बारे में चर्चा के लिये।

(7) पुलिस कांस्टेबलों को राजस्थान परिवहन की बसों में हरियाणा प्रदेश की भांति 40/-रुपये प्रतिमाह वेतन से काटकर फ्री पास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(8) राज्य में पुलिस विभाग में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(9) कुशलगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बोरखेड़ी में पुलिस गार्ड 1/4 लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(10) कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ या डूगरा में पुलिस थाना तथा कसारवाड़ी व टिमेडा, छोटी सरवा में पुलिस चौकियां स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(11) कुशलगढ़ क्षेत्र के पाटन थाने में जीप गाड़ी व पुलिस चौकियों में वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(12) पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)

(13) दिनांक 3/4/99 को काला बाई की बरामदी को लेकर मुख्य मंत्री से मिलने जा रहे लोगों पर सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(14) पुलिस द्वारा खेड़ली (जिला अलवर) में मुरारीलाल बैरवा को मारने की नीयत से पेट तथा पीठ में गोली दागने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(15) थाना खेड़लीगंज(जिला अलवर) में दर्ज एफ. आई. आर. नं.48/99 में गिरफ्तार कर लिए गये निरपराध लोगों को अभी तक रिहा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

(16) ग्राम बड़ोरा तहसील अटरू-बांरा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(17) ग्राम चरडाना तहसील अटरू–बांरा में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

(18) झुंझुनूं में पिछले छः महिनों से कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर चर्चा के लिये ।

(19) जिला झुंझुनूं के प्रतापपुरा गांव पुलिस स्टेशन बगड़ में 31-12-98 को रात्रि को हुई हत्या और उस पर कोई कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये ।

(20) गत विधान सभा चुनाव 1998 में झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र के बूथ संख्या 177 पर पोलिंग अधिकारी की

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पिटाई के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

(21) करोली जिले में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए नये थानों एवं चौकियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(22) राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों पर रोक लगाने सम्बन्धी उपायों पर चर्चा के लिये।

(23) झुंझुनूं जिले में ग्राम मणकसास में पुलिस थाना तथा ग्राम गुढ़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

(24) पुलिस अनुसंधान में सुधार लाने हेतु अनुसंधान तथा कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु अलग-अलग एजेन्सीज कायम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(25) थानों तथा अन्य निचले स्तर पर पुलिस बल बढ़ाने तथा उचित ट्रेनिंग व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

(26) पुलिस थानों में उचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

(27) शराब व भू-माफियाओं की आंतकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

(28) हिण्डौन सिटी में नवीन थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(29) हिण्डौन सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(30) राज्य के पुलिस थानों की हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) हिण्डौन क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने के उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(32) हिण्डौन क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकी खनिज क्षेत्र में स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

(33) राजस्थान में पुलिस व्यवस्था में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करोली)

(34) राज्य में पुलिस विभाग के

(श्री जनार्दन गहलोत)

अधिकारी/कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा)

(35) ग्राम बलाया थाना मूंडवा को उप अधीक्षक जायल के स्थान पर उप अधीक्षक नागौर में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(36) ग्राम ढावा, छापकी, सिरला को थाना कुचेरा की जगह थाना मेड़ता रोड में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक तंवर (फागी)

(37) विधान सभा क्षेत्र फागी में नई पुलिस चौकियां एवं थानों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(38) विधान सभा क्षेत्र फागी के थानों हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(39) विधान सभा क्षेत्र फागी में कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(40) विधान सभा क्षेत्र फागी में बढ़ते अपराधों को नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(41) राज्य में पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)

(42) भरतपुर में अपराधों की रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(43) नदबई में पुलिस अव्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

(44) श्री गंगानगर जिले के थानों में एफ.आई.आर. लिखने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(45) श्री गंगानगर जिले के थानों में भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में उचित कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(46) श्री गंगानगर शहर में दिन-प्रतिदिन हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(47) श्री गंगानगर जिले में पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

(48) श्री गंगानगर जिले में पुलिस व्यवस्था को सुचारू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)

(49) नदबई में उप अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(50) नदबई में सी.आई.का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण सिंह (डीग)

(51) डीग में एडीशनल एस.पी. का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

(52) राजस्थान में बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(53) भिवाड़ी में बढ़ते अपराध की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

(54) कस्बा नगर के पुलिस थाने को अपग्रेड कर निरीक्षक को थानाधिकारी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(55) पुलिस थाना नगर, सीकरी व गोपालगढ़ तथा पुलिस चौकी जालूकी चौराहा व गुलपाड़ा में स्टाफ बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(56) पुलिस थाना नगर, सीकरी, गोपालगढ़ व पहाड़ी जिला भरतपुर में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर चर्चा के लिये।

(57) पुलिस थाना नगर व सीकरी के पशु चोरी व वाहन चोरी के मामलों में बरामदगी कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(58) अपराधियों को पकड़ने व डकैती रोकने हेतु पुलिस को बढ़िया वाहन व आधुनिकतम हथियार मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(59) नव विकासशील मण्डी आर. डी.465 (छतरगढ़ तहसील) में पुलिस चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

(60) बाड़मेर जिले की पुलिस लाइन की चार दीवारी की आवंटित भूमि में कुछ खातेदारों की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने और मुआवजा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

(61) जैसलमेर जिले में नया थाना लाठी में खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

(62) सीमा क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता देने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल लाल (रूपवास)

(63) रूपवास तहसील के रुदावल कस्बे में नवीन थाना खुलवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

(64) पुलिस थानों में स्टाफ की कमी, अव्यवस्था एवं सक्षम अधिकारी नहीं होने की वजह से चोरी वगैरा को खुलाने में आ रही कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

(65) नेशनल हाइवे नं. 8 स्थित गांव परसाद (जिला उदयपुर) में थाना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (झालरापाटन)

(66) रटलाई पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

(67) राजस्थान पुलिस कर्मियों के कार्य करने की स्थिति शोचनीय होने एवं सरकार के उपेक्षित व्यवहार पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

(68) पूर्व जिला प्रमुख भीलवाड़ा के सरकारी आवास के ताले तोड़कर जीप चोरी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

(69) पुलिस कर्मचारियों का मैस भत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(70) पुलिस में कार्यरत सिपाहियों के बच्चों को पढ़ाई हेतु विशेष सहायता देने पर चर्चा के लिये।

(71) मंगलवाड़ पंचायत समिति डूंगला में नये थाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(72) उदयपुर नगर में अपराधी प्रवृति के लोगों से पर्यटकों की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(73) गवारडी थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द में हुई बलात्कार की घटना एवं उसमें अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर)

(74) ब्यावर चांग गेट चौकी को पूर्ण थाना बनाने, गांव बड़ाखन, राजियावास, हाऊसिंग बोर्ड, कसाई मोहल्ला, अस्पताल एवं बस स्टेण्ड पर नई चौकियां खोलने बाबत चर्चा के लिये।

(75) अस्थाई चौकियों को स्थाई करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जीतमल (बागीदौरा)

(76) बागीदौरा विधान सभा के पुलिस थाना आनन्दपुरी क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(77) बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने पर सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(78) बांसवाड़ा जिले में पुलिस संरक्षण में चल रहे अवैध कार्यों से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

(79) बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र के अरथूना में पुलिस थाना खोलने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

(80) जिला बांसवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र फलवा एवं मानगढ़ आमलिया पर चैक पोस्ट खोलने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(81) पुलिस अनुसंधान हेतु निचले स्तर पर सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

(82) शाहपुरा में नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय सृजित करने पर चर्चा के लिये।

(83) अपराधों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये जहाजपुर में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(84) जहाजपुर क्षेत्र के पारोली, खजूरी ऊंचा में नये थाने तथा रोवा आमरवाली, आमल्दा, रासेड में पुलिस चौकी बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा)

(85) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के बालूपा, मिठोद व बाडोली में नई पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(86) बढ़ते हुए अपराध, महिला अत्याचार को मध्य नजर रखते हुए थानों में पर्याप्त स्टाफ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(87) कोटा जिले के थाना इटावा में लगातार हो रही चोरियों, बढ़ते हुए सट्टे व जुआ घर की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(88) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गर्मी में मध्य प्रदेश सीमा से आकर असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी व अन्य प्रकार की वारदातें करने की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

(89) पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(90) जैतारण वृत में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत झूंठे मुकदमें बनाकर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(91) पुलिस थाना जैतारण (पाली) में एक जाति विशेष के 14 सिपाही स्थाई व अस्थाई कार्यरत होने से थाने के रोजनामचे की गोपनीयता भंग होने पर चर्चा के लिये।

(92) पुलिस थाना जैतारण में गत वर्षों में दर्ज साम्प्रदायिक दंगों के मुकदमों को वापस लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(93) पाली जिले की पुलिस चौकी रास को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

(94) पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(95) नीमकाथाना क्षेत्र के ग्राम मोना का नांगल में शराब माफिया द्वारा एक व्यक्ति के दोनों हाथ तोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

(96) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नये थाने नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

(97) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में रामगढ़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये।

(98) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में शाहाबाद उप खण्ड पर जो चौकी पूर्व में कायम थी उसे पुनः लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

(99) डूंगरपुर जिले के झोथरी पाल, सोमलवाड़ा माडली, पुनावाड़ा में नई पुलिस चौकियां कायम करने पर चर्चा के लिये।

(100) डूंगरपुर जिले में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

(101) डूंगरपुर जिले के (रामसागड़ा) गलेन्धर में पूर्व से प्रस्तावित थाना खुलवाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(102) नागौर जिले में जनसंख्या व अपराध वृद्धि के अनुपात में पुलिस बल की संख्या अभी तक नहीं बढ़ाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(103) पुलिस थाना लाडनूं जिला

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नागौर में निरीक्षक का पद सृजित करने तथा निम्बीजोधा एवं मीठड़ी में नये थाने बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

(104) पूर्व थानेदार थाना लाडनूं के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतों की जांच कर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(105) मुकदमा नं. 7/99 थाना मोलासर जिला नागौर के मुल्जिमान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(106) मुकदमा नं. 124/95 एवं 25/99 थाना सुजानगढ़ जिला चूरू में प्रभावशाली अपराधी होने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

(107) राज्य के शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस संगठन के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(108) मुकदमा नं. 39/97 पुलिस थाना बालोतरा के अंतर्गत धारा 295-ए भारतीय दण्ड संहिता में अभियोजन स्वीकृति में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(109) पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(110) राज्य के सीमावर्ती जिलों में बोर्डर के सील होने के उपरांत भी तस्करी नहीं रुकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर)

(111) चूरू जिले में हरियाणा सीमा से लगे हुए थाने राजगढ़, हमीरवास, सिधमुख में अपराध की बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल एवं गश्त के लिए मोबाइल पुलिस दल की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

(112) पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास सुविधा के अभाव को दूर करने के लिए आवास सुविधा के लिए अधिक वित्तीय प्रावधान रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(113) पुलिस अधिकारियों के राजनीति से प्रेरित स्थानांतरण नहीं किये जाने एवं कम से कम दो वर्ष पूर्व बिना प्रशासनिक कारणों के स्थानांतरण यथा सम्भव नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

(114) एफ. आई. आर. न. 20/99 थाना सिधमुख (चूरू) के प्रकरण में हरिजन छात्रा के साथ शाला भवन में मारपीट करने व चोटों का मेडिकल मुआयना नहीं करवाने के मामले में तुरन्त कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

(श्री रामसिंह कस्वां)

(115) एफ. आई. आर. नं. 47/98 पुलिस थाना हमीरवास (चूरू) में उप अधीक्षक द्वारा नौ माह बाद बचाव पक्ष के बयान लेकर तीन मुख्य अभियुक्तों को निकालने के प्रकरण में दायर प्रोटेस्ट परिवाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (चूरू) द्वारा उप अधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक चूरू को दिये गये निर्देश में तुरंत कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

(116) कैलाश नगर (जिला सिरोही) में खेताराम माली की हत्या का अन्वेषण शीघ्र पूर्ण करने पर चर्चा के लिये।

(117) चोरी, डकैती में माल की बरामदगी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही शीघ्र किये जाने पर चर्चा के लिये।

(118) सिरोही जिले में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(119) राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(120) पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

(121) मारवाड़ जंक्शन थाने को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलोदी)

(122) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 13 के स्पष्टीकरण हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा)

(123) रूपाहेली चौराहे (जिला भीलवाड़ा) पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(124) रायला (जिला भीलवाड़ा) में नया पुलिस थाना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमू)

(125) चौमू तहसील में कालाडेरा, हस्तेड़ा, खेजरोली में नए थाने बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(126) चौमू विधान सभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (स.माधोपुर)

(127) सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में नये थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती यासमीन अबरार)

(128) सवाई माधोपुर में डी.आई.जी. रेंज कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(129) सवाई माधोपुर जिले में सट्टा रोकने के लिये पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(130) महिला अत्याचार रोकने के लिये पुलिस व्यवस्था में सुधार एवं सरकार द्वारा कारगर प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(131) भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल वर्मा (डग)

(132) विधान सभा क्षेत्र डग जिला झालावाड़ के मध्य प्रदेश सीमा पर दुधालिया में पुलिस चौकी खोलने पर चर्चा के लिये।

(133) विधान सभा क्षेत्र डग जिला झालावाड़ में उन्हेल (नागेश्वर) में थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

(134) पुलिस थाना गच्छीपुरा जिला नागौर में थाने की भूमि पर अतिक्रमण एवं थाने के नाम का बोर्ड गायब करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(135) जिला नागौर में थाना पीलवा में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(136) जिला नागौर में चोरियां एवं नकबजनों को खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(137) पुलिस कर्मियों के मैस भत्ता एवं वर्दी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(138) पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

(139) थाना कठूमर को मुख्य बाजार से अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(140) सीकर जिले की खूड पुलिस चौकी को रामगढ़ (दांता) थाने का कुछ भाग एवं सीकर के सदर थाने के भाग को शामिल किया जाकर क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(141) सीकर में दिन दहाड़े चेनाराम हत्या काण्ड के नामजद मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम (धोद))

(142) राज्य में बढ़ रहे देह व्यापार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(143) राज्य में दलितों एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये।

(144) चूरू जिले के शोभासर ग्राम थाना सालासर में नन्दलाल एवं उसकी मां की हत्या को एक वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी हत्यारे नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

(145) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के दूल्हों को घोड़ी से उतारने के बढ़ते मामलों से अनुसूचित जाति के लोगों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(146) प्रदेश में हरिजन अत्याचार उन्मूलन के मामलों पर पुलिस द्वारा माकूल कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(147) जयपुर शहर के क्षेत्रों में बढ़ती वाहनों की चोरी एवं माफिया गिरोह के विरुद्ध माकूल कार्यवाही नहीं होने के कारण वाहनों की सुरक्षा संदेह में रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(148) प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(149) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंवरू खान (फतेहपुर)

(150) सीकर को पुलिस रेंज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

(151) थाना रघुनाथगढ़ (सीकर) को वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित कर मुख्य सड़क पर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़)

(152) हनुमानगढ़ जिले में शस्त्र लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(153) राज्य में प्रतिदिन हो रही गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(154) राज्य में महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार एवं बलात्कार की घटना के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (कोसियां)

(155) श्री सुरेन्द्र व्यास, तत्कालीन

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

विधायक द्वारा राज्य अन्वेषण ब्यूरो जयपुर में दिनांक 16-9-92 को तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी रायसिंह नगर एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ आई.आर. पर अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़)

(156) पुलिस विभाग में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

(1) जयपुर में स्थित खुले कारागार की तरह अन्य डिविजनल हैड क्वाटर्स पर भी खुले कारागार स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(2) राज्य के कारागारों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(3) राज्य उप कारागार में स्टॉफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(4) प्रदेश के कारागृहों में कैदियों को पढ़ाने/धन्धे सिखाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(5) प्रदेश की जेलों में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

(6) करौली जिले में कारागारों की दयनीय स्थिति एवं कारागृहों से भागने वाले कैदियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(7) जेलों में बन्द कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये।

(8) कारागृहों में खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(9) कारागृहों में गम्भीर अपराध में लिप्त तथा अन्य कैदियों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

(10) जिला कारागृहों एवं उपकारागृहों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

(11) जेलों में व्याप्त अव्यवस्था के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

(12) राज्य के कारागारों की व्यवस्था में अधिक सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(13) प्रदेश में जेल के अन्दर कैदियों को पढ़ाने तथा कार्य सिखाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

(14) श्री गंगानगर कारागार में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

(15) जैसलमेर कारागृह में कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(16) कारागृहों में महिला बन्दियों की देखभाल हेतु महिला स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीबाड़ा)

(17) कारागृहों में अपराधियों को पढ़ाने तथा धार्मिक संस्कार लाने हेतु उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

(18) राजस्थान की जेलों में सुरक्षा प्रबंध अपर्याप्त होने से कैदियों के आसानी से भाग जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ीसादड़ी)

(19) आजन्म सजा प्राप्त कैदियों को रोजगार से जोड़कर आय उसके परिवार को दिलवाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(20) राज्य में जेलों में और अधिक प्रभावी सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)

(21) भरतपुर नदबई में जेलों में बिजली की व्यवस्था ठीक की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(22) राजस्थान में जेलों में बन्द कैदियों के हितार्थ और अधिक कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

(23) कारागृहों में कैदियों को चिकित्सा सुविधा एवं फल आदि नियमित रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(24) उप कारागृह जैतारण में कैदियों की बढ़ती संख्या के कारण अतिरिक्त स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(25) जैतारण (पाली) में उप कारागृह भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) कारागृहों में कैदियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

(27) बाड़मेर कारागार की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

(28) मारवाड़ जंक्शन में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

(29) उप कारागार परबतसर के भवन का विस्तार एवं मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(30) जेलों में बन्दियों की खुराक में वृद्धि करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

(31) उपखण्ड लक्ष्मणगढ़ में उप-कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(32) कारागारों में बंदियों के लिये खेल की सुविधाएं मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

(33) राज्य में कारागारों में बन्दियों से मिलने वाले व्यक्तियों से मिलाने के नाम पर की जा रही लूट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(34) राज्य के सभी कारागारों में रसोईयों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचान्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस विभाग की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था उसमें पुलिस विभाग ही एक मात्र साधन होता है जो उस व्यवस्था को कायम रख सकता है। पिछले कुछ अर्से से जिस तरीके से राजस्थान पुलिस विभाग में संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने के नाम पर उच्च पदों पर....

(विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन की वेल में आकर लगातार नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.56 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई)

(पुन: समवेत होने पर)

(14.56 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचंद सिंह जी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन में जिस तरीके से....(व्यवधान) कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आप नहीं सुनेंगे तो हाउस नहीं चलने दिया जायेगा। (व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा केवल हरचन्द सिंह सिद्धू का ही भाषण लिखने के लिए इशारा किया गया)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : ....सबसे ज्यादा....(व्यवधान) कांस्टेबल से अनहोनी ड्यूटी ली जाकर....

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना एवं नारेबाजी)

(व्यवधान) नहीं की गयी और कांस्टेबल जब कोई कुछ काम करके आता है, थका मांदा... (व्यवधान) इसी वजह से राजस्थान का कांस्टेबल वापस बलवंत सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ....(व्यवधान) उन अधिकारियों को पदोन्नति दी जाए और.... (व्यवधान) इस तरीके से जब तक आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था सही नहीं रह सकती। (व्यवधान) राजस्थान में जब पुलिस में भर्ती की जाती है सब इंस्पेक्टर की उस वक्त नियमों के तहत सन् 1974 के नियम, मैं उनका हवाला देना चाहूंगा।

राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, 1989 जिनके अंदर पार्ट सेकण्ड केडर और इसका रूल नम्बर चार कंपोजीशन एण्ड स्टाम्प आफ दि सर्विसेज इसके अन्दर सैक्शन एक आर्म्ड उसकी उन्होंने व्याख्या की है। सिविल पुलिस एण्ड इन्टेलिजेन्स ब्रांच, जनरल ड्यूटीज ब्रांच आफ द टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्ट्रेट, और आज जब उनकी सर्विसेज का निर्धारण करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त इन तीनों का विभाजन कर दिया जाता है और उनको जगह-जगह एक जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

यही नियम 1974 का है। इसके अन्दर पार्ट थर्ड रिक्रूटमेंट में यही कुछ बताया गया है। आज पुलिस महकमे को परेशान और इतना जलील किया जा रहा है। ये उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी खुद बेइज्जत किया करते हैं और नीचे

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

के अमले को परेशान करते हैं। इसी वजह से सारी पुलिस में असंतोष और अफरा तफरी मची हुई है। उसके नतीजे हैं कि पुलिस के अन्दर राजनीतिकरण हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक आधार पर जिस तरीके से उच्च पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी....

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की डिमांड पर बोलते हुए मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। मैं पुलिस के नवीनीकरण के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पूरे राजस्थान की पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिये बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। आज एकदम प्रशासन को चुस्त....(व्यवधान) नयी टैक्नोलोजी के हिसाब से नये हिसाब से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगतसिंहजी ....(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह क्या हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तीन-तीन बार बिजली की दरें बढ़ायी। आज शर्म आनी चाहिये। आज किस तरह से यह कह रहे हैं, यह तरीका नहीं है और मनमानी बरती जा रही है माननीय सदस्य के साथ। यह बिलकुल सही नहीं है....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह डेमोक्रेसी है, यह प्रजातंत्र का नमूना है। देखिये कि सभ्य लोग सबसे बड़ी पंचायत में जो चुनकर आते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आज डिमांड पर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये बहुत सारी आवश्यकता, कई चीजों की आवश्यकता है।

इसमें आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, चोरियों की संख्या बढ़ी है, डकैतियों की संख्या बढ़ी है; मर्डर के, खास कर हमारे गंगानगर के अन्दर....(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह हमेशा किसान विरोधी रहे हैं। किसान के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तीन बार बिजली की दरें बढ़ायीं, किसने बढ़ायी थीं। आप किसानों के कब से हिमायती बन गये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही

(श्री उपाध्यक्ष)

16.45 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.04 बजे 16.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(16.45 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी तैयारी करके आये हैं पुलिस डिमांड के ऊपर, इतनी तैयारी करके आये हैं। (व्यवधान) फिर भी पुलिस डिमांड के ऊपर बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन राजस्थान की सरकार.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय; आज के दिन पुलिस कांस्टेबल्स के मैस भत्ते में 50 रुपये माहवार की वृद्धि करता हूं। 300 अंशकालीन रसोइये 1 मई से कायम किये जाएंगे। (व्यवधान)

पुलिस थानों एवं पुलिस लाइनों में, पुलिस विभाग और पुलिस कल्याण निधि में 25 लाख रुपये, खेल-कूद निधि में 15 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विभाग को उत्सवों के आयोजन हेतु 10 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस विभाग की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्य दशा की स्थिति में सुधार हेतु आधारभूत सुविधाएं, यथा छत के पंखों, डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर, नये गैस कनेक्शनों, शौचालयों एग्जास्ट पंखों एवं अन्य मदों के लिये 47.32 लाख रुपये प्रदान किये जाएंगे।

कंप्यूटरीकरण की महत्ता को देखते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी एवं अन्यत्र स्थानों पर कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 34 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पुलिस विभाग वालों पर, उनको, बसों में, रेल्वे में पास दिये जाएं, उनको पास दिलाये जाएं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रत्येक रविवार को जयपुर दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे 'गश्त पर' कार्यक्रम के लिये 16 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को इतने बहुमत का इतना अभिमान है कि..(व्यवधान) अरबों, करोड़ों रुपये का....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर इन्वेस्टीगेशन आफ जयपुर एक्सचेंज एण्ड डिजिटल वाइस रिकार्डर, चेतक, फ्लाइंग स्क्वाड्स, कम्प्यूटराइजेशन आफ जयपुर सिटी कण्ट्रोल रूम के अन्दर किया जाएगा । कम्प्यूटराइजेशन आफ पुलिस स्टेशन आफ जयपुर सिटी, इसके अन्दर भी हमने 80 लाख रुपये का प्रावधान किया है । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (कोई चिन्ता नहीं की, इस प्रकार का अगर विचार रहा, मैं सोचता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के किसानों के साथ न्याय नहीं होगा । (व्यवधान) राजस्थान के किसानों का घोर अपमान यह सरकार आज दिन भर कर रही है । और राजस्थान के किसानों को यह क्या कहना चाहती है । उस गरीब किसान को किसी प्रकार की राहत देना यह सरकार ठीक नहीं समझती । (व्यवधान) अगर यह भी करना चाहे तो कम से कम वित्त मंत्री खड़े होकर तो इस बात को कहें कि....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान्, पुलिस लाइन के अन्दर टेलीकम्युनिकेशन के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु 154 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । (व्यवधान) ट्रेनिंग के लिये.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिये, आधारभूत ढांचे के अन्दर करीब 2 करोड़ रुपये खर्चा करने का सरकार का प्रस्ताव है । (व्यवधान)

एस.सी., एस.टी.के लिये, पुरानी सरकार ने 9 सर्किल खोले 4 साल के अन्दर । इस साल के अन्दर एस सी. और एस. टी. के लिये 12 नये सर्किल का इंतजाम किया जाएगा । (व्यवधान)

श्रीमान्, (व्यवधान) 7 नये महिला पुलिस थाने, महिलाओं के लिये खोले जाएंगे । (व्यवधान) शहरों के अन्दर गुंडागर्दी को रोकने के लिये और असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी नजर रखने के लिये 95 मोटर साइकिल खरीदने का इस साल के अन्दर प्रस्ताव है । (व्यवधान) नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के ऊपर 7 हास्पिटल्स थे, जहां सड़क के सहारे अस्पताल हैं, वहां पर 7 पुलिस चौकियां कायम की जाएंगी । (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारेबाजी)

इस प्रकार हमने इंवेस्टीगेशन के हिसाब से तय किया है कि इंवेस्टीगेटिव आफिसर्स की संख्या राजस्थान के अन्दर कम है । इस पेटे हमने 233 लाख 81 हजार रुपये का प्रावधान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर टूरिज्म हमारी बहुत महत्वपूर्ण इण्डस्ट्री है और लपका गिरोह के कारण राजस्थान की बदनामी हो रही है ।

अतः तय किया गया है कि जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के अन्दर टूरिस्ट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पुलिस की स्थापना की जाएगी। टूरिस्ट पुलिस की स्थापना करेंगे; जयपुर के अन्दर 2 डी-वाई.एस.पी. और 4 सब इंस्पेक्टर अलग-अलग पार्टी में रहेंगे। इसी प्रकार उदयपुर के अन्दर हमने टूरिस्ट पुलिस और जैसलमेर के अन्दर टूरिस्ट पुलिस की स्थापना की है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय; क्राइम ब्रांच को मजबूत करने की दिशा के अन्दर, आर्गनाइज्ड क्राइम ने देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर इसने पांव पसारने शुरू कर दिये हैं, हम अपने क्राइम ब्रांच को मजबूत करने के लिए अब तक जो स्थिति थी, उसमें विभिन्न प्रकार से क्राइम ब्रांच को मजबूत किया जाएगा; जिससे कि क्राइम ब्रांच के अन्दर लोगों की आस्था बढे।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहूंगा और आज यह इसलिए शोर मचा रहे हैं कि इन्होंने जब 90 में राज सम्भाला था तब एक लाख क्राइम्स थे और जब उन्होंने राज छोड़ा था तो एक लाख पैंसठ हजार क्राइम हो गये। इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को जो इन्होंने स्थिति बनायी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके समक्ष आपके द्वारा इस सदन को अवगत करायी हैं। मैं यह चाहता हूं कि मेरे विभाग की जो मांग है, उसको पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मास्टर भंवरलाल।

मास्टर भंवर लाल मेघवाल (कारागार मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दंडित बंदियों व विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा हेतु कुल 100 जेलें हैं। इनमें से राजस्थान में कुल सेण्ट्रल जेल छह हैं और "ए" क्लास हैं, वह पांच जेल हैं। राजस्थान में कुल छह जेलें हैं और इनमें बंदियों के सुधार के लिए जेलों के अन्दर बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज कुछ सुधारात्मक कदम, जेल प्रशासनिक सुधार व्यवस्था हेतु एक महा-निदेशक और एक महा-निरीक्षक और एक निदेशक का पद नये सिरे से सृजित किया गया है ताकि जेलों की व्यवस्था नये सिरे से ठीक की जा सकें। इसलिए राजस्थान में एक नये निदेशक का पद भी स्वीकृत किया गया है।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के गठन की पचासवीं वर्षगांठ के ऊपर राजस्थान में कुल 75 कैदियों को विशेष उपहार योजना के अन्तर्गत छोड़ा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो जेलें हैं; उनमें काफी सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं और उनमें विशेष तौर से राजस्थान की

(मास्टर भंवर लाल मेघवाल)

जितनी जेलें हैं, 'ए' क्लास हो, चाहे सेंट्रल जेल हो, उनमें साक्षरता का विशेष तौर से कार्यक्रम शुरू किया गया है।

कैदी को कैदी पढ़ाएंगे और साक्षरता रूपी जो कलंक इस राजस्थान के अन्दर है, उसको मिटाने के लिए राजस्थान की सरकार ने और जेल विभाग ने काफी प्रयास किया है और निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे। कि सभी बंदी साक्षर हों। राजस्थान के अन्दर अभी वर्तमान में सेंट्रल छह जेलें हैं, उनके अन्दर कम्प्यूटर की शिक्षा भी अजमेर और जयपुर के अन्दर शुरू की गयी है और यह भी कम बात नहीं है कि राजस्थान की जितनी जेलें हैं चाहे वह जिलास्तरीय जेल हो, चाहे वह सेंट्रल स्तर की जेल हो, उन सभी जेलों के अन्दर औद्योगिक इकाई, आई. टी. आई. की व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और औद्योगिक कार्य करने से जो इससे मुनाफा होगा, उस मुनाफे को उन कैदियों के अन्दर बांटा जाएगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर अभी वर्तमान के अन्दर जेलों में सुधार के लिए कुछ नयी भर्ती का भी एलान किया गया है। रिक्त पद प्रहरी, 244 नयी भर्तियों के लिए अभी आवेदन मांगे जा चुके हैं, उनको एक-दो महीने के अन्दर सारी कार्यवाही करके और राजस्थान की जेलों में जो प्रहरियों की कमी है; उस प्रहरियों की कमी को पूरा किया जाएगा राजस्थान के अन्दर जो उप अधीक्षक व उप कारापाल के पद रिक्त हैं, उनके लिए भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अन्दर विभाग ने रिक्तियों की पूर्ति हेतु लिखकर सरकार को भेज दिया है कि राजस्थान की जेलों के लिए जो रिक्त पद पड़े हैं, उनको आगे आने वाले समय में जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग को लिख दिया गया और जल्दी से जल्दी उप-कारापाल और डिप्टी सुपरिन्टेडेंट की रिक्तियों की भर्ती व्यवस्थाओं के लिए सारी भर्ती के आदेश दे दिये गये हैं। (व्यवधान) राजस्थान के अन्दर जो सैण्ट्रल जेल हैं, छह, और जो 'ए' क्लास जेलें हैं, इनके अलावा ओपन सात जेलों के अन्दर, नये सिरे से मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिलाई का कार्य, कारपेंटरी, बागवानी, एस. टी. डी. बूथ, जीप और ट्रैक्टर मरम्मत कार्य किये जाते हैं।

मैं अन्त में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बंदियों के लिए...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए। नहीं; आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांगें पारित होने तक; आज की कार्य-सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

कार्य-सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया गया ।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

मास्टर भवरलाल मेघवाल : कल्याण कोष; बंदियों के लिए पांच लाख रुपये कल्याण कोष में विशेष तौर से पांच लाख रुपये कल्याण कोष के लिए, गैस कनेक्शन हेतु चार लाख चालीस हजार रुपये और विभिन्न जेलों में पंखे लगवाने हेतु दो लाख रुपये, इस प्रकार कुल 16 लाख 40 हजार रुपये जेल सुविधाओं हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । बंदियों की चिकित्सा आदि का पूर्ण ध्यान दिया गया है । इसके लिए इमरजेंसी पैरोल भी स्वीकृत किया गया है ।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग संख्या 17 है, उसको पारित किया जाए । धन्यवाद, जयहिन्द ।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,22,59,69,000/– (छह अरब बाईस करोड़ उनसठ लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 17 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,10,24,000 (छब्बीस करोड़ दस लाख चौबीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,60,51,000/– (आठ करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार) तक की

(श्री उपाध्यक्ष)

राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्रि-परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,23,000/-–(तीन करोड़ चौदह लाख, तेईस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,14,69,000/- (चौरानवे करोड़ चौदह लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,26,71,000/– (एक अरब सात करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है; प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,06,81,000/– (सत्ताइस करोड़ छह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,11,93,000/– (नवासी करोड़ ग्यारह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान) शांति हो गयी। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

(श्री जगतसिंह दायमा, व मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7-निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,91,70,000/-(चवालीस करोड़ इक्यानवे लाख सत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,17,08,30,000/- (दो अरब सत्रह करोड़ आठ लाख तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(17.00 बजे)

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,12,000/- (एक करोड़ चौदह लाख बारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11-विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,35,09,000/- (ग्यारह करोड़ पैंतीस लाख नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,26,12,55,000/- (एक अरब छब्बीस करोड़ बारह लाख पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,59,52,000/- (चवालीस करोड़ उनसठ लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग-15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,07,14,82,000/- (पन्द्रह अरब सात करोड़ चौदह लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,88,39,000/– (सात करोड़ अठासी लाख उनतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,17,86,44,000/- (चार अरब सत्रह करोड़ छियासी लाख चवालीस

(श्री उपाध्यक्ष)

हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च,2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,95,52,000/- (चौहत्तर करोड़ पचानवे लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,88,76,000/- (चौवन करोड़ अठासी लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–25–कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये38,38,29,000 (अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है. प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,21,84,41,000/–(चार अरब इक्कीस करोड़ चौरासी लाख इकतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान को जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–30–जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,30,19,76,000/- (तीन अरब तीस करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31-पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,73,000/– (सोलह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्षों में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,25,61,000/- (छप्पन करोड़ पच्चीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्षों में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,95,51,000/-. (एक अरब छप्पन करोड़ पंचानवे लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि मांग–40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,53,87,000/- (एक करोड़ तिरेपन लाख सतासी हजार) तक की

(श्री उपाध्यक्ष)

राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,81,18,000/- (एक अरब बावन करोड़ इक्यासी लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,70,59,000/– (सत्ताइस करोड़ सत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,17,04,000/– (सोलह करोड़ सत्रह लाख चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48-विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,80,89,72,000/- (चार अरब अस्सी करोड़ नवासी लाख बहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,69,82,000/- (अट्ठाइस करोड़ उनहत्तर लाख बयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,05,00,000/- (छप्पन करोड़ पांच लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1999

श्री चन्दन मल बैद, प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक,1999 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 अप्रेल, 1999 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक 17.08 बजे मंगलवार, दिनांक 20 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—'क'

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-429 का विवरण)

संगरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सादुलशहर एवं संगरिया तहसीलों में निर्मित डिग्गियों की गत पांच वर्षों में करवाई गई मरम्मत/सफाई की सूची :

क्र.सं.	वर्ष	योजना का नाम	मरम्मत करवाई गई डिग्गियों की संख्या	सफाई करवाई गई डिग्गियों की संख्या	व्यय (लाखों में) मरम्मत	सफाई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
तहसील सादुलशहर							
1.	1994-95	43 एम एम के	1	—	0.39	—	0.39
2.	"	10 एस डी पी	1	—	0.56	—	0.56
3.	"	4 के भार डब्ल्यू	1	—	0.81	—	0.81
4.	"	30 के एस डी	1	—	0.25	—	0.25
5.	"	22 पी टी पी	1	—	0.17	—	0.17
6.	"	8-12 बी जी एस	1	—	0.15	—	0.15
7.	"	8 एल एल जी	1	—	0.18	—	0.18
8.	"	सादुलशहर (शहरी)	2	2	0.08	1.04	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	1995-96	10 एस बी पी	1	—	0.70	—	0.70
10.	1996-97	4 बी एन डब्ल्यू	1	—	0.79	—	0.79
11.	1997-98	22 पी टी पी	2	2	1.07	0.39	1.46
12.	"	36 पी टी पी	1	1	0.71	0.26	0.97
13.	"	15 के एस बी	1	1	0.71	0.30	1.01
14.	"	1 बी एन डब्ल्यू	1	—	0.49	—	0.49
15.	"	10 एल एल जी	1	1	0.31	0.31	0.62
16.	"	2 एस पी एम	1	—	0.31	—	0.31
17.	"	8 एल एल जी	1	1	0.91	0.05	0.96
		योग :—	19	8	8.59	2.35	10.94
तहसील संगरिया							
1.	1994-95	16 ए एम जी	1	—	0.44	—	0.44
2.	"	14 एम के एस	1	—	0.26	—	0.26
3.	"	6 बी जी पी	1	—	0.68	—	0.68
4.	1995-96	14 एम के एस	—	1	—	0.11	0.11
5.	"	नाथवाना	—	1	—	0.07	0.07
6.	1996-97	5 बी एन जी	1	—	0.89	—	0.89
7.	1997-98	5 बी एन जी	1	—	0.03	—	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	1997-98	5 वाई डी जी	1	—	0.32	—	0.32
9.	,,	15 ए एम पी	1	—	0.26	—	0.26
10.	,,	17 एम जे डी	—	1	—	0.41	0.41
11.	,,	कीकरवाली	—	1	—	0.17	0.17
12.	,,	संगरिया	—	1	—	0.09	0.09
13.	,,	8 पी टी पी	—	1	—	0.48	0.48
14.	1998-99	8 एम एम के	1	—	0.40	—	0.40
15.	,,	15 ए एम पी	1	—	0.26	—	0.26
		योग:—	9	6	3.54	1.33	4.87
		कुल योग:-	28	14	12.13	3.68	15.81

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या–431 के आदेश की प्रति एवं व्यक्तियों की संख्या सूची)

परिशिष्ट-"अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No.RSEB/Karmik/F.21 (94) /D.4495

Jaipur,

Dated: 10-10-97

ORDER

The matter with regard to revision of exgratia amount payable in cases of death due to electrocution of publicman and animal as per Board's order No. RSEB/Karmik/ F.21(94)/D-2194 dt 7-11-90 & No.419 dt.23-2-91 respectivily came up for discussion in the meeting of the WIMs hald on 29-9-97. As a result of discussion, it was decided that the existing amount of exgratia be doubled, Accordingly, the rate of exgratia amount payable in each case is revised as follows with immediate effect :–

S.No.	Kind of case	existing maximum limit of exgratia amount	Revised maximum limit of exgratia amount
1.	Publicman	10,000/-	20,000/-
2.	Bullock	1,000/-	2,000/-
3.	Cow (Indian)	1,200	2,400/-
4.	Cow (Jersey)	2,250/-	4,500/-
5.	Calf	250/–	500/–
6.	He Buffalow	1,500/-	3,000/-
7.	She Buffalow	1,500/-	3,000/-
8.	Donkey	250/–	500/-
9.	Goat/Sheep	150/-	300/-
10.	Camel	1,500/–	3,000/-
11.	Horse	2,500/-	5,000/–

The exgratia amount would be payable subject to the some terms & conditions as mentioned in the order dt. 7-11-90 and 23-2-91 referred to above.

By order,
R.S. Pareek
Director of Personnel

परिशिष्ट "प"-1

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/Karmik/F-21(94)/D-2194 Jaipur, Dt.7-11-90

ORDER

SUB:- Ex-gratia Pyament in case of a publicman who dies due to electrocution from our electric Lines and Poles.

Sometimes, cases are coming to notice where publicmen dies due to electrocution from our Electric Lines and Poles. The matter was considared in detail by the whole Time Members in its meeting held on 19th August, 1990 and it has been decided that an ex-gratia payment of Rs.10,000/-(Rupees Ten thousand only) may be allowed in suitable cases.

The secretary, RSEB, Jaipur is authorised to issue the sanction of payment, in suitable cases.

By order,
R.S.Pareek
Director of Personnel.

परिशिष्ट"ख"–2

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No.RSEB/Karmik/F.21 (94)/D.419 Jaipur, Dt.23-2-1991

ORDER

SUB:- Determination of amount of compensation to the owner of the animal who dies on account of negligence of RSEB.

The Board in it's 402nd meeting held on 1-2-1991 has accorded approval for payment of Ex-gratia at the following rates to the owner of the animal which dies on account of negligence of R.S.E.B.:-

S.No.	Type of animal	Maximum limit of ex-gratia payment
1.	Bullock	Rs. 1,000/-
2.	Cow (Indian)	" 1,200/-
3.	Cow (Jersey)	" 2,250/-
4.	Calf	" 250/-
5.	He Buffalow	" 1,500/-
6.	She Buffalow	" 1,500/-
7.	Donkey	" 250/-
8.	Goat/sheep	" 150/-
9.	Camel	" 1,500/-
10.	Horse	" 2,500/-

In all accident cases enquiry will be conducted by the Executive Engineer nominated by the Circle Suptdg. Engineer and on the basis of the report amount of ex-gratia will be sanctioned by Circle Superintending Engineer.

By order,
(K.K. Choudhary)
Secretary

परिशिष्ट-"ब"

विद्युत करंट से हुई दुर्घटनाओं की वृत्तवार सूची

क्र.सं.	वृत का नाम	घातक दुर्घटना की सं.		अघातक दुर्घटना की सं.	
		विद्युत कर्मी	आमजन	विद्युत कर्मी	आमजन
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर जिला वृत	3	1	5	....
2.	अजमेर वृत	....	....	....	....
3.	चित्तौड़गढ़	2	1	6	....
4.	बाड़मेर	....	13	....	1
5.	गंगानगर	6	1	1	....
6.	जयपुर नगर	....	1	....	4

1	2	3	4	5	6
7.	जोधपुर जिला	7	4	2	....
8.	बांसवाड़ा	....	7	....	1
9.	दौसा	....	....	5	....
10.	हनुमानगढ़	1	....	2	....
11.	कोटा	....	2	....	....
12.	भीलवाड़ा	2	....	3	1
13.	झुन्झुनूं	2	2	2	....
14.	चूरू	1	....	....	2
15.	पाली	....	1	....	....
16.	जोधपुर नगर	....	....	4	....

1	2	3	4	5	6
17.	बीकानेर	3	....	2	....
18.	सवाईमाधोपुर	....	1	10	....
19.	झालावाड़	2	3	....	2
20.	सीकर	....	1	....	1
21.	उदयपुर	6	....	....	....
22.	अलवर	1	3	6	....
23.	भरतपुर	1	1	6	....
24.	नागौर	7	....	6	....
	कुल	44	42	60	19

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 434 का विवरण)

नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण आवेदन पत्रों को प्रीमेच्योर मानकर खनि अभियंता, बिजोलिया द्वारा नया नगर 'सी' बाउण्ड्री के अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की सूची—

क्र.सं.	आवेदक का नाम	प्लाट/ब्लाक सं. जिस हेतु आवेदन किया	आवेदन की दिनांक	अस्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री मनोहर सिंह	61	20-10-87	28-11-87
2.	डू.	62	20-10-87	28-11-87
3.	श्री शांतिलाल पुत्र श्री घीसीलाल रांका	35	20-10-87	28-11-87
4.	डू.	36	20-10-87	28-11-87
5.	श्रीमती मानकंवर पत्नि श्री मंडलाल जैन	49	20-10-87	28-11-87
6.	डू.	50	20-10-87	28-11-87

1	2	3	4	5
7.	सुश्री निर्मला पुत्री श्री मूलचन्द डांगी	67	20-10-87	28-11-87
8.	डू	68	20-10-87	28-11-87
9.	श्री महावीर पुत्र श्री भगवान दास वैष्णव	28	10-12-87	15--11-88
10.	श्री विजयसिंह पुत्र श्री जेठमल मारू	40	10-12-87	15-11-88
11.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री भोपालसिंह चौधरी	19	9-3-89	27-4-89
12.	श्री भगवतसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह चौधरी	22	9-3-89	27-4-89
13.	श्रीमती विजय पत्नि श्री दीपक चौधरी	21	9-3-89	27-4-89
14.	श्रीमती कान्ता पत्नि श्री कैलाश चन्द जैन	35	27-10-95	21-12-96
15.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री घीसुलाल पोरवरना	36	23-9-91	1-2-92
16.	श्री कालू पुत्र श्री लालू सालवी	36	11-1-93	11-2-93
17.	श्री मनोज पुत्र श्री बसंतीलाल जोशी	36	11-1-93	11-2-93

1	2	3	4	5
18.	श्री जीवन पुत्र श्री लादूलाल छीपा	36	11-1-93	11-2-93
19.	श्री कीर्तिनन्दन पुत्र श्री द्वारका प्रसाद कौशिक	36	4-4-94	18-10-94

नया नगर 'सी' बाउण्ड्री में लंबित आवेदन पत्रों का विवरण

1.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री प्रसन्नजीत पाण्डे	67	7-9-96	
2.	श्री विश्वेश कुमार पुत्र श्री प्रसंन्नजीत पाण्डे	68	25-10-96	

न्यायालय शासन उप सचिव द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 4-2-92 एवं शासन के आदेश दिनांक 14-9-98 के अनुसरण में नया नगर 'सी' बाखण्डी में स्वीकृत किये गये क्वारी लाइसेन्स की सूची

क.सं. आवेदक का नाम	ब्लाक संख्या	आवेदन तिथि	स्वीकृति दिनांक
1. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री भगवानदास वैष्णव	28	15-11-88	3-11-98
2. श्री शांतिलाल पुत्र श्री घीसीलाल रांका	35	20-10-87	12-10-98
3. श्रीमती मानकंवर पत्नि श्री भैरूलाल जैन	49	20-10-87	12-10-98
4. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री मनोहर सिंह	61	20-10-87	12-10-98
5. ड्ड	62	20-10-87	12-10-98

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के उपाय

435. श्री नाथू लाल (किशनगढ़) एवं श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में खाद्य वस्तुओं की मंहगाई रोकने के लिये गत तीन माह में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राज्य में खाद्य वस्तुओं की मंहगाई रोकने के लिए गत 3-4 माह में राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है । राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर में सघन जांच अभियान चलाया गया जिससे जमाखोरी एवं कालाबाजारी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है । सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि वो जिले में आवश्यक वस्तुओं के भावों के उतार-चढ़ाव पर कड़ी निगरानी रखे एवं यह भी सुनिश्चित करें कि वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे । साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए समय-समय पर जांच करवाये, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का वितरण सुचारू रूप से हो व उनकी कालाबाजारी न हो । विभाग के स्तर पर भी आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है । वर्णित अवधि में गेहूं, खाद्य तेल, आलू प्याज सहित अधिकतर खाद्य पदार्थों के भावों में कमी आई है ।

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में महाविद्यालय

436. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार भिवाड़ी औद्योगिक नगर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए भिवाड़ी औद्योगिक नगर में अभी महाविद्यालय प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है ।

सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का नियमन

437. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बसाई गई कालोनियों का निःशुल्क नियमन कर अतिक्रमणकारियों

(श्री मदन दिलावर)

को पट्टे जारी किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार द्वारा अन्य विभागों को सरकारी प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को भी निःशुल्क पट्टे दिये जावेंगे ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने अतिक्रमण कर बसाई गई कालोनियों के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह समस्या सरकार के विचाराधीन है।

(2) विचाराधीन है।

(3) नये प्रस्ताव पर नीति बनाई जा रही है।

श्री गंगानगर अरबन को-आपरेटिव बैंक में जमा राशि का दुरुपयोग

438. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) श्री गंगानगर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., श्री गंगानगर में राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के पश्चात बैंक के सैकड़ों गरीब खाताधारियों के जमा धन की वापसी में क्या प्रगति हुई है ?

(2) उक्त को-आपरेटिव बैंक लि. के निवर्तमान संचालकों द्वारा अपने खुद के रिश्तेदारों तथा बेनामी के कितने रुपये लिए हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने करोड़ों रुपये की वसूली हेतु कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गत सरकार के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण श्री गंगानगर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. को राज्य आज्ञा दिनांक 11-10-95 के अंतर्गत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रमुख प्रावधानों से प्रदान की गई उन्मुक्तता के घोर दुरुपयोग की शिकायतों के कारण उसे वापिस लेने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) प्रशासक नियुक्ति दिनांक 9-12-98 के पश्चात 391 खाताधारियों को उनकी जमा राशि में से 1.36 लाख रु. की वापसी दिनांक 31-3-99 तक की गई है।

(2) बैंक के निवर्तमान संचालकों एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा 2,40,49,225/- रु. का ऋण लिया गया है। विवरण

(सहकारिता मंत्री)

परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है। जिसमें से 2,24,55,676/-रु. बकाया है।

(3) प्रशासक नियुक्ति दिनांक 10-12-98 के पश्चात 9.63 लाख रु. की ऋण वसूली की गई है। बैंक राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 139 के अन्तर्गत जारी राजाज्ञा दिनांक 11-10-95 के प्रावधान के अन्तर्गत उन्मुक्त हैं, जिससे राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117 व 118 की वसूली की शक्तियां नहीं होने के कारण विभाग द्वारा वसूली सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) राजाज्ञा दिनांक 11-10-95 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्मुक्तता वापस लेने हेतु बैंक की ग्राम सभा ही सक्षम है। बैंक की ग्राम सभा द्वारा दिनांक 27-2-99 को पारित प्रस्ताव में उन्मुक्तता वापस लेने का निर्णय कर लिया गया है। उक्त ग्राम सभा में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने निर्देश दिये हैं कि उक्त निर्णय की क्रियान्विति माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त करके ही की जावे। उच्च न्यायालय के इस स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में तुरन्त कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–'प'

श्री गंगानगर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., श्री गंगानगर
संचालक मण्डल एवं रिश्तेदारों को दिये गये ऋण का विवरण

क्र.सं.	नाम ऋण संचालन	ऋण विवरण की दिनांक	ऋण राशि	वर्तमान में बकाया
1	2	3	4	5
1.	मंगल सिंह वल्द लाल सिंह (संचालक) कुलवन्त कौर का भाई	17-10-97	1,05,000-00	
		2-3-98	3,00,000-00	
		7-4-98	3,05,000-00	9,34,798-00
2.	तारासिंह वल्द पगत सिंह (संचा.) कुलवन्त कौर का भाई	—	(5,00,000-00)	(2,13,141-50)
		9-6-98	(5,00,000-00)	(5,57,692-00)
3.	मलकीत सिंह वल्द लाल सिंह (अध्यक्षा) कुलवन्त कौर का भाई	7-1-98	(1,40,000,00)	1,70,000,00
		19-5-98	(1,60,000,00)	(1,80,069,00)

1	2	3	4	5
4.	सूर्यासिंह वल्द लालसिंह, अध्यक्षा; कुलवन्त कौर का भाई	21-5-96,28-6-98,17-8-96 7-4-98	5,05,000,00	5,33,870,00
5.	बैयन्तसिंह पुत्र श्री लीलासिंह संचालक, बैयन्तसिंह	3-6-98	25,000,00	26,936,00
6.	मैं. ग्लोब ट्रेडर्स (ओवर ड्राफ्ट) चरणसिंह, संचालक	20-7-97	35,00,000,00	43,07,565,00
7.	मैं. बसन्त मेडिकल एजेन्सी संचालक, पवनजीत सिंह छाबड़ा	20-8-98	20,00,000,00	16,19,095,00
8.	मै. गुरुनानक सा.मिल्स/संचालक परमजीत कौर	19-9-97	8,00,000,00	8,82,882,95
9.	श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नि सतपालसिंह अध्यक्षा एवं पूर्व अध्यक्षा	8-8-98,15-1-98,16-1-98 8-8-98, 24-5-98	62,00000, 26,95000 795800, 2000000; 1818426	1,13,64,107,44

1	2	3	4	5
10.	जगदीश सिंह, संचालक	24-11-97	7,00,000,00	7,87,449,00
11.	गुरूशरण सिंह, संचालक		10,00,000,00	8,77,875,25
			2,40,49,225,00	2,24,55,675,83

राज्य सरकार को प्राप्त विदेशी सहायता

439. श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार को विदेशी वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस अवधि में किस–किस कार्य के लिये कितनी और कब तथा नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 1999-2000 के लिये प्रश्न के भाग एक में दर्शाये गये मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 1998-99 में विभिन्न मदों में ऋण के रूप में रु. 2006 करोड़ 30 लाख तथा अनुदान के रूप में रु. 1390 करोड़ 44 लाख मिलने थे। मदवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। वित्त वर्ष 1999-2000 हेतु ऋण के रूप में 2684 करोड़ 51 लाख तथा अनुदान के रूप में 1684 करोड़ 52 लाख रुपये मिलने संभावित है। जी हां। राज्य सरकार को विदेशी वित्तीय सहायता भारत सरकार के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1998-99 में दिनांक 17 मार्च, 1999 तक विभिन्न वित्तीय कार्यों हेतु राशि रु. 216 करोड़ 53 लाख प्राप्त हुई है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1999-2000 के लिये प्रश्न के भाग संख्या 1 में दर्शाये गये मद में ऋण के रूप में 2684 करोड़ 51 लाख तथा अनुदान के रूप में 1684 करोड़ 52 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। प्रश्न के भाग संख्या 2 में दर्शाये गये मद में ऋण के रूप में 389 करोड़ 48 लाख तथा अनुदान के रूप में 166 करोड़ 92 लाख प्राप्त होने की उम्मीद है। विवरण परिशिष्ट 1 एवं 3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट–1

राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त राशियों का विवरण

(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	मद	राशि जो मिलनी थी 1998-99 (संशोधित अनुमान)			राशि जो मिलनी है 1998-99 (आय व्ययक अनुमान)		
		ऋण	अनुदान	योग	ऋण	अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) गैर आयोजना योजनाएं						
1.	रेल यात्री किराये पर कर के स्थान पर अनुदान	....	1689.00	1689.00	....	1689.00	1689.00
2.	प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनुदान	....	1794.52	1794.52	....	1831.07	1831.07

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. स्थानीय निकायों एवं हेतु अनुदान	....	7982.00	7982.00	....	6385.00	6385.00
	4. विशिष्ठ समस्याओं के निदान हेतु अनुदान	....	2100.00	2100.00	....	1750.00	1750.00
	5. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	....	14892.00	14892.00	....	15525.00	15525.00
	6. पुलिस दल का आधुनिकीकरण	205.40	77.46	282.86	225.94	77.46	303.40
	7. आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास	....	1.50	1.50	....	1.50	1.50
	8. विश्वविद्यालय और युवा कल्याण कार्यक्रम	....	160.00	160.00	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. नेशनल केडिट कोर	....	56.50	56.50	....	56.50	56.50
	10. कला और संस्कृति को प्रोत्साहन	....	5.24	5.24	....	5.24	5.24
	11. युद्धावश्यक और सीमावर्ती सड़कें	....	833.00	833.00	....	833.00	833.00
	12. अखिल भारतीय सेवा के लिए अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु उधार	23.67	....	23.67	26.03	....	26.03
	13. लघु बचत संग्रहण का हिस्सा	113000.00	....	113000.00	150000.00	....	150000.00
	14. मल व्ययन और जल प्रदाय योजनाएं	1210.00	....	1210.00	1331.00	....	1331.00
	योग (क)	114439.07	29591.22	144030.29	151582.97	28153.77	179736.74

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख)	राज्य आयोजना योजनाएं						
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	35320.60	15137.40	50458.00	45960.60	19607.40	65658.00
2.	बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	15673.00	6717.00	22390.00	37179.80	15934.20	53114.00
3.	न्यूनतम आधारभूत कार्यक्रम	9800.70	4200.30	14001.00	9800.70	4200.30	14001.00
4.	स्वच्छता विकास कार्यक्रम	941.50	403.50	1345.00	941.50	403.50	1345.00
5.	तत्काल सिचाई लाभ कार्यक्रम	14500.00	....	14500.00	17000.00	....	17000.00
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	....	8552.00	8552.00	....	8552.00	8552.00
7.	जन जातीय क्षेत्र हेतु सहायता	....	2776.00	2776.00	....	2776.00	2776.00
8.	जलापूर्ति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	7287.00	3123.00	10410.00	....	....	....
	योग (ख)	83522.80	40909.20	184432.00	110882.60	51563.40	162446.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं						
	कृषि और सम्बद्ध सेवाएं						
	1. कृषि उत्पादन	....	3629.39	3629.39	....	3423.78	3423.78
	2. कृषि वानिकी अनुसंधान	....	1.30	1.30	....	8.00	8.00
	3. कृषि गणना योजना	....	12.50	12.50	....	74.00	74.00
	4. फलदार पौधों का वितरण	....	12.34	12.34	....	0.10	0.10
	5. भू-संरक्षण कार्य	1792.74	4183.06	5975.80	3055.46	7129.42	10184.88
	6. पशुपालन	....	103.65	103.65	....	106.85	106.85
	7. मत्स्य पालन उद्योग	....	7.48	7.48	....	9.45	9.45
	8. वानिकी	....	1958.12	1958.12	....	2274.44	2274.44
	9. सहकारिता	263.14	1252.74	1515.88	293.06	1398.81	1691.87

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद से सहायता	....	32.00	32.00	....	32.00	32.00
	ग्रामीण विकास						
1.	ग्रामीण शौचालय	....	193.76	193.76	....	....	....
2.	एकीकृत ग्रामीण विकास	....	80.03	80.03	....	66.00	66.00
3.	सीलिंग में आवंटित भूमि का विकास	....	292.70	292.70	....	220.95	220.95
	सिंचाई और बाढ़ कार्यक्रम						
1.	लघु सिंचाई सांख्यिकी	....	6.81	6.81	....	16.83	16.83
2.	सूखा क्षेत्र कार्यक्रम	....	0.50	0.50	....	....	....
3.	अधिकृत क्षेत्र का विकास	227.39	227.39	454.78	221.35	221.35	442.70

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. भूमि विकास	....	21.03	21.03	....	25.00	25.00
	5. इंदिर गांधी नहर क्षेत्र का विकास	....	3002.49	3002.49	....	3268.91	3268.91
	विद्युत						
	1. ग्रामीण विद्युतीकरण	....	28.00	28.00	....	46.36	46.36
	2. बायोगैस विकास	....	96.00	96.00	....	105.00	105.00
	उद्योग और खनिज						
	1. लघु उद्योगों का विकास	....	30.00	30.00	....	27.50	27.50
	2. हाथ करघा उद्योग	64.45	314.69	379.14	82.31	401.84	484.15
	3. बड़े और मध्यम उद्योग	....	540.90	540.90	....	1140.91	1140.91

1	2	3	4	5	6	7	8
परिवहन							
1. आर्थिक और अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें		....	134.00	134.00	....	50.00	50.00
2. सामरिक महत्व की सड़कें		254.40	593.60	848.00	256.50	598.50	855.00
3. अन्य सड़कें		....	0.02	0.02	....	0.02	0.02
4. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान		....	63.06	63.06	....	76.77	76.77
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं							
1. खेलकूद और युवा सेवाएं		0.01	106.37	106.38	0.01	116.50	116.51
2. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा		....	4998.05	4998.05	....	5598.93	5598.93

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	वोकेशनल शिक्षा	....	3.86	3.86	....	0.04	0.04
4.	कला एवं संस्कृति	....	6.62	6.62	....	7.02	7.02
5.	आधुनिक औषधियां	....	1809.64	1809.64	....	1749.55	1749.55
6.	आयुर्वेद	....	....	....	....	10.00	10.00
7.	परिवार कल्याण	....	14317.08	14317.08	....	23557.84	23557.84
8.	बालिका समृद्धि योजना	....	63.31	63.31	....	....	....
9.	सफाई और जलापूर्ति	....	17989.50	17989.50	....	21398.36	21398.36
10.	गंदी बस्तियों की सफाई	46.50	....	46.50	36.00	....	36.00
11.	न्यायिक आवासों का निर्माण	....	312.38	312.38	....	200.00	200.00
12.	नियोजन सेवाएं	....	15.18	15.18	....	47.68	47.68

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बन्धक मजदूर	....	4.00	4.00	....	10.00	10.00
14.	पिछड़ी जातियों का कल्याण	....	5518.10	5518.10	....	6567.32	6567.32
15.	समाज कल्याण	....	9.41	9.41	....	18.00	18.00
16.	एकीकृत बाल विकास	....	5076.47	5076.47	....	6120.30	6120.30
17.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	....	600.00	600.00	....	1200.00	1200.00
18.	आई. पी. पी. नवम् के तहत वाहन ऋण	0.02	....	0.02	268.80	....	268.80
19.	कर्मचारी बीमा निगम से सहायता	....	197.37	197.37	....	203.45	203.45
20.	प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन	....	6.17	6.17	....	5.74	5.74
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	....	76.16	76.16	....	149.46	149.46

1	2	3	4	5	6	7	8
आर्थिक सेवाएं							
1. आर्थिक एवं सांख्यिकी		....	47.40	47.40	....	47.95	47.95
2. राज्य एवं जिला आयोजना तन्त्र		....	26.04	26.04	....	32.04	32.04
3. खाद्य एवं नागरिक रसद		20.00	120.01	120.01	3.93	19.17	23.10
4. पर्यटन स्थलों का विकास		....	189.50	189.50	....	100.02	100.02
सामान्य और प्रशासनिक सेवाएं							
1. पुलिस आधुनिकीकरण		....	204.11	204.11	....	0.06	0.06
2. सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचय पत्र		....	8.50	8.50	....	0.01	0.01
3. जेल भवन		....	4.75	4.75	....	95.01	95.01

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	राजकीय उत्सव और समारोह	....	30.00	30.00	....	....	....
5.	पंजाब प्रतिवादियों के रख रखाव हेतु विशेष न्यायालय	....	5.66	5.66	....	0.42	0.42
	योग (ग)	2668.65	68543.20	71211.85	4217.42	87977.26	92194.68
	कुल योग क+ख+ग	200630.52	139043.62	339674.14	266682.99	167694.43	434377.42

परिशिष्ट-2

राज्य सरकार को वित्तीय कार्यों हेतु प्राप्त विदेश सहायता

क्र. सं.	परियोजना का नाम	(रुपये लाखों में) 17 मार्च, 99 तक प्राप्त राशि
1.	समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना	736.23
2.	कृषि विकास परियोजना	4686.13
3.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	2775.21
4.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	23.91
5.	बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास परियोजना	1700.11
6.	सिद्ध मुख नोहर परियोजना	—
7.	वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास परियोजना	1335.56
8.	राजाड परियोजना	554.15
9.	तकनीकी शिक्षा का विकास	734.35
10.	पावडी परियोजना	65.50
11.	राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अध्ययन	—
12.	राजस्थान राज्य उच्च मार्ग परियोजना	814.24
13.	डूंगरपुर बंजर भूमि विकास परियोजना	565.94
14.	ग्रामीण जलपूर्ति योजना चरण–प्रथम	5285.12
15.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	1810.14
16.	पुष्कर झील में समन्वित जल ग्रहण एवं जल भंडारण	—
17.	जल वितरण में लूज लीकेज का मूल्यांकन व कटौती	482.01
18.	जलापूर्ति एवं सेनिटेशन सुविधा अध्ययन	84.88
	योग	21653.48

परिशिष्ट—3

राज्य सरकार को वर्ष 1999–2000 में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण	अनुदान	योग
1	2	3	4	5
1.	कृषि विकास परियोजना	4911.20	2104.80	7016.00
2.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	5950.00	2550.00	8500.00
3.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	49.00	21.00	70.00
4.	बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास	1156.40	405.60	1652.00
5.	सिद्ध मुख नोहर परियोजना	2590.00	1110.00	3700.00

1	2	3	4	5
6.	वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास	1025.50	439.50	1465.00
7.	राजाड परियोजना	504.00	216.00	720.00
8.	पावडी परियोजना	33.60	14.40	48.00
9.	राजस्थान वानिकी विकास परियोजना	2112.60	905.40	3018.00
10.	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	5463.50	2341.50	7805.00
11.	पुष्कर झील में समन्वित जल ग्रहण एवं संधारण	67.20	28.80	96.00
12.	बंजर भूमि विकास कार्यक्रम डूंगरपुर	630.00	270.00	900.00
13.	छः मुख्य कस्बों का शहरी विकास	1575.00	675.00	2250.00
14.	जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	2800.00	1200.00	4000.00

1	2	3	4	5
15.	मरू क्षेत्र में पर्यटन विकास	595.00	255.00	850.00
16.	मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना	2800.00	1200.00	4000.00
17.	उपेक्षित समूहों के लिए आवासीय विद्यालय	525.00	225.00	750.00
18.	राजस्थान राज्य उच्च मार्ग परियोजना	6160.00	2640.00	8800.00
	योग:	38948.00	16692.00	55640.00

तहसील नावां के ग्रामों की पेयजल समस्या

440.श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है तहसील नावां के ग्राम लूनवां, मून्डगसोई तथा गुढ़ा साल्ट में खारे पानी की वजह से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो इसके समाधान के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है और कब तक समाधान कर दिया जायेगा ?

(2) तहसील नावां के कौन-कौनसे ग्राम पेयजल समस्याग्रस्त हैं ? इनके निराकरण के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन ग्रामों के लिये आस-पास पीने योग्य पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्या है। समस्या के समाधान हेतु वांछित गुणवत्ता एवम् जल क्षमता के स्रोत को चिन्हित होने पर योजना बनाई जा सकेगी।

(2) तहसील नावां को पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'क' पर दर्शायी गई है। इन ग्रामों हेतु वांछित गुणवत्ता एवं पेयजल उत्पादन क्षमता के स्रोत प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाकर एवं सफल होने पर संवर्धन योजनायें क्रियान्वित की जा सकेगी।

परिशिष्ट "क"

पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों का विवरण

क.सं.	ग्राम का नाम	क.सं.	ग्राम का नाम
1.	आनन्दपुरा	20.	देवनगर (तुरी की ढाणी)
2.	शिवदानपुरा	21.	पुरोहित का बास
3.	सूरतपुरा	22.	सिरसी
4.	रांवा	23.	लूणवा
5.	राजपुरा	24.	देवली कला
6.	मंगलपुरा	25.	ठीकरिया
7.	लाम्बा कोटडा	26.	दानपुरा
8.	रसाल	27.	जीनवार
9.	जिलोया	28.	गुढ़ा साल्ट
10.	चांदपुरा	29.	गुण्ड गोसाई
11.	शिव पूर्वी नोनपुरा	30.	डाबसी
12.	गुजरी (तलाई की ढाणी जिजोट)	31.	लोहराना
13.	शिव	32.	पीपराली
14.	काकोट	33.	चोसला
15.	राजलिया	34.	कुणी
16.	भूणी	35.	नरसिंहपुरा
17.	कसारी	36.	अभयपुरा
18.	कामपुरा (बाजियों की ढाणी)	37.	घुतों की ढाणी
19.	राजास गोविन्दी		

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नवीन औषधालय

441. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल कितने औषधालय कहां-कहां किस किस वर्ष में खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ औषधालयों के भवन नहीं हैं तथा कुछ क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इनका निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा में ऐसे गांव भी हैं जिनमें निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आबादी होते हुए भी औषधालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से ? अब सरकार उक्त गांवों में कब तक औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल 15 आयुर्वेद औषधालय वर्तमान में स्वीकृत/संचालित हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित समस्त विभागीय औषधालयों के लिए भवन उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के 7 औषधालय भवनों की रजिस्ट्री विभाग के नाम नहीं होने से उनकी मरम्मत विभाग द्वारा कराना सम्भव नहीं हो रहा है। विभाग के नाम रजिस्ट्री होने के उपरांत ही मरम्मत कराना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। निम्न ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आबादी होते हुए भी विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं है–

1. अरनोद
2. रानीखेड़ा
3. मण्डलाचारण
4. बाड़ी
5. केली
6. कारूण्डा
7. गोमाना
8. मेलाना

नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में स्वीकृत व संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान औषधालय	आरम्भ होने का वर्ष
1.	कनेरा	1949
2.	बिनोता	1960
3.	सोमपुर कमोलिया	1960
4.	लसड़ावन	1961
5.	करजू	1966
6	फलवा	1967
7.	जलोदिया केलूखेड़ा	1967
8.	धोलापानी	1968
9.	सतखंडा	1976
10.	जलोदिया जागीर	1976
11.	केसून्दा	1976
12.	गादोला केली	1981
13.	निम्बाहेड़ा	1989
14.	मांगरोल	1990
15.	बम्बोरी	1990

खेडली (कठूमर) का ग्रिड सब स्टेशन

442. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितनी-कितनी क्षमता के कौन-कौन से ग्रिड सब स्टेशन कहां-कहां स्थापित हैं ? उनमें से कितने वर्तमान में कार्यरत हैं एवं कितने खराब हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता रहती है ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेडली कस्बे में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन जो पूर्व में स्वीकृत हो चुका है, लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 33 के.वी. के निम्न तीन सब-स्टेशन स्थापित हैं तथा सभी सब-स्टेशन वर्तमान में कार्यरत हैं :—

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मरों की संख्या व क्षमता	वर्तमान स्थिति
1.	खेडली	1 × 3.15 एम.वी.ए.	कार्यरत
		1 × 2.5 ,, ,,	,, ,,
2.	कठूमर	1 × 1.0 ,, ,,	,, ,,
		1 × 1.5 ,, ,,	,, ,,
3.	मनोखर	1 × 1.6 ,, ,,	,, ,,

(2) जी, नहीं । उक्त क्षेत्र में तकनीकी व प्राकृतिक व्यवधानों को छोड़कर, दिए गये निर्देशों के अनुसार विद्युत आपूर्ति नियमित है । वर्तमान में उक्त क्षेत्र के विद्युत भार को देखते हुए, सभी सब-स्टेशनों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता विद्युत आपूर्ति हेतु पर्याप्त हैं ।

(3) जी, हां । विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेडली कस्बे में एक 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है । इसे वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

टीबी/रावतसर की नहरों में शिल्ड

443. श्री मादराम मेघवाल (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टीबी/रावतसर में सेम समस्या से अधिकांश भू-भाग जलमग्न हो चुका है? क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा गांधी नहर से पानी रिसाव हो रहा है? क्या सरकार पानी के रिसाव को रोकने के लिये कोई उपाय कर रही है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जो पानी भरा है उसको निकालने के लिए कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो कैसे?

(4) उक्त क्षेत्र की जेड. डब्ल्यू. डी. व एन. डी. आर. नहर तथा एस. पी. डी. के डब्ल्यू. डी. रावतसर एवं पालड़का वितरिका शिल्ड से भरी हुई है? क्या शिल्ड के कारण पानी आखिरी छोर तक नहीं पहुंचता है? क्या सरकार आखरी छोर तक पानी पहुंचाने के लिये उक्त नहरों से शिल्ड निकलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या क्षेत्र की रावतसर तहसील में जो पक्के खाले सरकार द्वारा बनाये गये थे अब टूटने की हालत में है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या यह सही है कि प्रथम चरण में बनाये गये खालों की राशि वसूलने के लिये सरकार नोटिस जारी करती रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) टीबी विधान सभा क्षेत्र में 611 हैक्टेयर भूमि सेम से जलमग्न हो चुकी है। रावतसर क्षेत्र में 1142 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सेम से जलमग्न हुई है। वर्तमान में सेम समस्या के निवारण हेतु माणकथेड़ी, बड़ोपाल में दो पायलट प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। प्रथम में ट्यूबवैल के माध्यम से भू-जल नीचे करने का प्रयास एवं दूसरी में ड्रेन बनाकर पानी को एक स्थान पर एकत्रित कर पम्प करके घग्घर नाली बैड में डालने की कार्यवाही की जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं में अभी आंशिक सफलता ही मिली है। इनका अन्तिम निष्कर्ष देखकर एवं इनके उपयोगी पाये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त योजना बनायी जा सकेगी।

(2) इंदिरा गांधी नहर से पानी का रिसाव निर्धारित मापदण्ड की सीमा में ही हो रहा है फिर भी नहर बन्दी के दौरान उक्त रिसाव को और कम करने के लिए टाईलों के खुले जोइन्टस को भरवाने का कार्य जनवरी 1999 में करवाया गया तथा आवश्यकतानुसार पुरानी लाइनिंग की मरम्मत का काय भी किया गया।

(सिंचाई मंत्री)

(3) भाग-1 में उत्तर दिया जा चुका है।

(4) जेड. डब्ल्यू. डी.; एस. पी. डी. व थालईका वितरिका में सिल्ट विद्यमान है किन्तु एन. डी. आर.; के. डब्ल्यू. डी. रावतसर वितरिका में से गत वर्ष सिल्ट निकाल दी गई थी। उपरोक्त सभी नहरों के अन्तिम छोर तक अभी पानी पहुंच रहा है। इस वर्ष बजट उपलब्ध होने पर शेष वितरिकाओं की सिल्ट निकलवा दी जायेगी।

(5) पक्के खालों की मरम्मत एवं रख-रखाव किसानों को ही करना है। राज्य सरकार से इनके मरम्मत का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(6) पक्के खालों के निर्माण के लिए दिए गए ऋणों की किसानों से वसूली नहीं होनी है। राज्य सरकार भुगतान कर रही है।

विधान सभा क्षेत्र धोद की बन्द खानें

444. श्री अमराराम (धोद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम मलखेडा, बाजोर; भीया; मंडावरा एवं चोखा का बास में जो निर्माण पत्थर की खानें थी, बन्द कर दी गई थी ? यदि हां; तो क्या सरकार इन्हें चालू कराने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

(2) उक्त खानों के बंद होने से कितने लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं ?

(3) अब सरकार उक्त खानों को कब तक चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम मलखेडा; बाजोर, भीया; मण्डावरा एवं चोखा का बास में चेजा पत्थर की खानें वन सीमा में पड़ने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-96 की अनुपालना में खनन कार्य बन्द करवाया हुआ है। उक्त क्षेत्रों में से मलखेडा, बाजोर; भीया; मण्डावरा नवारी क्षेत्रों में खानों को पुनः चालू करने हेतु कलस्टर में वन अनारक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) उक्त खानों के बन्द होने से करीबन 400 व्यक्तियों का रोजगार प्रभावित हुआ।

(3) भीया क्षेत्र की 62 खानों की प्रथम स्तरीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; भारत सरकार द्वारा दिनांक 2-7-97 को प्राप्त हो चुकी है। तदुपरांत दिनांक 8-9-98 से अस्थाई कार्यानुमति भी प्राप्त हो चुकी है। जिसके आधार पर अब इन खान धारियों की खानें पुनः चालू

(राज्य मंत्री, खनिज)

करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष मलखेडा, बाजोर एवं मण्डावरा क्षेत्र की खानों के वन अनारक्षण संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। वन अनारक्षण होने के बाद इन क्षेत्रों को खानों में खनन चालू होना संभव होगा। चोखा का बास क्षेत्र के क्वारी लाइसेन्स धारियों ने वन अनारक्षण के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः इस क्षेत्र में खनन कार्य चालू होने की संभावना नहीं बनती है।

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक

445. डा. के सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या सरकार इस रोक को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी न होने के कारण निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई कर्मचारियों के पद भरने की अनुमति देने की प्रशासनिक व्यवस्था की हुई है ताकि पालिकाओं की वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रशासनिक व्यय का अधिक भार न पड़े। प्रदेश की अधिकांश पालिकाओं में पूर्व से उनके कर्मचारियों के वेतन, प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि, ग्रेच्यूटी एवं वेतन पुनर्निर्धारण की राशियां बकाया है इसलिये स्वायत्तशासी संस्थाओं के हितार्थ विश्लेषण करके पद भरने की सहमति व्यक्त कर दी जाती है। सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर वर्तमान समय में प्रतिबन्ध तो नहीं है, किन्तु निरापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित की हुई है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या-1 के उत्तर के पश्चात भाग संख्या-2 के अलग से उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

विधायक कोटे के तहत राहत कार्य

446. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार अकाल राहत कार्य शुरू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? अकाल राहत शुरू करने हेतु सरकार ने अब क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल राहत कार्य शुरू करने पर प्रत्येक विधायक को अपने अपने जिलों में अब कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाने

(श्री रामस्वरूप)

हेतु अधिकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अभावग्रस्त क्षेत्रों के राहत कार्य अक्टूबर, 98 के प्रथम सप्ताह में ही प्रारम्भ किये जा चुके हैं । राहत कार्यों हेतु अभावग्रस्त घोषित जिलेवार श्रमिक सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा श्रमिक संख्या जिले की अभाव स्थिति की गंभीरता, क्षेत्र की प्रभावित जनसंख्या तथा रोजगार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है ।

(2) अकाल राहत कार्यों पर, विधायक के लिए, उनके जिले में कार्य करवाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की राशि निर्धारित नहीं की गई है और ना ही इस प्रयोजन हेतु विधायकों को अधिकृत किया गया है । जिला सहायता समीक्षा समिति के विधायक सदस्य हैं जो राहत कार्यों के प्रस्ताव पेश करते हैं । जिन पर राहत कार्यों की स्वीकृति जिला सहायता समीक्षा समिति के अनुमोदन से सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा जारी की जाती है ।

कीटनाशक दवाइयों पर विक्रय कर

447. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों पर पड़ौसी राज्यों के समान विक्रय कर 4% से घटाकर 2% कर राजस्थान कृषि निवेश विक्रेता संघ के ज्ञापन पर सरकार को प्रति वर्ष होने वाली आर्थिक हानि पर अंकुश लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी, नहीं ।

जिला टोंक के ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति

448. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला टोंक में कुल कितने ग्राम ऐसे हैं जहां 'फ्लोराइड' की अधिक मात्रा पीने के पानी में है ? पंचायत समितिवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त ग्रामों के लिए विभाग द्वारा पीने के पानी की क्या वैकल्पिक योजनाएं तैयार की है ? योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) पंचायत समिति देवली व उनियारा जिला टोंक में 'फ्लोराइड' वाले ग्रामों हेतु क्या योजनाएं हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति देवली के निम्न ग्रामों जहां

(श्री दिग्विजय सिंह)

'फ्लोराइड' अधिक होना बताया ढाक-डियावास; सेदीयावास; प्राधीग्राम I व II, सारदड़ा, सावतगढ़ इत्यादि 18 ग्रामों हेतु एक 85 लाख की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसके अन्तर्गत पाइप लाइनों के बिछाने का कार्य व 'पानी की टंकियों' का कार्य हो चुका है पर 'ट्यूबवैल' जहां लगाया था वह सूख गया ? क्या सरकार अन्य स्थान का चयन कर इसे चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(5) सरकार आने वाली गर्मियों में समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की भयंकर समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) पंचायत समिति उनियारा के ग्राम पंचायत, रूपपुरा, सुरेली ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति वार ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर है ।

(2) 62 ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से वांछित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है । योजनावार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है । शेष 137 गांवों के लिये आवश्यक गुणवत्ता का स्रोत चिन्हित होने पर योजनाएं बनाई जा सकेंगी ।

(3) पंचायत समिति देवली व उनियारा में क्रमशः 19 व 23 ग्राम 3 पी पी एम से अधिक फ्लोराइड के हैं, जिनमें से उनियारा के 11 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं शेष 12 ग्रामों की योजना स्रोत चिन्हित कर बनाई जा रही है । देवली के 12 ग्रामों की स्वीकृत योजना पर कार्य प्रगति पर है व 7 ग्रामों के लिये योजना स्रोत चिन्हित कर बनाई जा रही है ।

(4) पंचायत समिति देवली के 8 ग्रामों हेतु एक क्षेत्रीय जल योजना 85.47 लाख की स्वीकृत की गई है जिसमें ग्राम कालानाड़ा, गोपीपुरा, दोलता, पनवाड़, सेन्दियावास, सिरोही, चांदली एवं कासीर सम्मिलित हैं तथा ग्राम ढाकडियावास को पाइप लाइन के रास्ते में होने के कारण लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस योजना पर पर्याप्त जल उत्पादन क्षमता का स्रोत विकसित नहीं किया जा सका इसलिये परीक्षण नलकूप बनाया जाकर वैकल्पिक स्रोत विकसित किया जाने के पश्चात योजना पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

(5) टोंक जिले में आने वाली गर्मी से पूर्व 445 नये हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं एवं 59 अन्य हैण्डपम्पों को लगाने का कार्य प्रगति पर है । विभाग द्वारा 25 वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अंतर्गत सभी मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक किया जा रहा है तथा अब तक 2092 हैण्डपम्पों को ठीक किया जा चुका है, शेष पर कार्य प्रगति पर है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) वर्तमान में ग्राम रूपपुरा हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है; परन्तु पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3 पीपीएम से अधिक होने के कारण शुद्ध पेयजल का स्रोत का चयन कर क्षेत्रीय जल योजना बनाना प्रस्तावित है। ग्राम सुरेली टी.एस.एस. योजना से लाभांवित है एवं 12 हैण्डपम्प कार्यरत हैं। विभागीय नीति अनुसार ग्राम हेतु पी एण्ड टी योजना बनाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-449

(स्थगित)

चम्बल सिंचित क्षेत्र में अन्तिम छोर की असिंचित भूमि

450. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध शाश्वत सिंचाई का लाभ नहरों के अंतिम छोर की कृषि भूमि को नियमित रूप से मिल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त चम्बल बांध की नहरों का पानी वर्ष 1999 में बड़ाखेड़ा; मालोदा खांटा, पापड़ी, जाड़ला, बसवाड़ा, हनुतिया; हाण्डीखेड़ा; झोंपड़या; मोरोली की कृषि भूमि को मिला है ? यदि हां, तो किस अवधि से किस अवधि तक ?

(3) क्या सरकार अंतिम छोर के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या 7,8 एवं 9 जनवरी, 1999 को राजस्थान के सिंचाई व सिंचित क्षेत्र विकास सचिव व केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ने नहरों के सुधार हेतु अवलोकन किया था ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि नहरों की मरम्मत नहीं होने के कारण अंतिम छोर के गांवों में सिंचाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो अब उक्त नहरों की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सामान्यतया आखरी छोर पर भी पानी पहुंच रहा है ।

(2) वर्ष 1999 में ग्राम बड़ाखेड़ा, मालोदा, पापड़ी, जाड़ला, हनोतिया एवं बसवाड़ा गांवों में नहरों का पानी नहीं पहुंचा है । शेष गांवों के कुछ भाग में वर्ष 1999 में पानी पहुंचने का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

गांव का नाम	अवधि	
	जनवरी, 99	फरवरी, 99
हाडिया खेड़ा	28 से 31	1 से 5 11 से 12 17 से 19
फरानिया की झोपड़िया	5 से 27	—
मनोली	9 से 30	11 से 12
खाखटा	18 से 28	10 से 15

(3) यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जावेगी कि अन्तिम छोर के कृषकों को पानी निश्चित रूप से मिले ।

(4) जी, हां । सचिव, सीएडी के भ्रमण उपरान्त 3 चरणों में निम्नानुसार कार्यवाही करने के क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा को निर्देश दिये गये:—

प्रथम चरण :--

(i) टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था कर ऊपरी क्षेत्र में पानी को रेगुलेट किया जावे ।

(ii) उपलब्ध मशीनों के अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगाकर खरपतवार हटाते हुए 10 दिन में टेल में पानी पहुंचाया जावे ।

द्वितीय चरण :--

अप्रेल से जून की अवधि में शाखाओं/वितरिकाओं/माइनर्स को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बंद करके पूरी तरह बौड़ की सफाई एवं टूट-फूट की तात्कालिक मरम्मत कराई जावे । इसके लिए अपेक्षित बजट एवं टेण्डर आदि की कार्यवाही 31-3-99 तक पूरी की जावे ।

तृतीय चरण :--

नहरों को सही स्थिति में लाने के लिए 3–4 वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जावे ।

प्रथम चरण की तात्कालिक आवश्यकता के लिए 10.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये एवं 10 दिन तक 1000 दैनिक वेतनभोगी श्रमिक लगाने की स्वीकृति दी

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

गई। आदेशों की प्रतियां क्रमशः संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर उपलब्ध है।

(5) जी, हां वर्ष 1999-2000 के दौरान मरम्मत कार्यों बाबत कुल राशि 832.5 लाख रुपये का बजट उपलब्ध हुआ है। इसका उपयोग कर जून माह तक बोड की सफाई एवं अत्यावश्यक मरम्मत का कार्य कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। अतिरिक्त बजट प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बजट प्राप्त होने पर अत्यावश्यक मरम्मत कार्य कराया जा सकेगा।

परिशिष्ट--'क'

राजस्थान सरकार

सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

क्रमांक प.4(64) सीएडी/97   जयपुर, दिनांक 2 फरवरी 1999.

क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सीएडी चम्बल, कोटा

विषय :--सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल नहर तंत्र की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्रांक क्षेविआ/एस.ई.आई/98/526 दिनांक 2-1-99 एवं इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 20-1-99

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बाईं मुख्य नहर के रख-रखाव हेतु निम्न बजट मद में रु. 10.00 लाख के अतिरिक्त आवंटन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई
01-मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक
02-चम्बल परियोजना
iii-बाईं मुख्य नहर
I-निष्पादन
II-अनुरक्षण (सामग्री)

यह व्यय वित्तीय वर्ष 1998-99 में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों तथा वित्तीय नियमों के अनुसार किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. सं. 3319 दिनांक 2-2-99 एवं वित्त (बजट) की आई.डी.सं. 1243 दिनांक 1-2-99 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त अतिरिक्त आवंटित राशि के लिए अनुपूरक अनुदान के प्रस्ताव अविलम्ब वित्त (व्यय-3) एवं (बजट) विभाग को प्रेषित कर एक प्रति इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,
ह0
(एम.एन.माथुर)
विशेषाधिकारी, सीएडी

राजस्थान सरकार

सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

क्रमांक : एफ.4(64) सीएडी/97 जयपुर, दिनांक 20-1-99

क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
सीएडी, चम्बल परियोजना,
कोटा ।

विषय:- सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल नहर तंत्र की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन बाबत् ।

संदर्भ :- आपका पत्रांक से बिग्रा/एस.ई.आई./98/526 दिनांक 2-1-99

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में बाईं मुख्य नहर के रख-रखाव हेतु 1000 श्रमिक प्रतिदिन (10 दिन तक मात्र) लगाये जाने की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में नियमों में शिथिलता प्रदान कर प्रदान की जाती है । इसके अलावा विभाग में नियुक्त वर्क-चार्ज श्रमिकों से भी काम लें जो कि काफी संख्या में हैं ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई. डी. संख्या 3276 दिनांक 20-1-99 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है ।

भवदीय,
ह०
(एस.एम. माथुर)
विशेषाधिकारी, सीएडी.

जायल (नागौर) के काश्तकारों को सिंचित क्षेत्र में भू-आवंटन

451. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मातासुख, तहसील जायल, जिला नागौर के काश्तकारों की भूमि राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड उदयपुर के लिये अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसका कब्जा कब लिया गया ?

(2) क्या जिन काश्तकारों की सारी कृषि भूमि अवाप्त कर ली गई उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया ? यदि हां, तो कब किस रेट से कितना ?

(4) क्या विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया कि काश्तकारों को जमीन के बदले राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन दी जायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार से कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम मातासुख तहसील जायल जिला नागौर के काश्तकारों की भूमि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड के लिए अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड के द्वारा लिग्नाइट के खनन परियोजना हेतु की जा रही है। उक्त भूमि का कब्जा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) अभी तक भूमि अवाप्त नहीं की गई है। भूमि अवाप्त नियमानुसार मुआवजा देकर की जायेगी ।

(3) जी नहीं।

(4) भूमि अवाप्ति विधिक रूप से नियमानुसार मुआवजा देकर ही की जायेगी।

महारानी श्री जया कालेज भरतपुर का भवन

452. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महारानी श्री जया कालेज भरतपुर का भवन काफी पुराना होने की स्थिति में इसके रख-रखाव हेतु कोई योजना बनाई जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जायेगा ?

(2) गत 5 वर्षों में क्या सरकार द्वारा इस पर कोई राशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आचार्य, राजकीय श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर को महाविद्यालय भवन की आवश्यक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु लिखा गया है अनुमानित लागत का विवरण प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-453

(स्थगित)

पंचायत समिति रायपुर (भीलवाड़ा) के ग्रामों की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

454. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा के गांव पीथा का खेड़ा, रामा, लड़की, बोराणा तथा रायपुर की पेयजल की एक रीजनल स्कीम बनाई गई है ?

(2) क्या उक्त योजना के तहत सरकार ने एक कुआ भी खुदवाया है ?

(3) क्या यह सही है उक्त रीजनल स्कीम के लिए लड़की बांध से पेयजल हेतु सिचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिया गया है ?

(4) अब सरकार इस योजना को कब तक चालू कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पीथाका खेड़ा, रामा, लड़की हेतु एक क्षेत्रीय योजना तथा रायपुर बोराणा हेतु एक अन्य क्षेत्रीय योजना बनाई गई है।

(2) क्षेत्रीय योजना रायपुर-बोराणा के अधीन एक खुले कुएं का निर्माण कराया गया।

(3) जी हां।

(4) उक्त दोनों योजनाओं की एक सम्मिलित योजना बनाई जाकर आवश्यक तकनीकी जांच में उपयुक्त पाई जाने पर योजना स्वीकृत हो सकेगी।

गड़रा रोड ब्रांच का विस्तार

455. श्री अमीन खां (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार गड़रा रोड ब्रांच को गड़रा रोड सब तहसील के ग्राम रतडेकी कलां, हाथिया, जीणोकापार, साधो की बस्ती, शास्त्रीगांव गिदाव, तुरबी, मगरा, हरसानी, खारची, राणासर, देतानी, करीमकापार, उनाड़ा व बान्डासर तक ले जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या गड़रा रोड ब्रांच को 20

(श्री अमीन खां)

फुट नीची करके इसकी क्षमता बढ़ाने हेतु काम चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) वर्णित गांव बाड़मेर जिले के शिव तहसील के अन्तर्गत आते हैं। गडरा रोड शाखा के अन्तिम छोर से निकलने वाली गड़रा रोड वितरिका शिव तहसील के ग्रामों को सिंचित करेगी जिसका सूक्ष्म सर्वेक्षण वेपकोस द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। सूक्ष्म सर्वेक्षण के सम्पादित होने के पश्चात वेपकोस द्वारा नहरों का एलाइनमेन्ट तथा सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में तकनीकी आधार पर प्रस्ताव भेजे जावेंगे। उनके प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् ही इस पर टिप्पणी/सूचना दी जा सकती है।

(2) गडरा रोड ब्रांच को 20 फुट नीचा करके इसकी क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। गड़रा रोड उपशाखा का ढलान इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति देखते हुए 10000 फुट में 1 फुट से 7500 फुट में 1 फुट किया गया है। लेकिन इसका सिंचित क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सिंचित क्षेत्र यथावत रहता है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू की स्वीकृत पेयजल योजना

456. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दूदू ग्राम के लिए विभाग द्वारा पीने के पानी की कोई योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की और कब ? उक्त योजना में कब से काम चालू किया गया है ? योजना की क्रियान्विती का क्या समय दिया गया है ? समय पर कार्य नहीं कराये जाने की क्या जांच करायी गयी है ? उक्त जांच में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में डाले गये पाइपों की किस्म घटिया है ? क्या सरकार उक्त पाइपों की क्वालिटी की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि दूदू विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में पीने के पानी का अभाव है तथा अधिकतर क्षेत्र में खारा पानी है जिसके कारण विभाग द्वारा चालू की गई योजनाओं में योजना चालू करने के एक दो साल के बाद ही पानी की कमी के कारण योजना असफल हो जाती है ? क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के नजदीक ही किशनगढ़ में बीसलपुर योजना द्वारा पीने के पानी सप्लाई की जाती है ? क्या पानी के अभाव को देखते हुए सरकार बीसलपुर योजना द्वारा दूदू विधान सभा क्षेत्र को पीने का पानी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम दूदू के लिये विभाग द्वारा एक योजना 83.82 लाख रुपये की दिनांक 11-12-96 को स्वीकृत की गई है उक्त योजना का फरवरी 1997 से कार्य चालू है। इस योजना का क्रियान्वित समय 2 वर्ष का था। इस योजना के समस्त कार्य पूरे हो चुके हैं सिर्फ 22 कि.मी. पाइप लाइन में से 2 कि. मी. पाइप लाइन की टैस्टिंग का कार्य शेष है। योजना के क्रियान्वित समय में विशेष देरी नहीं हुई है। अतः जांच नहीं कराई गई।

(2) जी नहीं। पाइपों की गुणवत्ता की जांच हेतु थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण कराकर ही विभाग ने कार्य किया है।

(3) जी नहीं। दूदू विधान सभा क्षेत्र के 218 ग्रामों में से केवल 66 गांवों में पानी की गुणवत्ता विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है जो कि पानी की कमी के कारण एक दो वर्ष में असफल हुई हो। विभाग द्वारा संवर्धन योजना बनाकर समय-समय पर क्रियान्वित कर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है यह सही है कि किशनगढ़ शहर को बीसलपुर योजना से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। परन्तु दूदू विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सहायक अभियन्ता बालोतरा (बाड़मेर) के विरुद्ध शिकायतें

457. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-खण्ड सिणधरी खण्ड बालोतरा के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध काश्तकारों से अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायक अभियन्ता उपखण्ड सिणधरी (खण्ड बालोतरा) के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायत दिनांक 4-12-1998 को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों की विस्तृत जांच करने हेतु दिनांक 9-12-1998 को अधीक्षण अभियन्ता (बाड़मेर) द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (जैसलमेर) को जांच अधिकारी नियुक्त कर रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी दिनांक 19-12-1998 व दिनांक 8-1-1999 को सिणधरी व मीठाखेड़ा गांव में शिकायतकर्ताओं से पूछताछ करने के लिये गये

(ऊर्जा मंत्री)

लेकिन शिकायत कर्ता दोनों दिन नहीं मिले। इसलिये जांच अधूरी है।

(2) जांच पूर्ण होने पर सहायक अभियन्ता के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद् पाली की जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि

458. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद् पाली की सीमा में निजी खातेदारों द्वारा कृषि भूमि पर नगर नियोजन कार्यालय से योजना स्वीकृत करा कर कितनी आवासीय बस्तियां बसाई हैं ?

(2) उक्त आवासीय बस्तियों में कितनी भूमि जन सुविधा हेतु छोड़ी गई है ?

(3) क्या जन सुविधा हेतु छोड़ी गई भूमि रिक्त है ? क्या उसे नगर परिषद् को सुपुर्द कर दिया गया है ?

(4) जन सुविधा हेतु आरक्षित भूमि में से कितनी भूमि खातेदारों द्वारा बेची जा चुकी है तथा अतिक्रमणों द्वारा कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है।

(5) क्या सरकार ऐसे खातेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने जा रही है जिन्होंने जन सुविधा हेतु छोड़ी गयी भूमि बेच दी है ? क्या सरकार अतिक्रमियों के कब्जे में पड़ी ऐसी भूमि को खाली करवा रही है ? यदि हां, तो कितनी अवधी में ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् सीमा पाली में निजी खातेदारों द्वारा कृषि भूमि पर नगर नियोजन कार्यालय से योजना स्वीकृत कराकर कोई आवासीय बस्तियां नहीं बसाई गई हैं।

(2) नगर नियोजन कार्यालय से योजना स्वीकृत कराकर कोई आवासीय बस्तियां बसाई ही नहीं गई हैं तो जन-सुविधा में छोड़ी गई कृषि भूमि की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(3) जब नगर नियोजन कार्यालय द्वारा कोई आवासीय बस्तियां स्वीकृत ही नहीं की गई हैं तो जन-सुविधा हेतु छोड़ी गई रिक्त भूमि नगर परिषद् को सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जब निजी खातेदारों की कृषि भूमि का नगर नियोजन कार्यालय से योजना स्वीकृत ही नहीं की गई है तो जन सुविधा हेतु छोड़ी गई भूमि को खातेदारों द्वारा बेचान करने एवं अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) जब नगर नियोजन कार्यालय से योजना स्वीकृत ही नहीं कराई गई है तो

(राजस्व मंत्री)

जन-सुविधा हेतु छोड़ी गई कृषि भूमि को अतिक्रमियों से रिक्त करवाने का प्रश्न ही नहीं है।

महाविद्यालयों में तृतीय भाषा उर्दू का अध्यापन

459. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में उर्दू एवं फारसी विभाग में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के कुल कितने पद कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) प्रदेश में जहां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू ऐच्छिक विषय है वहां महाविद्यालयों में उर्दू भाषा विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए क्या सरकार उर्दू विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उर्दू विभाग में प्रोफेसर का पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उर्दू एवं फारसी विभाग में स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वार्षिक योजना 1999-2000 में वर्तमान में संचालित महाविद्यालयों में 15 नवीन विषय प्रारम्भ करने का प्रावधान रखा गया है। इनके सम्बन्ध में निर्णय करते समय स्थान विशेष से प्रस्ताव आने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुणों के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में उर्दू विभाग में प्रोफेसर का पद सृजित है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वार्षिक योजना 1999–2000 में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भविष्य में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा अन्य प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना सम्भव होगा। अन्य विश्वविद्यालय में उर्दू फारसी विभाग नहीं है। महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-'घ'

1. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

शैक्षणिक पद :–

प्रोफेसर	1
एसोसिएट प्रोफेसर	1
एसिस्टेंट प्रोफेसर	1
कुल	3

अशैक्षणिक पद — कोई पद स्वीकृत नहीं

2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

शैक्षणिक :-

एसोसियेट प्रोफेसर	1
एसिस्टेंट प्रोफेसर	9
कुल	10

अशैक्षणिक कर्मचारी :-

कनिष्ठ लिपिक	1
सहायक कर्मचारी	1
कुल	2

3. राजकीय महाविद्यालय व्याख्याता

शैक्षणिक

1. राजकीय महाविद्यालय, कोटा	1 उर्दू
2. मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	4 पी.जी. उर्दू
3. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1 उर्दू
4. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	6 उर्दू व फारसी
5. राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर	4 उर्दू
6. राजकीय महिला महाविद्यालय, टोंक	1 उर्दू
7. राजकीय महाविद्यालय, चूरू	1 उर्दू
8. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़	1 उर्दू
9. राजकीय महाविद्यालय, कोटा	4 पी.जी (उर्दू)
10. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	1 उर्दू
11. राजकीय महाविद्यालय, सीकर	1 उर्दू
12. राजकीय महाविद्यालय, टोंक	5 उर्दू व फारसी
कुल	30

अशैक्षणिक पद :- कोई पद स्वीकृत नहीं

4. निजी क्षेत्र

शैक्षणिक :–

1. मुस्लिम बालिका महाविद्यालय, जयपुर	1 उर्दू
2. इण्टरनेशनल गर्ल्स कालेज, जयपुर	1 फारसी
कुल	2

अशैक्षणिक :- कोई पद स्वीकृत नहीं ।

नगर परिषद् उदयपुर में अनियमितताएं

460. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर नगर परिषद् द्वारा शहर के 50 वार्डों में निर्माण कमेटी द्वारा गत 4 वर्षों में कितनी-कितनी राशि के निर्माण वार्ड अनुसार किये गये ? क्या यह सही है कि सभापति एवं उप सभापति ने अपने वार्डों में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अन्य वार्डों की अपेक्षा अधिक राशि व्यय की है जिसमें वहां के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही है ?

(2) उदयपुर में गत 4 वर्षों में कितनी बहुमन्जिली इमारतें बिना नगर परिषद् की स्वीकृति एवं बिना भूमि कंवर्शन राशि जमा कराये निर्मित हुई हैं ? उक्त प्रकरणों में सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई है ?

(3) उदयपुर में गत 4 वर्षों में नगर परिषद् ने कृषि भूमि में भूमि दलालों द्वारा काटी गई आवासीय/गैर आवासीय कालोनियों में कितनी राशि व्यय कर सड़कों एवं नालियों का निर्माण किया है ?

(4) क्या नगर परिषद् उदयपुर में गत कई वर्षों से कर्मचारी/अधिकारी एक ही सीट पर हैं ? क्या सरकार इनके तबादले करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा शहर के 50 वार्डों में कराये गये निर्माण कार्यों का वार्डवार एवं राशि सहित विवरण संलग्न है । नगर परिषद् द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य परिषद् की निर्माण समिति/प्रशासनिक समिति की स्वीकृति के आधार पर करवाये गये हैं, जिनमें निर्णायक भूमिका निर्माण समिति/प्रशासनिक समिति की रहती है । अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता की निर्माण कार्य स्वीकृत करवाये जाने में कोई भूमिका नहीं रहती है ।

(2) नगर परिषद उदयपुर में गत 4 वर्षों में बिना नगर परिषद् की स्वीकृति के निर्मित बहुमंजिली इमारतों की सूची संलग्न है । जिसमें राजस्व हानि का विवरण भी अंकित है । भूमि का कनवर्शन उप खण्ड अधिकारी (भू-रूपांतरण) द्वारा वसूला जाता है ।

(3) नगर परिषद् द्वारा गत 4 वर्षों में अविकसित आवासीय/गैर आवासीय कालोनियों में सड़कों एवं नालियों के निर्माण में व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है ।

(4) प्रकरण की जांच कर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर का अनुदान प्रकरण

461. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक फव्वारा ऋण किसानों को वितरित किया गया है ? यदि हां, तो वर्षवार कितने कृषकों को कितना ऋण दिया गया तथा उसने प्रति वर्ष कितने अनुदान आवेदन पत्र कृषि विभाग को भेजे व उसको स्वीकृत करवाकर अनुदान उपलब्ध कराया गया ? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1997–98 में सरकार ने यह नीति निर्धारित की थी कि जब तक वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के अनुदान आवेदन पत्र लम्बित हो उनका पहले निस्तारण कर बाद में वर्ष 1997-98 के अनुदान आवेदन पत्र पंजीकृत करें ?

(3) बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 1997-98 में पूर्व के वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के कितने अनुदान आवेदन पत्र लम्बित रहते हुए सरकार के निर्देशों के विरुद्ध वर्ष 1997-98 के आवेदन पत्र कृषि विभाग में पंजीकृत करवाये व इससे पूर्व के किसानों को अनुदान से वंचित रहने से कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

(4) बाड़मेर जिले के किसानों द्वारा फव्वारा ऋण के वितरण के सम्बन्ध में जिला सतर्कता समिति, सहकारी विभाग को वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उस पर कराई गई जांच के क्या परिणाम रहे ? यदि जांच नहीं हुई तो जांच कराने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 95-96 में 1179 कृषकों को फव्वारा योजना में ऋण वितरण किया गया, 1179 अनुदान आवेदन-पत्र कृषि विभाग को भेजे गये, जिनमें से 384 अनुदान आवेदन पत्र स्वीकृत हुए। शेष 795 अनुदान आवेदन पत्र कृषि विभाग में बजट के अभाव में पेंडिंग रहे । वर्ष 96-97 में 1505 कृषकों को इस योजना में ऋण वितरण किया गया तथा इतने के ही अनुदान आवेदन पत्र भी कृषि विभाग को भिजवाये गये । इस वर्ष अनुदान आवेदन पत्रों एवं पूर्व वर्ष में लम्बित अनुदान आवेदन पत्रों में से 773 कृषकों को अनुदान स्वीकृत हुआ । इस वर्ष के अंत में कुल 1527 अनुदान आवेदन पत्र कृषि विभाग में पेंडिंग रहे । वर्ष 97–98 में 723 ऋण/अनुदान आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु कृषि विभाग को भेजे गये । इनमें से 83 आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये । 31 मार्च, 97 के अंत में पेंडिंग अनुदान आवेदन पत्रों एवं वर्ष 97-98 में भिजवाये गये आवेदन पत्रों के विरुद्ध 1036 कृषकों को अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त हुआ । किन्तु ये आवेदन पत्र मार्च, 98 के अन्तिम दिनों में प्राप्त होने से इसका समायोजन

(सहकारिता मंत्री)

कृषकों के ऋण खातों में वर्ष 98-99 में हो पाया ।

(2) जी, हां । इन निर्देशों के अनुसार सर्वप्रथम वर्ष 96-97 की पंजीकृत पत्रावलियों का निस्तारण होने पर नये पंजीयन करने के निर्देश थे ।

(3) वर्ष 97–98 में कृषि विभाग द्वारा फव्वारा के सम्बन्ध में अपने पूर्व के नीति निर्देशों में परिवर्तन करते हुए यह आवश्यक कर दिया गया कि फव्वारे सैट के तीन भाग-नोजल, कपलर, पाइप आई.एस.आई मार्का होने पर ही अनुदान देय होगा जबकि पूर्व में केवल पाइप का ही आई.एस.आई. मार्का होना आवश्यक किया हुआ था । ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा नये कृषकों से आवेदन पत्र भी कृषि विभाग को भेजना आवश्यक हो गया । पूर्व के सभी कृषकों को भी अनुदान उपलब्ध होने से उन्हें नुकसान उठाना नहीं पड़ा है ।

(4) फव्वारा ऋण वितरण के सम्बन्ध में जिला सतर्कता समिति, बाड़मेर को शिकायत न तो प्राप्त हुई और न ही इस सम्बन्ध में जांच हुई । सहकारी विभाग को वर्ष 95-96 एवं 96-97 के ऋण वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अंतर्गत कराई जा रही है ।

परिशिष्ट--5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-569 की सूची)

परिशिष्ट-'क'

जाखम सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर
1.	आमली खेरा	85
2.	मुहुरी खेड़ा	80
3.	धमोत्तर	120
4.	कुलमीपुरा	121
5.	टांडा	122
6.	नारायण खेड़ा	115
7.	कलसियां	118
8.	हुवानिया रूण्डी	84
9.	बिहुया रूण्डी	117
10.	वकोर	67
11.	बिहाडा	78
12.	मजेसरिया	127
13.	बमोत्तर	145

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-570 की सूची)

परिशिष्ट-'क'

उपखण्ड नावां के अधीन इस वर्ष स्वीकृत हुए कार्यों की सूची

क.सं.	गांव का नाम	स्वीकृत कार्य
1	2	3
1.	राजलिया	एक ट्यूब वैल व चालू खुला कुआं में वेवी वैल कार्य।
2.	भूणी	एक ट्यूब वैल
3.	कसारी	एक ट्यूब वैल
4.	कानपुरा (बाजियों की ढाणी)	एक ट्यूब वैल
5.	दानपुरा	वर्तमान चालू खुले कुएं में वेवी वैल कार्य
6.	राजास-गोविन्दी	वर्तमान चालू कुएं में वेवी वैल कार्य
7.	पुरोहित का बास	वर्तमान चालू कुएं में डी.सी.बी. कार्य
8.	सिरसी	2 हैण्डपम्प कार्य
9.	देवनगर (तुरी की ढाणी)	वर्तमान खुले कुएं में वेवी वैल कार्य
10.	लूणवा	वर्तमान खुले कुएं में एच.बी.
11.	देवली कलां	" "

1	2	3
12.	ठीकरिया कलां	गांव वालों के द्वारा बनाये गये खुले कुएं में विद्युत कनेक्शन व पाइप लाइन।
13.	झीनवार	वर्तमान खुले कुएं में एच.बी. कार्य।
	उपखण्ड कुचामन के अधीन स्वीकृत कार्यों का विवरण	
14.	लालास	अनुसूचित जाति बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।
15.	भिलाल	भिलाल की ढाणी (पालवास) में पंचायत द्वारा निर्माण कार्य केसेनरी हौज को जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाना।
16.	छोटी भिलाल	छोटी भिलाल में निर्माण कार्य पंचायत के जी.एल.आर.को पाइप लाइन से जोड़कर पेयजल मुहैया करवाने का कार्य।
17.	घाटवा	घाटवा के बलूवाले; मौहल्ले में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।
18.	पांचवा	ग्राम पांचवा की बलाइयों एवं नायकों की ढाणियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।
19.	नगवाड़ा	ग्राम नगवाड़ा में एक भूतल जलाशय का निर्माण कार्य।
20.	चारणवास हुडिल	चारणवास हुडील की बलाई एवं हरिजन बस्ति में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।
21.	जिजोट	ग्राम जिजोट के बलाईयों के वास में पाइप लाइन बिछाने का कार्य।

1	2	3
22.	कुकनवाली	ग्राम कुकनवाली के रेंगर व बावर बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
23.	पांचवा	पांचवा ग्राम की अनुसूचित जाति के मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
24.	इन्दोखा	ग्राम इन्दोखा में जाटों, गूजरों व बलाईयों के मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
25.	हिराणी	ग्राम हिराणी में शेखावतों की ढाणी में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
26.	गांधी ग्राम	गांधी ग्राम के गंवाई कुएं को गहरा करवाना तथा नये पम्पिग सैट लगाने का कार्य ।
27.	अड़कसर	विद्युत सुधार सम्बन्धि कार्य ।
28.	चितावा	ग्राम चितावा के गंवाई कुएं में बोरिंग का कार्य ।
29.	कुचामन	शहरी जल प्रदाय योजना कुचामन में स्थित स्विच रूम, क्वाटर, पम्प हाउस अन्य सिविल कार्यों का मरम्मत कार्य ।
30.	कुचामनसिटी	कुचामनसिटी में स्थित आर.सी.सी. एवं कमेसेनरी जी.एल.आर. के विलय प्रोटेक्शन का रिपेयरिंग कार्य ।
31.	केरपुरा की ढाणी रसाल	केरपुरा की ढाणी ग्राम रसाल के कुएं में बोरिंग व नया पम्प सैट लगाने का कार्य ।
32.	लाम्बा	ग्राम लाम्बा में गंवाई कुएं में बोरिंग एवं नया पम्प सैट लगाने का कार्य ।

1	2	3
33.	पांचवा	नेपाराम की ढाणी पांचवा में एक हैण्डपम्प का कार्य ।
34.	पांचवा	बागरियों की ढाणी पांचवा में एक हैण्डपम्प का कार्य ।
35.	अड़कसर	ग्राम अड़कसर के हरिजन एवं नायक बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
36.	कुकनवाली	ग्राम कुकनवाली के मेघवाल, खटीक बलाई बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
37.	चितावा	ग्राम चितावा के रेगर, बावरी, बलाई हरिजन बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
38.	लालास	ग्राम लालास की रैगर बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ।
39.	रतनपुरा	ग्राम रतनपुरा में भूतल जलाशय का निर्माण कार्य ।
40.	जिजोट	ग्राम जिजोट की गूजरी तलाई की ढाणी के गंवाई कुएं में बोरिंग तथा स्वीच रूम का निर्माण कार्य ।
41.	भिलाल	ग्राम भिलाल में एक जी.एल.आर. एवं पाईप लाइन का कार्य ।
42.	मूलपुरा	ग्राम मूलपुरा में गंवाई कुएं में बोरिंग तथा जी.एल.आर. का निर्माण कार्य ।

1	2	3
63.	टोड़ास	ग्राम टोड़ास के उप स्वास्थ्य केन्द्र में एक हैण्डपम्प का निर्माण कार्य ।
64.	इन्डाली	ग्राम इन्डाली के उच्च प्रा.वि. में एक हैण्डपम्प का निर्माण कार्य ।
65.	हिराणी	ग्राम हिराणी के " "
66.	टोडास	ग्राम टोडास के " "
67.	रामासर	ग्राम रामासर के " "
68.	रामासर	ग्राम रामासर के गंवाई कुएं में बोरिंग एवं नये पम्प सैट लगाने का कार्य ।
69.	आनन्दपुरा	ग्राम आनन्दपुरा में एक नये कुए में बोरिंग कर पम्पसैट लगाने का कार्य ।
70.	शिवदानपुरा	ग्राम शिवदानपुरा में एक नलकूप, भूतल जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन का कार्य ।
71.	सुरतपुरा	ग्राम सुरतपुरा में एक नलकूप, भूतल जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन का कार्य ।
72.	मानजी की ढाणी	ग्राम मानजी की ढाणी के गंवाई कुए में बोरिंग, नये पम्पसैट लगाने एवं भूतल जलाशय निर्माण तथा पाइप लाइन का बिछाने का कार्य।
73.	रावां	ग्राम रावां के एक नये गंवाई कुए में बोरिंग तथा पम्प सैट लगाकर पाइप लाइन बिछाकर चालू करने का कार्य ।

1	2	3
74.	राजपुरा	ग्राम राजपुरा के गंवाई कुएं में बोरिंग तथा कायमखानियों की ढाणी में नलकूप निर्माण; भूतल जलाशय व पाइप लाइन का कार्य ।
75.	मंगलपुरा	ग्राम सबलपुरा में नये नलकूप का निर्माण कार्य व पाइप लाइन बिछाकर जोड़ने का कार्य।
76.	लाम्बा कोटड़ा	ग्राम भिलाल में नलकूप निर्माण एवं पाइप लाइन का कार्य ।
77.	रसाल	ग्राम रसाल के बालाजी की ढाणी के गंवाई कुएं में बोरिंग कर पम्प सैट लगाकर चालू करने का कार्य ।
78.	जिलिया	ग्राम जिलिया के 2 सार्वजनिक कुओं में बोरिंग एवं एक नये गंवाई कुएं को बोरिंग कर चालू करने का कार्य ।
79.	मोतीपुरा	ग्राम मोतीपुरा में एक नलकूप निर्माण कर चालू करने एवं पाइप लाइन का कार्य ।
80.	चांदपुरा	ग्राम चांदपुरा में 5 नये हैण्डपंपों का निर्माण कार्य ।
81.	शिव एवं शिव पूर्वी	ग्राम शिव नलकूप निर्माण, पाइप लाइन एवं भूतल जलाशय का निर्माण कार्य ।
82.	कुकनवाली	ग्राम कुकनवाली के सी.मा.वि. में एक हैण्डपंप का निर्माण कार्य ।

1	2	3
83.	घाटवा	ग्राम घाटवा के राजकीय सीनीयर माध्यमिक विद्यालय में एक हैण्डपंप का निर्माण कार्य।
84.	कुचामनसिटी	कुचामन सिटी के राजकीय सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैण्डपंप निर्माण कार्य।
85.	पुनर्गठित योजना कुचामन सिटी	कुचामन सिटी में 14 नये नलकूपों का निर्माण व चालू करने, पाइप लाइन बिछाने एवं एक नये स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय एवं आवास व कार्यालय (सहायक अभियंता) का निर्माण कार्य।
86.	घाटवा	मस्जिद के पास, ग्राम घाटवा में एक हैण्डपंप का निर्माण।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-575 की सूची)

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	नाम राजस्व गांव	नाम गैर खातेदार	भूमि का विवरण खसरा नम्बर	रकबा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	दुलमेरा	दुलमेरा	सुखा वगैरहा पि. रेखा राम जाट	118/1	31.00	पूर्व में इन्तकाल खारिज
2.	,,	,,	अमरु पुत्र बालु सुथार	165/1	18.14	,, ,,
3.	,,	,,	अमरलाल वगैरहा मेघवाल	188/1	40.00	स्थगन है
4.	,,	,,	धनाराम पुत्र हुकमाराम मेघ.	110/1	42.10	,,
5.	,,	,,	पुनमराम पुत्र जेठाराम रेगर	147/1	25.16	कब्जा नहीं

1	2	3	4	5	6	7
6.	दुलमेरा	दुलमेरा	महावीरसिंह वगै.पि. वीरुराजसिंह	77/1	3.18	10 साल अवधि पूरी नहीं
7.	"	जतमदेसर	आसा वगै.पि. परतुराम ब्राह्मण	262	40.15	पूर्व में इन्तकाल खारिज
8.	"	"	प्रवीतसिंह पुत्र कुशालसिंह	222/4	11.04	"
9.	"	"	चेतराम पुत्र बीझाराम नायक	13/1 मि.	35.00	"
10.	"	"	तिलाराम पुत्र दीपाराम जाट	325/4	22.00	"
11.	दुलमेरा	घोरेरा स्टेशन	भंवरलाल पुत्र जालुराम जाट	328/1 44/1	45.14	पूर्व में इन्तकाल खारिज
12.	"	"	जगुराम पुत्र आसाराम गुरड़ा	327/44/1	35.00	"
13.	"	"	धर्मा, गुणा वगै.पुत्र जैसा	82मिन	63.06	"

1	2	3	4	5	6	7
14.	दुलमेरा	धीरेरा स्टेशन	मु. धीरा बेवाह चोला वगै.	69/1 69/3	31.00	पूर्व में इन्तकाल खारिज
15.	"	"	रामेश्वर वगै.पि. जालुराम	68/2	8.00	"
16.	"	"	लाघु पुत्र शेराराम जाट	96 मिन	30.00	"
17.	"	"	सोहनलाल पुत्र नरसाराम	76/1	50.00	"
18.	"	"	चूनाराम पुत्र जैसाराम जाट	320/81	22.14	"
19.	धीरेरा	धीरेरा गांव	सदासुख पुत्र तेजाराम जाट	122/4 123/6	48.08	जांच विचार 10 वर्ष पूरे
20.	"	साधेरा	गोविन्दराम पुत्र बलसीराम	149/10	3.00	
21.	"	"	चूनाराम पुत्र पनाराम जाट	81/1	3.10	"
22.	"	"	जोवण पुत्र धीराम जाट	65 मिन.	1.13	"

1	2	3	4	5	6	7
23.	धीरेरा	साधेरा	सदासुख पुत्र तेजाराम जाट	63 मिन 250 मिन	13.03	जांच विचार
24.	,,	महुराणा	दानाराम पुत्र छदाराम जाट	35 मिन	3.03	10 साल पूरे
25.	,,	,,	नेताराम पुत्र जेसाराम जाट	120	22.08	पूर्व में इन्तकाल खारिज
26.	,,	,,	मलुराम पुत्र चूनाराम जाट	154/2 155/65	43.00	,,
27.	धीरेरा	महुराणा	सोमप्रकाश पुत्र भगवानदास	31/26	30.00	कब्जा नहीं
28.	,,	,,	हीरराम पुत्र चूनाराम जाट	114/2 138	18.12	पूर्व में इन्तकाल खारिज
29.	,,	,,	सदासुख पुत्र तेजाराम जाट	175	19.12	जांच विचार
30.	,,	जैसा	नरसाराम पुत्र मानाराम ,,	19 मिन	3.18	10 साल पूरे

1	2	3	4	5	6	7
31.	धोरेरा	जैसा	रामप्रताप पुत्र रूपाराम जाट	17 मिन	3.02	10 साल पूरे
32.	"	"	रेवती पत्नि केशराराम जाट	142 मिन	2.00	"
33.	"	"	लिछमन पुत्र सुखाराम जाट	81 मिन	3.15	"
34.	"	"	सुरजाराम पुत्र सुखाराम जाट	93 मिन	3.13	"
35.	"	"	हेतराम पुत्र सुखाराम जाट	193/80 मि.	2.04	"
36.	"	"	दानाराम पुत्र उदाराम खीरा	114/1 173 मिन	60.00	"
37.	"	"	बालुराम पुत्र हनुमानराम	93 मिन	16.00	"
38.	"	बामनवाली	ओमप्रकाश पुत्र ओकारराम ब्राह्मण	79/2	2.08	"

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-578 की सूची)

परिशिष्ट–'क'

राजस्थान राज्य
भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग
खतोनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी)

ग्राम-आनन्दपुरा तहसील-आमेर जिला-जयपुर सम्वत् 2019 से 23

क्र.सं.	नम्बर खाता	नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम उपभोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल	नम्बर खसरा मय नाम खेत	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण मय क्षेत्रफल	सिंचाई के साधन का खसरा नम्बर	लगान: दर	लगान: लगान	लगान: जोआन	विशेष विवरण
437	434		माफी राम बिहारी वल्द गंगाधर खुद काश्त माफीदार ब्राह्मण ब्रिरोट सा. देह		50	1		गै. चाहू				

परिशिष्ट-'ख'

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम अनन्तपुरा पटवार हल्का अनन्तपुरा भू-अभिलेख निरीक्षण हल्का चौमू
तहसील चौमू जिला जयपुर राजस्थान सम्वत 2053 आधार वर्ष से तक

खेवट (खतौनी) संख्या								उपज द्वारा प्रदत्त लगान तथा अन्य साम्य		सम्वत....के लिए		सम्वत....के लिए		सम्वत....के लिए		
सही	वरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	दर सहित विवरण	मवन	अन्तरण के प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तरणकरण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरित की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित की गई है	अन्तरण के प्रकार सहित अनु. प्रमाणित नामान्तरण-करण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित की गई है	अन्तरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणिक नामान्तरण-करण के आदेश की संख्या तथा तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित की गई है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
398		राजस्थान सरकार	रामबिहारी पुत्र गंगाधर कोम पुरोहित सा. जयपुर	75	0.06	गै.मु.चाह										
			योग खाता	1	0.06	0.06										

नोट:-1. गत ख. नं. 50 के नवीन ख. नं. 75 बने हैं।

2. नकल प्रमाणिक असल के नियमानुसार जारी की गई है। यह नकल राजकार्य हेतु निशुल्क जारी की गई।

ह०
13-4-99
(रामसिंह)
पटवारी हल्का अनन्तपुरा

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-588 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

गत पांच वर्षों में विश्वविद्यालय में भत्ता भोगी पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षकों की सूची :-

लॉ कालेज (दिन)

1. प्राचार्य

1. डा. एम.पी.जैन (4-11-92-29-8-95)
2. श्री एस.सी.पांडे (30-6-95-7-3-96)
3. डा. एन.एच.गुप्ता (8-3-96-29-1-97)
4. डा. एस.के.कुम्बज (30-1-97-17-6-97)
5- डा. जे.एस.करकरा (18-6-97-3-1-99)
6. प्रो. टी.भट्टाचार्य (4-1-99-से लगातार)

2. उप प्राचार्य (तीन पद)

i 1. डा. एन.एस.गुप्ता (4-11-93-6-2-97)
2. डा. यू.जी.सांखला (7-2-97-31-1-99)
3. डा. श्रीमती मृदुल श्रीवास्तव (1-2-99-से लगातार)

ii 1. डा. एन.एल.गुप्ता (27-7-95-16-8-96)
2. डा. पी.सी. जैन (17-8-96–23-9-97)
3. डा.एस.के.शर्मा (24-9-97 से लगातार)

iii 1. डा. आर.आर.गुप्ता (28-7-95-18-2-97)
2. डा. एस.सी.विश्नोई (29-2-97-18-2-98)
3. डा. जे.आर.मलिक (31-6-97-20.6-98)

लॉ कालेज (सायंकालीन)

1. प्राचार्य :—

1. प्रो.टी.भट्टाचार्य (12-7-95—11-7-98
12-7-98 से लगातार)

उप प्राचार्य :—

1. डा.सतीश शास्त्री (13-7-95-11-8-97)
2. डा. जे.पी.व्यास (13-7-95—11-7-97)
3. डा. आर.आर.गुप्त (12-7-98 से लगातार)

राजस्थान कालेज

1. प्राचार्य

1. डा. आर.बी.सिंह (8—9—94-17-11-95)
2. प्रो. बी.पी.गुप्ता (18-11-95-7-8-96)
3. प्रो. सी.एस.बरला (8-8-96—28-8-96)
4. श्री एन.के.महला (29-8-96-31-8-98)
5. प्रो. एस.एन.दवे (1-8-98-13-12-98)
6. प्रो. एच.एस.शर्मा (14-12-98 से लगातार)

2. उप प्राचार्य

1. डा. एस.सी.प्रसाद (5-4-95 से लगातार)
2. डा.आर.के.पंत (17-5-97-27-5-97)
3. डा.एन.सी.जैन (28-5-97—12-2-99)
4. श्री एम.सी.शाह (22-1-94-5-12-95)
5. डा.जगदीश प्रसाद (13-2-99 से लगातार)
6. डा.के.एल.शर्मा (25-11-95—13-12-97)
7. डा. लीना परमार(3-12-97—25-12-98)
8. डा. के.एल.चावला (29-8-98-25-12-98)

9. डा. आर.एस.बरँठ (26-12-98 से लगातार)
10. डा. जयन्त सिंह (17-5-97 से 18-8-98)
11. डा. आर.डी.गूजर (26-12-98 से लगातार)

महाराज कालेज

प्राचार्य :—

1. डा. ए.के.राय (29-12-94-31-7-96)
2. डा.सी.के.ओझा (1-8-96—30-10-96)
3. प्रो.वाई.एस.सिसोदिया(31-10-96 से लगातार)

उप प्राचार्य :—

1. डा. अशोक कुमार(16-2-95-27-2-96)
2. डा. पी.आर.शर्मा (27-2-97-22-1-99)
3. डा. आर.सी.चौधरी (14-9-96 से लगातार)
4. डा. एम.के.पंडित (23-1-99 से लगातार)
5. डा. त्रिभुवन सिंह (4-4-98 से लगातार)

महारानी कालेज

प्राचार्य :—

1. डा. श्रीमती इंदु माथुर(28-3-93-1-4-96)
2. डा. श्रीमती पवन सुराना (2-4-96—2-4-99)
3. डा. श्रीमती प्रतिभा जैन(3-4-99 से लगातार)

उप प्राचार्य :—

1. डा. प्रदीप भटनागर (1-7-94 से 30-6-97)
2. डा. श्रीमती नीरा माथुर (1-7-97 से लगातार)
3. डा. श्रीमती एस.अली (8-10-94 से लगातार)
4. डा. श्रीमती क्षमा सक्सेना (16-6-95 से 6-6-97)
5. डा. श्रीमती सरिता जैन (7-6-97 से लगातार)

कामर्स कालेज

प्राचार्य :—

1. डा.सी.आर. कोठारी (18-9-93 से 26-10-94)
2. डा. आर.सी.गुप्ता(31-10-95-3-7-96)
3. डा. एल.आर. कोठारी (4-7-96-15-8-96)
4. डा. सोहन लाल (16-8-96 से लगातार)

उप प्राचार्य:-

1. डा. सोम देव (13-7-94-4-7-96)
2. डा. एम.पी.बंसल (5-7-96 से लगातार)
3. डा. डी.आर. जैन (18-9-93 से 21-11-94)
4. डा. जे.पी.एन. शर्मा (22-11.94 से 20-11-95)
5. डा. एम.एल. शर्मा (21–11–95–4-7-96)
6. डा. डी.आर.जाट (16–8–96 से लगातार)

डीन/एसोसिएट डीन

डीन-1. डा. सतीश शास्त्री (3-8-94 से लगातार)

एसोसिएट डीन

1. डा. एस.सी. सिंह (24-8-94 से 2-9-97)
2. श्री के.एल.शर्मा (3-9-97 से लगातार)
3. डा. श्रीमती शारदा मिश्रा (42-6-94-7-5-95)
4. श्री आर.एस.शर्मा (8-5-65-2-9-97)
5. डा. जगदीश प्रसाद (3-9-97 से लगातार)
6. डा. के.एल. चावला (25-3-94-3-12-98)
7. डा. प्रकाश शर्मा (8-10-96-15-12-98)
8. डा. सोम देव (31-2-98 से लगातार)
9. डा. जे.पी. यादव (13-2-99 से लगातार)
10. डा. श्रीमती वी.एल. कोटियाल (13-2-99 से लगातार)

चीफ वार्डन :—

1. डा. ए.के.राय (22-2-92-23-2-95)
2. डा. बी.पी.गुप्ता (24-2-95-26-7-96)
3. डा. एम.एस.पूनिया (27.7.96-12.12.97)
4. डा. सी.एम.चौधरी (20-12-97-4-3-97)
5. डा. एम.एस. पूनिया (5-3-99 से लगातार)
6. डा. श्रीमती बीना सिंह (15-12-97–4-3-99)

प्रति.चीफ.वार्डन

1. डा. श्रीमती बीना सिंह (4-3-99 से लगातार)

अम्बेडकर होस्टल

वार्डन:— 1. डा. पी.एन.सिंह (20-5-95 से लगातार)

एसि.वार्डन 1. श्री राजीव शर्मा (1-6-94–7-11-96)
2. डा. अरविन्द सिंह (8-11-96-30-4-97)

गोखले होस्टल

वार्डन:—

1. डा. जयन्त सिंह (12-9-94–13-10-95)
2. डा. रामा प्रसाद (14-10-96-25-10-96)
3. डा. डी. एम. चौहान (26-10-96–19-12-97)
4. डा. विनोद कुमार (20-12-97 से लगातार)

एसिस्ट. वार्डन:-

1. डा. रामा प्रसाद (5-12-93–2-10-96)
2. श्री. के.के. गौतम (8-7-94-13-12-96)
3. डा. ओ.पी. शर्मा (14-12-96-31-12-97)
4. डा. ओ.पी. शर्मा (14-12-96-13-12–97)
5. डा. हरीशंकर पल्सानियां (20-2-99 से लगातार)

एच.जे.भाभा होस्टल

वार्डनः–

1. डा. रमेश दाधीच (1-6-93-17-11-96)
2. डा. ओमप्रकाश महला (18-11-96-29-12-97)
3. डा. सुरेन्द्र सिंह (20-12-97–4-3-99)

एसिस्टे. वार्डनः–

1. डा. प्रकाश शर्मा (1-6-93-24-1-97)
2. डा. करतार सिंह (31-3-99 से लगातार)

जे.सी.बोस. होस्टल

वार्डनः—

1. श्री के. एल. गोदारा (1-6-94–7-8-97)
2. डा. एस.एल.सुथार (6-8-97-19-12-97)
3. डा. राजीव शर्मा (20-12-97-12-8-98)
4. डा. पी.एन.सिंह (13-8-98-9-2-99)
5. डा. विनोद जोशी (10-2-99 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डनः—

1. डा. अशोक अग्रवाल (5-1-95-4-1-96)
2. श्री एम.पी. सिहाग (12-2-99 से लगातार)

एम.पी. होस्टलः–

वार्डनः—

1. डा. एम.एस. चूडावत (1-6-93–5-8-97)
2. डा. प्रकाश शर्मा (6-8-97-12-1-99)
3. डा. वी.के. जोशी (13-1-99 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन:—

1. डा. अभय उपाध्याय (8-7-94-19-6-96)
2. डा. नरेश मलिक (20-9-96-14-11-96)
3. श्री राम सिंह चौहान (15-11-95-14-11-97)

विवेकानन्द होस्टल

वार्डन:—

1. डा. एम.एस. पूनिया (1-6-94–19-12-97)
2. डा. सी.एम. चौधरी (20-12-97-21-3-99)
3. डा. आर.डी.गुर्जर (22-3-99 से लगातार)

ऐसिस्टेंट वार्डन:

1. डा. राजेश कुमार (22-3-99 से लगातार)

डब्ल्यू.यू.एस.होस्टल

वार्डन :—

1. डा. आर.डी. गुर्जर (1-6-94-19-12-97)
2. डा. जयन्तसिंह (20-12-97–3-3-98)
3. डा. पी.के.कोटिया (4-3-98 से ललातार)

एसिस्टेंट वार्डन :—

1. श्री राजेश कुमार (26-4-97-

रमन होस्टल

वार्डन :—

1. डा. मोहन सिंह (1-6-94-31-5-97)
2. डा. विनोद जोशी (1-6-97–5-8-97)
3. डा. रामा प्रसाद (6-8-97-19-12-97)
4. डा. एम.एल.शर्मा (20-12-97 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन

एनीबिसेन्ट होस्टल

वार्डन :—

1. डा. श्रीमती सुशीला जैन (1-6-93—5-6-97)
2. डा. श्रीमति मीना सोगानी (7-6-97 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन :

1. डा. श्रीमती प्राशा शर्मा(1-6-94—31-5-96)

कस्तूरबा होस्टल

वार्डन :—

1. डा. सवीता वर्मा (1-6-93-31-5-95)
2. डा. जे.सी.शर्मा (1-6-96-5-8-97)
3. डा. ऊषा चन्द्रा (6-8-97—31—7—98)
4. डा. मधु जैन (1-8-98 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन :—

1. श्रीमती दीपा माथुर (1—6—94-27-8-95)
2. श्रीमती मनिषा सिंह (28-8-95—30-11-98)
3. कु. मीता शर्मा (1-12-98 से लगातार)

लक्ष्मी बाई होस्टल

वार्डन :—

1. डा. श्रीमती जसवन्ती देवी (1-6-94 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन:—

1. श्रीमती अनूजा सिंह (1-6-94—30-1-98)
2. श्रीमती मिताली शाहा (21-1-99 से लगातार)

मालवीया होस्टल

वार्डन :–

1. डा. मीना सोगानी (1-6-93-31-5-95)
2. डा. आशा डूंगर (1–6–95-14-2-99)
3. श्रीमती जया चक्रवर्ती (15-2-99 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन :–

1. डा. श्रीमती मधु जैन (1-10-96-20-1-99)
2. श्रीमती रचना वाधवा (21–1–99 से लगातार)

डी.बी.एन.होस्टल

वार्डन :–

1. डा. विनोद जोशी (20-5-94–19-12-97)
2. डा. राजीव सक्सेना (20-12-97 से लगातार)

एसिस्टेंट वार्डन :-

1. डा. एम.एल.शर्मा (1–6–94–7-11-96)
2. श्री दिलीप सिंह (8-11-96–30-4-97)

चीफ प्रोक्टर :-

1. डा. पी.एस.यादव (8-11-95 8-1-96)
2. डा. भागीरथ सिंह (9-1-96 से लगातार)

एसोसिएट प्रोक्टर :-

1. डा. सी.बी.गोड़ (1-11-94 से लगातार)
2. डा. केबीआर राय (8-10-96 से लगातार)
3. डा. विपीन त्याल (7-1-92 से लगातार)
4. डा. एम.एस.चुडावत (19-6-98 से लगातार)

5. डा. बसन्त जैटली (30-4-96 से लगातार)
6. डा. आर.एन.प्रसाद (8-11-94—19-9-95)
7. डा. एवी.एम मदनवत (24-1-97-18-6-98)
8. डा. ए.एम.खान (19-6-98 से लगातार)
9. डा. एच.डब्ल्यू.अचर्वा (13-2-99 से लगातार)
10. डा. आर.वाई.मोर्य (20-7-94—17-7-96)

इंचार्ज एन.आर.एस.सी.

1. डा.एन.के.लोढ़िया (16-9-96-15-9-97)

कोर्डिनेटर एन.एम.एस

1. डा. रूपसिंह (16-7-94-10-1-99)
2. डा. बी.आर.चोयल .(11-1-99 से लगातार)

इन्चार्ज विश्व. गार्डन :--

1. डा. नगेन्द्र भारद्वाज (8-3-90 से लगातार)

निदेशक, एकेडमिक स्टाफ कालेज :--

1. डा. श्रीमती जसबीर जैन (1-8-93–21-9-97)
2. डा. एन.डी.माथुर (22-9-97 से लगातार)

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-589 का विवरण)

परिशिष्ट–'क'

वर्ष 1998-99 में विभागीय औषधालयों को वितरित की गई औषधियों की सूची

क्र.सं.	नाम औषधि	क्र.सं.	नाम औषधि
1.	अग्निसंदीपन चूर्ण	31.	शुभ्रा भस्म
2.	फलात्रिकादि चूर्ण	32.	तिन्दूक वटी
3.	अर्क वटी	33.	बालसुधा
4.	अश्व गंधा चूर्ण	34.	लवंगादि वटी
5.	आनन्द भैरव रस	35.	कपर्दिका भस्म
6.	गोजिह्वादि क्वाथ	36.	कर्पूर रस
7.	तालसादी चूर्ण	37.	विषमज्वरादि
8.	लवण भास्कर चूर्ण	38.	बेण्डेज
9.	ईसबगोल भूसी	39.	मरहम सफेद काफूरी
10.	जन्मघुटी क्वाथ	40.	हब्बे जिकुनफस
11.	गंधक वटी	41.	शर्बत बनफशा
12.	गोक्षुर चूर्ण	42.	हब्बे करंजवा
13.	शतावरी चूर्ण	43.	हब्बे जिमादस्याह
14.	अर्जुनत्वक चूर्ण	44.	हब्बे हाजिम
15.	जात्यादि तेल	45.	सफूफ आबिसेदम
16.	बैसलीन	46.	सफूफ इसतिरेजिगर
17.	निशा तेल	47.	हब्बे रसोत
18.	ऐडेसिव रोल	48.	मरहम नीम
19.	साबुन लाइफबॉय	49.	हब्बे डब्बा एतफाल
20.	नेत्रबिन्दु	50.	लघु विषगर्भ तेल
21.	काटन	51.	आरोग्यवर्धनी वटी
22.	एरण्ड तेल	52.	पुनर्वा मण्डूर
23.	वेदना नाशक	53.	योगराज गुग्गुल
24.	संजीवनी	54.	चन्द्रामृत रस
25.	अर्कविशुचि कान्तक	55.	लक्ष्मी विलास
26.	कृष्ण मरहम	56.	अर्शकुठार रस
27.	शंख भस्म	57.	विपस्तिकरण चूर्ण
28.	रस माणिक्य	58.	दशांग लेप
29.	कपूर धारा	59.	हरिद्रा खण्ड
30.	गोदन्ती भस्म	60.	कृमिउदर रस

परिशिष्ट–"ख"

विभागीय चारों रसायनशालाओं द्वारा वर्ष 1998-99 में निर्मित औषधियों की सूची

क्र.सं.	नाम औषधि	क्र.सं.	नाम औषधि
1.	आनन्द भैरव रस	25.	रस माणिक्य
2.	तिन्दुक वटी	26.	लवंगादि वटी
3.	विषम ज्वरादि वटी	27.	गोजिह्वादि क्वाथ
4.	च्यवनप्राश	28.	नेत्र बिन्दु
5.	हरड़ चूर्ण	29.	अर्क विशुचिकांतक
6.	अर्जुनत्वक चूर्ण	30.	बिभितकी चूर्ण
7.	अर्कवटी	31.	वेदना नाशक
8.	निशा तेल	32.	गोक्षुरादि चूर्ण
9.	गन्धक वटी	33.	आयपुष्पादि चूर्ण
10.	हब्बे करंजवा	34.	तालिसादि चूर्ण
11.	हब्बे जिकुनफश	35.	आमलकी चूर्ण
12.	हब्बे हाजिम	36.	अग्निसंदीपन चूर्ण
13.	हब्बे रसोत	37.	जन्मघुटी
14.	हब्बे जिमाद स्याह	38.	नागकेसर चूर्ण
15.	हब्बे उब्बा एते फाल	39.	अश्वगंधा चूर्ण
16.	सफूफ तीन	40.	लवण भास्कर चूर्ण
17.	सफूफ इकसिरे जिगर	41.	गोदन्ती भस्म
18.	शर्बत बनफशा	42.	कृष्ण मरहम
19.	लऊक बिहदाना	43.	जात्यादि तेल
20.	मरहम सफेद काफूरी	44.	शंख भस्म
21.	रोगने दर्द	45.	कर्पद भस्म
22.	मरहम नीब	46.	बालसुधा
23.	जोशांदा	47.	शुभ्रा भस्म
24.	कर्पूर रस	48.	अकीक भस्म